मंगलवार,
२३ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, २३ फरवरी १९५४

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष–पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान को विभाजन-पूर्व के सैनिक सामान का दिया जाना

*२५९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान को विभाजन पूर्व के सैनिक सामान न दिये जाने के सम्बन्ध में २ जनवरी १९५४ को ढाका में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य ठीक है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो यह सामान क्यों रोक लिया गया था ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के गलत वक्तव्यों के लिये सरकार ने पाकिस्तान से विरोध किया है ?

(घ) क्या दोनों देशों के प्रधान मंत्रिय ने इस प्रश्न पर कभी विचार विमर्श किया था और यदि ऐसा है, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख) । मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निकाली गई प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाता हूं । उसकी एक प्रति सदन पटल पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ग) मैं समझता हूं कि औपचारिक रूप से विरोध करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, किन्तु इस मामले की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया जा रहा है ।

(घ) जी नहीं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : यदि पाकिस्तान से हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, तो इस मामले में सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री त्यागी : पहिले से ही यह बताना मेरे लिये बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसा करने से उत्तर का स्वरूप बदल सकता है ।

डा० राम सुभग सिंह : विवरण के पैराग्राफ ३ में निम्न लिखित कहा गया है :

> "इंगलैण्ड के साथ पौण्ड पावना सम्बन्धी चर्चा मई, १९४८ में कराची में हुये सम्मेलन में किये गये इस समझौते के आधार पर हुई थी कि जब कि भारत इंगलैण्ड से ख़रीदे गये पूरे स्टोर का आरम्भिक भुगतान करेगा, पाकिस्तान भारत को, इंगलैण्ड के

साथ समझौता होने की तारीख से ३० दिन की अवधि के अन्दर, पाकिस्तान में १५ अगस्त, १९४७ को विद्यमान स्टोरों के सम्बन्ध में तथा ऐसे स्टोरों के सम्बन्ध में भी, जो पाकिस्तान को भारत से ३० जून १९४८ तक मिले हों, भुगतान करेगा ।"

क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से उन राशियों को तीस दिनों की अवधि, जिसे कि पाकिस्तान सरकार ने १९४८ के कराची समझौते के अनुसार मान लिया था, के समाप्त होने के बाद देने के लिये कहा था ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : क्या इस मामले में मैं कुछ कह सकता हूं, क्योंकि यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच किये जाने वाले दावों तथा प्रति दावों का अंग मात्र है ? यह विवाद ग्रस्त मामलों में से एक है । लगभग एक दर्जन और भी मामले हैं । इन मामलों पर गत तीन या चार वर्षों में भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया है । स्वयं मैंने भी पाकिस्तान के वित्त मंत्री से विचार विमर्श किया है और हमें आशा है कि हम इस विषय में अगले वर्ष में पूरे पूरे समझौते पर पहुंच सकेंगे । इसलिये मैं समझता हूं कि किसी विशेष दावे के गुणावगुणों के विस्तार में जाना ठीक नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : किन्तु भारत सरकार ने पाकिस्तान प्रतिनिधियों को नवम्बर, १९४८ में और मांगें क्यों करने दी थीं ? भारत सरकार अन्तर-सरकार सम्मेलन में पाकिस्तान सरकार को सब बातें स्पष्ट कर सकती थी तथा इन मामलों पर उचित प्रकाश डाल सकती थी ।

श्री सी० डी० देशमुख : कोई किसी को किसी प्रकार की मांग करने से रोक नहीं सकता । गत तीन या चार वर्षों में सभी प्रकार की मांगें की गयी थीं । किन्तु जो अन्तिम समझौता होगा उसमें इन सब बातों तथा इस मामले की न्याय्यता का ध्यान रखा जायेगा ।

विदेशी आय

*२६०. **श्री बंसल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में उपार्जन (एक्रुअल) या यथाक्रम (अराइज़िग) आधार पर कितनी विदेशी आय पर आयकर निर्धारित किया गया है ;

(ख) उक्त वर्षों में उपार्जन आधार पर निर्धारित की गई इस प्रकार की विदेशी आय पर कितना आय-कर देय है ;

(ग) उक्त वर्षों में इस प्रकार की आय के सम्बन्ध में कितनी एकपक्षीय छूट या अन्य प्रकार की छूट दी गई ;

(घ) उक्त वर्षों में इस प्रकार की विदेशी आय पर कितना शुद्ध कर देय है ; तथा

(ङ) यदि इस प्रकार के विदेशी लाभों पर करारोपण नहीं किया जाता और इसका भारतीय आय पर कर की दर निर्धारित करने के लिये ही ध्यान रखा जाता तो उक्त वर्षों में राज कोष के राजस्व में कितनी हानि होती ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख) । निर्धारण वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में उपार्जन आधार पर निर्धारित विदेशी आय तथा उस पर लगाये गये कर के आंकड़े ये हैं :

	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३
	(लाख रुपयों में)		
आय	९,६२	२३,२२	८,०९
कर	२,९४	४,७८	३,५९

(ग) से (ङ) तक। यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त मामलों से सम्बन्धित आंकड़ों को तय्यार करने में पर्याप्त समय लगेगा और इस पर भी विश्वास योग्य सूचना उपलब्ध नहीं हो सकेगी, क्योंकि इन आंकड़ों को तय्यार करने में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री नानादास : इन वर्षों के दौरान में आय और करों में कमी होने के क्या कारण हैं ?

श्री एम० सी० शाह : कमी कहां हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में तीसरे वर्ष में कमी हुई है।

श्री एम० सी० शाह : १९५१-५२ में आय २३.२२ करोड़ रुपये हुई थी और कर की राशि ४.७८ करोड़ रुपये थी। उस वर्ष बकाया मामलों को निबटाने के लिये कार्यवाही की जा रही थी और बहुत से मामले निबटा भी दिये गये थे। उससे बाद वाले वर्ष में बहुत से छोटे छोटे मामले थे जिन पर कम स्तर पर कर लगाया गया था अतः कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

तस्कर व्यापार

*२६१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५३-५४ में भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की सीमा पर चौकियों (प्रिवेंटिव चैक पोस्ट्स) द्वारा अब तक पकड़े गये चोरी छिपे ले जाये जाने वाले माल का कुल मूल्य कितना है ; तथा

(ख) क्या चोरी छिपे माल ले जाने वाले किन्ही व्यक्तियों को दण्ड दिया गया था ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) १९५३-५४ (३१ दिसम्बर १९५३) में चौकियों पर पकड़े गये चोरी छिपे ले जाये जाने वाले माल के कुल मूल्य का अनुमान लगभग ९०,२०,४१० रुपये है ; इसमें भू-सीमा शुल्क केंद्रों पर पकड़े गये माल का मूल्य सम्मिलित नहीं है जो लगभग ३८,८३८ रुपये है।

(ख) जी हां। १९५३-५४ में (३१ दिसम्बर १९५३ तक) चोरी छिपे माल ले जाने वाले कुल ४,५८० व्यक्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की गई तथा कुल ११४ व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में अभियोग चलाये गये।

सरदार हुक्म सिंह . इस सीमान्त पर कौन कौन सी मुख्य चीजें चोरी छिपे ले जाई गई थीं ?

श्री ए० सी० गुहा: मुख्य चीजें सोने की घड़ियां, फाउन्टेन पैन, ताश, आभूषण, हीरे जवाहरात, दीवार वाली घड़ियां, सिगरेट लाइटर्स तथा अन्य बहुत प्रकार की चीजें थीं। भारत के बाहर चोरी छिपे ले जाई गई तथा निर्यात की गई चीजों में जानवर, दाल, खाद्यान्न, खानें के काम में आने वाले तेल, ईंधन की लकड़ी, खली, रुई, साइकिल आदि हैं।

सरदार हुक्म सिंह : एक बार में पकड़े गये सब से अधिक माल का मूल्य कितना था ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि चौकियों पर एक बार पकड़े गये माल, जिसमें दीवार घड़ियां तथा छोटी घड़ियां थीं, का मूल्य ४७,००० रुपयें था, तथा भू-सीमा शुल्क केन्द्रों पर पकड़े गये माल का मूल्य ४,६८० रुपये था। ऐसा मालूम देता है कि पकड़े जाने वाले सब से अधिक माल का मामला यही है।

श्री कासलीवाल : क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि यद्यपि चोरी छिपे माल ले जाने वाले बहुत से व्यक्तियों को दण्ड दिया गया था, किन्तु कानून में कमी होने के कारण न्यायालयों के आदेशानुसार ज़ब्त की गई सम्पत्ति को लौटा देना पड़ा था ?

श्री ए० सी० गुहा : यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले को जानते हो तो वह हमें बतायें । कुछ मामलों में .....

श्री कासलीवाल : ऐसे बहुत से मामले हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : चोरी छिपे माल ले जाने वाले व्यक्ति यदि चीजों का सम मूल्य दे सकते हों तो ज़ब्त की गयी चीज़ों को लौटा देने का उपबन्ध है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या चोरी छिपे माल ले जाने के मामले में किसी प्रशासनिक कर्मचारी का भी हाथ था ?

श्री ए० सी० गुहा : यदि माननीय सदस्य के पास किसी विशेष मामले की सूचना हो तो वह हमें बता दें । ऐसा हो सकता है ।

पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई कार्य

*२६२. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३-५४ में पुरातत्व विभाग ने क्या खुदाई कार्य किये थे ; तथा

(ख) ये खुदाई कार्य पुरातन भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के किन कालों से सम्बन्धित हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये** परिशिष्ट १, **अनुबन्ध** संख्या ५१]

श्री बहादुर सिंह : क्या पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त और भी कोई संस्थायें है, जो कि अपनी ओर से खुदाई का काम करती रही हैं ?

डा० एम० एम० दास : जी हां, हैं ।

श्री बहादुर सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने उन्हें खुदाई का काम जारी रखने के लिये किसी प्रकार की सहायता दी है और यदि हां, तो १९५२-५३ में कितनी राशि दी गई थी ?

डा० एम० एम० दास : उपयुक्त मामलों में सरकार कभी कभी वित्तीय सहायता देती है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आंकड़े जानना चाहते हैं ।

डा० एम० एम० दास : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं ।

श्री बहादुर सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या किन्हीं पुराने स्थानों का हाल में निरीक्षण किया गया है और क्या निकट भविष्य में वहां कोई खुदाई का काम शुरू किया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि क्या किन्हीं नये स्थानों पर खुदाई शुरू की जायेगी और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस के लिये कुछ अनुदान दिये हैं या देगी ?

डा० एम० एम० दास : जी नहीं

सेठ गोन्दि दास : खुदाई की यह जो योजना है उसमें मथुरा के और आयोध्या के चारों तरफ भी खुदाई की कोई निकट भविष्य में सम्भावना है ?

डा० एम० एम० दास : मैं प्रश्न को नहीं समझा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "क्या मथुरा के आस पास खुदाई की कोई योजनायें हैं ?"

डा० एम० एम० दास : इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसे स्थानों की जहां खुदाई की ज़रूरत है, कोई फेहरिस्त तैयार कर ली गई है और कोई प्रायारिटीज़ (प्राथमिकतायें) तैकर दी गई हैं ?

डा० एम० एम० दास : पुरातत्व विभाग एक सूची तैयार करता है । जब जानकारी के नये पद हमारे पास आते हैं, तो उन्हें सम्मिलित कर लिया जाता है ।

बीमा कम्पनियां

*२६३. **सेठ गोविन्द दास** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हाल में किसी बीमा कम्पनी के कुप्रबन्ध तथा धन के अनुचित उपयोग के सम्बन्ध में कोई आवेदन भेजे गये हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्रीएम० सी० शाह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इन सब आवेदनों पर बीमा नियंत्रक द्वारा सावधानी से विचार किया जाता है और जहां आवश्यक और संभव हो, वहां बीमा अधिनियम १९३८ के उपबन्धों के अनुसार सम्बन्धित बीमा कम्पनियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि कई शिकायतें जो कि इस सम्बन्ध में सरकार के पास आई हैं, वर्षों बीत जाने पर भी उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई ?

श्री एम० सी० शाह : ऐसा नहीं है । जब भी अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, तत्काल कार्यवाही की जाती है । शिकायतों की जांच की जाती है । नोटिस दिये गये हैं और स्पष्टीकरण मांगे गये हैं । छोटे मामलों में उन से ग़लती सुधारने के लिये कहा जाता है और बड़े प्रश्नों, कुप्रबन्ध आदि के सम्बन्ध में हम धारा ५२ (क) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पालिसी धारी जिन का बीमा कम्पनियों में स्वार्थ होता है अपने व्यापार के लिये धन रोक लेते हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं ।

श्री मुनिस्वामी क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की जांच करने के लिये एक प्रथक व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो क्या यह ठीक चल रही है ?

श्री एम० सी० शाह : कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई प्रथक व्यवस्था नहीं हो सकती । सामान्य बीमा कम्पनियों और जीवन बीमा कम्पनियों के सम्बन्ध में "संचालन संहिता" की व्यवस्था है । जीवन बीमा कम्पनियों के सम्बन्ध में इसे स्वीकार कर लिया गया है और जहां तक सामान्य बीमा कम्पनियों

का सम्बन्ध है, यह विचाराधीन है । इस "संचालन संहिता" के द्वारा कुरीतियों, छूट कमीशन आदि के सब प्रश्नों की जांच की जायगी और इन्हें नियमित किया जायेगा ।

अम्बाला विमान दुर्घटना

***२६४. सरदार ए० एस० सहगल :** **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ४ दिसम्बर १९५३ को अम्बाला के समीप एक विमान दुर्घटना हुई थी ;

(ख) इस दुर्घटना के कारण क्या थे ; और

(ग) कितने व्यक्ति मारे गये थे ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जांच समिति दुर्घटना का कारण ज्ञात नहीं कर सकी थी, क्योंकि इस मामले में जो साक्ष्य उपलब्ध था, वह बहुत सीमित था । तथापि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यह दुर्घटना न तो चालक द्वारा उड्डयन सम्बन्धी अनुशासन तोड़ने के कारण हुई थी और न ही उसकी उड़ान की थकान के कारण हुई थी । वह चालक दर्मियाने दर्जे का था और मद्यपान नहीं करता था उस दिन मौसम अच्छा था और समिति को उड़ान में किसी टेकनिकल त्रुटि का चिन्ह नहीं मिल सका ।

(ग) एक—पाइलट आफिसर बी० मसिलामानी—जो कि विमान में अकेला था । इस दुर्घटना में कोई असैनिक व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त नहीं थे ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो वायुयान की दुर्घटना हुई इससे कुल कितना नुकसान हुआ ?

श्री त्यागी : जिस वायुयान की दुर्घटना हुई, वह यहीं का बना हुआ था । उसकी क़ीमत २,७५,००० रुपये थी ।

रेजिमेंटल निधियां

***२६५. श्री एच० एन० मुकर्जी :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सेना यूनिटों की रेजिमेंटल निधियों की लेखापरीक्षा सरकार के लेखापरीक्षा विभाग द्वारा नहीं की जाती ?

(ख) यदि हां, तो इन निधियों के लेखे की परीक्षा के लिये कौन उत्तरदायी है ?

(ग) क्या इन निधियों के दुरुपयोग के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) स्टेशन लेखापरीक्षा बोर्ड ।

(ग) इस प्रकार की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को विदित है कि जवानों को यह शिकायत है कि वेतन के दिन उन के कल्याण के लिये जो धन वसूल किया जाता है, उसका सम्बन्धित पदाधिकारियों की उपेक्षा या कार्यक्षमता के कारण बहुधा दुरुपयोग होता है ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं । मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि पदाधिकारियों की ओर से कोई उपेक्षा नहीं होती, क्योंकि इन रेजिमेंटल निधियों की पड़ताल न केवल यूनिट सी० ओ० द्वारा, बल्कि एरिया कमांडर द्वारा भी और यदि आवश्यक हो, तो कमांड के जेनरल आफ़िसर कमांडिंग द्वारा और बाद में प्रधान सेनापति द्वारा भी की जाती है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सत्य है कि कुछ मामलों में रेजिमेंटल निधियां सरकार को वापस भेज दी जाती हैं और यदि हां, तो १९५३-५४ में कितने मामलों में ऐसा किया गया था ?

सरदार मजीठिया : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये, किन्तु प्रत्यक्षतः सिवाय उस हालत के जब कि यूनिट को तोड़ा जाता है, रेजिमेंटल निधियों को वापस नहीं भेजा जाता ।

इंजीनियरिंग स्नातकों को वृत्तियां

***२६६. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने सरकारी या ग़ैर-सरकारी औद्योगिक संस्थाओं में इन्जीनियरिंग स्नातकों और डिप्लोमा रखने वालों को वृत्तियां देने की एक योजना शुरू करने का निर्णय किया है ?

(ख) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने का क्या तरीक़ा है और इसके लिये क्या व्यवस्था की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : जी हां । यह योजना चालू वर्ष में शुरू की गई है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]**

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस वर्ष कितनी वृत्तियां दी गई हैं और कितनी संस्थायें निजी क्षेत्र में हैं और कितनी सरकारी क्षेत्र में ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, इस वर्ष २२५ उम्मीदवारों को वृत्तियां दी गई हैं । जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है, लगभग ५६ निजी औद्योगिक संस्थाओं ने इन स्नातकों और डिप्लोमा वालों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया है जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, रक्षा संस्थाओं, रेलवेज़ और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने उनके प्रशिक्षण के लिये सुविधायें दी हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अखिल भारतीय टेकनिकल शिक्षा परिषद् के अधीन प्रादेशिक समितियां हैं । इन में से कितनी वृत्तियां विभिन्न प्रादेशिक समितियों के अधीन दी जाती हैं—मेरे विचार में चार प्रादेशिक समितियां हैं ?

डा० एम० एम० दास : उम्मेदवारों का चुनाव करने के लिये, चुनाव समितियां हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार और औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं । पहले कुछ प्रबन्ध प्रादेशिक समितियों द्वारा किया जाता था ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं विभिन्न प्रदेशों में दी जाने वाली २२५ वृत्तियों का ब्योरा जानना चाहूंगी ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, १८० स्नातकों को १५० रुपया प्रतिमास दिया गया है और ४५ डिप्लोमा वालों को ७५ रुपया प्रति मास दिया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या चुनाव उन प्रशिक्षण उप-समितियों द्वारा किया जाता है, जिनका विवरण में उल्लेख किया गया है या अन्तिम चुनाव स्वयं शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, ये उप-समितियां अभी नहीं बनीं । चुनाव औद्योगिक संस्थाओं के सहयोग से भारत सरकार अर्थात् शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है ।

हिन्दी प्रचार

***२६७. श्री झूलन सिन्हा** : क्या **शिक्षा** मंत्री उन संस्थाओं तथा व्यक्तियों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९५३-५४ में हिन्दी के प्रचार

तथा प्रसार के हेतु वित्तीय सहायता दी गई है अथवा दिये जाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव : (डा० एम० एम० दास): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]**

श्री झूलन सिन्हा : तीन विशिष्ट संस्थाओं अर्थात अखिल भारतीय हिन्दी परिषद् आगरा हिन्दुस्तानी कलचर सोसायटी इलाहाबाद तथा मैसूर रयासत हिन्दी प्रचार समिति बंगलौर को क्या क्या राशियां दी गई थीं और क्या मंजूर की गई राशियों के व्यय पर भारत सरकार द्वारा कोई नियंत्रण रखा जाता है ?

डा० एम० एम० दास : वर्ष १९५३-५४ के लिये अखिल भारतीय हिन्दी परिषद् आगरा के लिये ५०,००० रुपये की राशि मंजूर की गई है जिसमें से २५,००० रुपया दिया जा चुका है । हिन्दुस्तानी कलचर सोसायटी इलाहाबाद के लिये ६०,००० रुपये की राशि मंजूर हुई है जिसमें से १५,००० रुपया दिया जा चुका है । मैसूर रियासत हिन्दी प्रचार समिति को ५,००० रुपया दिया गया है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि १५ वर्षों के अन्दर हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान लेना है गवर्नमेंट इस बात का कुछ विचार कर रही है कि १९५३-५४ में जो सहायतायें दी गई हैं उनको १९५४-५५ में बढ़ा दिया जाय काफी तौर पर, खास कर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और दक्षिण भारत की दूसरी सभाओं के लिये ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, हिन्दी शिक्षा समिति नाम की एक केन्द्रीय मंत्रणा समिति है । सरकार हिन्दी संस्थाओं को सहायता देने के विषय में उस समिति की सिफारिशों को और प्राप्य धन राशि को ध्यान में रखते हैं । इस के अतिरिक्त सरकार ने स्वयं भी देश में हिन्दी प्रचार के हेतु बहुत कुछ उपाय किये हैं ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के लिये अनुदान देते समय प्रत्येक प्रकरण की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया था ?

डा० एम० एम० दास : मंत्रणा समिति अर्थात् हिन्दी शिक्षा समिति इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार करती है तथा अपनी सिफारिशें देती है । अधिकांश प्रकरणों में केन्द्रीय सरकार धन प्राप्त होने पर इन सिफारिशों को मान लेती है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या बिहार के श्री शिवपूजन सहाय के सम्बन्ध में उक्त समिति की सिफारिशें पूर्णतया मान ली गई थीं ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, यह प्राप्य धन राशि पर निर्भर होता है । धन होने पर उन्हें पूर्णतया मान लिया जाता है ।

भारत के उच्चकोटि के ग्रन्थों का अनुवाद

***२६८. श्री मुनिस्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मध्यपूर्व देशों में वितरण के लिये भारत के उच्चकोटि के ग्रन्थों के अरबी अनुवाद के सस्ते प्रकाशन निकालने का सरकार विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना रुपया व्यय किया गया है ?

(ग) क्या अनुवाद के लिये, उच्चकोटि के उचित ग्रन्थ छांटने के लिये कोई समिति बनाई गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) इस कार्य के लिये कोई निश्चित धनराशि पृथक् नहीं रखी गई है।

(ग) नहीं।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुवाद मूल पुस्तकों से किये जायेंगे या उनके अंग्रेज़ी अनुवादों से किये जायेंगे जो कि पहले किये जा चुके हैं ?

डा० एम० एम० दास : अनुवाद तो पहले ही मौजूद हैं। अरब के एक कवि, वदी बोस्तनिहास, द्वारा इनमें से कई ग्रन्थों के अनुवाद किये जा चुके हैं। अरब के कवि के उन अनुवादों का कापीराइट भारत सरकार खरीदने का विचार करती है।

श्री मुनिस्वामी : क्या अनुवाद करने के लिये भारत के उच्चकोटि के ग्रन्थों का चुनाव किया जा चुका है ?

डा० एम० एम० दास : हमने उस अरबी कवि के अनुवादों से ग्रन्थ छांटे हैं। उन ग्रन्थों की सूची हम दे सकते हैं जिनका कापीराइट सरकार खरीदने का विचार करती हैं।

श्री मुनिस्वामी : इन ग्रन्थों के अनुवाद करने के लिये व्यक्तियों का चुनाव राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा या केन्द्र द्वारा ?

डा० एम० एम० नास : उक्त अरबी कवि द्वारा अनुवाद किये जा चुके हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : अरबी कवि के इन ग्रन्थों का कापीराइट खरीदने के पूर्व क्या संस्कृत तथा अरबी दोनों में पारंगत किसी भारत वासी से इन ग्रन्थों के सम्बन्ध में परामर्श लिया गया है कि इन अनुवादों में मूल ग्रन्थों का सांस्कृतिक पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट है या नहीं ?

डा० एम० एम० दास : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

भाग "ग" राज्यों की राज भाषा

*२६९. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार अंग्रेज़ी को भाग "ग" राज्यों की, राज-भाषा घोषित करने का विचार कर रही है ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि विभिन्न विधान मण्डलों में जो विधेयक या संशोधन पुरःस्थापित किये जायेंगे, या जो अधिनियम पारित होंगे, अथवा इन विधियों के अन्तर्गत, जो नियम या उपनियम बनाये जायेंगे, या जो आदेश जारी होंगे, वे सब अंग्रेज़ी में होंगे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). क्योंकि इस बात में कुछ संदेह था कि क्या संविधान का अनुच्छेद ३४८ भाग "ग" राज्यों पर पूरी तरह लागू होता है, इस लिये जो विधेयक अब लोक सभा के सामने प्रस्तुत है उस में अनुच्छेद ३४८ को भाग "ग" राज्यों पर पूरी तरह से लागू करने का उपबन्ध किया गया है तथा इस विषय के सम्बन्ध में भाग 'ग' राज्यों को वही स्थान देने का प्रयत्न किया गया है जो भाग 'क' तथा 'ख' राज्यों को प्राप्त है।

श्री भागवत झा आज़ाद : जब संविधान में हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों को ही राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है तो फिर इस आकस्मिक परिवर्तन का क्या कारण है, और क्यों यह अंग्रेज़ी भाषा इन राज्यों पर लादी जा रही है ?

डा० काटजू : क्या मैं सम्मानपूर्वक निवेदन कर सकता हूं कि प्रश्नों का घण्टा बीतने के पश्चात् जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हैं उसमें इसी विषय पर वादविवाद होने जा रहा है तथा यदि आप अनुपूरक प्रश्नों की आज्ञा नहीं देंगे तो समय की बचत हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : हां। अगला प्रश्न।

पौंड पावना

*२७०. **श्री एस० एन० दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५२ के अन्त में तथा जनवरी १९५४ में हमारे पौंड पावना की स्थिति क्या थी ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : हमारा पौंड पावना दिसम्बर १९५२ के अन्त में ७१०.७५ करोड़ रुपया तथा जनवरी १९५४ के अन्त में ७३४.३२ करोड़ रुपया था ।

श्री एस० एन० दास : लेखा संख्या १ तथा लेखा संख्या २ में कितनी धन राशि बाक़ी है ?

श्री बी० आर० भगत : यह तो गुप्त रखे जाते हैं ।

श्री एस० एन० दास : लेखा संख्या २ में कितनी धन राशि प्राप्य है जिसे भारत सरकार निकाल सकती है ? दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिये कि लेखा संख्या २ से कितनी धनराशि का लेखा संख्या १ में स्थानांतरण किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर देना गुप्त जानकारी को बताना है ।

श्री साधन गुप्त : उत्पादन तथा उपभोक्ता सामग्री के आयात के आधार पर पौंड पावने में अब कितनी कमी हो गई है ?

श्री बी० आर० भगत : 'उपभोक्ता सामग्री' तथा 'पूंजीगत माल' इस प्रकार की तो कोई श्रेणियां नहीं हैं किन्तु 'यन्त्र तथा मशीन'; 'औद्योगिक कच्चा सामान और अत्यावश्यक तथा अत्यावश्यक के अतिरिक्त उपभोक्ता सामग्री' नामक श्रेणियां तो हैं अतः उपभोक्ता तथा उत्पादन सामग्री के मात्रा सम्बन्धी आंकड़े देना सम्भव नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या ब्रिटिश लोक सभा में वित्त मंत्री के उस वक्तव्य की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अब अपने पौंड पावनों से धन नहीं निकालेगा ?

श्री बी० आर० भगत : उस वक्तव्य का तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है किन्तु यह सत्य है कि पौंड पावना समझौते में जो धन-राशि निश्चित हुई थी उससे बहुत कम हमने उससे ली है ।

श्री टी० एन० सिंह : एक औचित्य प्रश्न है : राजस्व के आय के साधनों, उसकी बक़ाया धन राशि तथा व्यय सम्बन्धी लेखाओं पर इस सदन का पूरा पूरा नियंत्रण है । किन्तु जब यह पौंड पावना धन राशि आय के साधनों के अन्तर्गत आती है तो फिर इसे गुप्त क्यों बनाया जा रहा है इसे प्रकट क्यों नहीं किया जाता । चूंकि इस स्थिति के बारे में जानना हमारा अन्तर्निहित अधिकार है अतएव इसे बता देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : एक औचित्य प्रश्न के रूप में नहीं अपितु आपने इसे एक प्रश्न के रूप में रखा है ।

श्री टी० एन० सिंह : इसके बारे में जानना हमारा अधिकार है । फिर इसके बारे में सदन को क्यों न बता दिया जाय ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : इसके योग के बारे में तो बता दिया गया है किन्तु इन दो लेखाओं में जो विवरण किया गया है, सार्वजनिक हित के नाते से उसे बताना वांछनीय नहीं है । जब सरकार किसी चीज़ के बारे में बताना सार्वजनिक हित की दृष्टि से अच्छा नहीं समझती तो उसे बताने के लिये अथवा न बताने के लिये बाध्य करने के बारे में निश्चय करना सदन पर निर्भर है । आज हमारी स्थिति अच्छी है, एक दिन

आ सकता है जब हमारी स्थिति उतनी अच्छी न रहे और देश के व्यापार में तथा देनगी की बक़ाया राशि के विषय में ऐसी विभिन्न धारायें बहने लगें जो देश के हित के विपरीत हों।

श्री साधन गुप्त : यन्त्र मशीन आदि, तथा अत्यावश्यक के अतिरिक्त सामान के आयात के कारण बकाया लेखा में कितनी कितनी धन राशि की कमी हो गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : किसी वर्ष विशेष में, आयात की गई मशीन यंत्र आदि का मूल्य हम बता सकते हैं—माननीय सदस्य जिस वर्ष का भी चाहें—चाहे वह १९५१, १९५२ अथवा १९५३ हो, पूछ सकते हैं; किन्तु इसके किस भाग के कारण बक़ाया राशि में कमी हुई है यह मैं नहीं बता सकता।

प्रतिकर का भुगतान

***२७१. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मद्रास इंजीनियर ग्रूप की ३६२ वीं फील्ड कम्पनी से सम्बन्धित भारतीय सेना के सात सिपाही सितम्बर, १९५३ में आसाम में चट्टान खिसकने के फलस्वरूप मर गये थे; तथा

(ख). यदि हां तो क्या शोक संतप्त परिवार को पर्याप्त प्रतिकर तुरन्त ही भुगतान करने के लिये सरकार ने उचित प्रबन्ध कर दिये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १९ सितम्बर १९५३ को मद्रास इंजीनियर ग्रुप की ३६२वीं फील्ड कम्पनी से सम्बन्धित भारतीय सेना के ५ सिपाही (७ सिपाही नहीं) आसाम में चट्टान खिसकने के फलस्वरूप मर गये थे।

(ख) मृतकों में से दो व्यक्तियों के वेतन की बकाया धनराशि उनके उत्तराधिकारियों को दे दी गई है शेष तीन सिपाहियों के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में स्थानीय असैनिक प्राधिकारियों द्वारा जांच हो रही है। प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक ने रिकार्ड आफीसर को यह अधिकार दे दिया है कि वह पांचों परिवारों को पारिवारिक निवृत्ति-वेतन की आन्तरिक राशि दे दें।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस प्रकार के दुर्घटना वाले मामलों में पारिवारिक निवृत्ति वेतन के परिगणन के सम्बन्ध में साधारण नियम लागू होते हैं अथवा विशेष उपबन्ध ?

सरदार मजीठिया : भारतीय सेना के नियम उन मामलों में लागू होते हैं।

अखिल भारतीय मुस्लिम कनवेन्शन, अलीग

***२७२. श्री रघुवीर सहाय** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ के उत्तर का निर्देश करते हुये यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में होने वाले अखिल भारतीय मुस्लिम कनवेंशन में जिन व्यक्तियों ने आपत्तिजनक भाषण दिये थे उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करन का विचार रखती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) पश्चिमी बंगाल सरकार ने २८ जनवरी १९५४ को निवारक निरोध अधिनियम १९५० के अधीन सैयद बद्रुददोज़ा को बन्दी बना लिया है और उनके अध्यक्ष पद से दिय गये अभिभाषण की छपी हुई प्रतियों को जब्त करने का आदेश दे दिया है। सदर मजलिस इस्तकबालिया मुस्लिम कनवेंशन के भाषण वाली सभी पुस्तिकाओं को जब्त करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने

दिया है। जब्ती के ये आदेश सारे देश में लागू होंगे ।

इशाक़ इल्मी को २९ जनवरी १९५४ को बन्दी बनाया गया था । कनवेंशन में जो भाषण दिया था उसके सम्बन्ध में भारत दंड-संहिता की धारा १२४क तथा १५३क के अधीन उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

श्री रघुवीर सहाय : यह मानते हुये कि माननीय मंत्री ने उन सभी आपत्तिजनक भाषणों को पढ़ा है जो कनवेंशन में दिये गये थे तो क्या भारतवर्ष में रहने वाले मुसलमानों की ओर से वास्तव में ही कोई उचित शिकायत थी ?

श्री दातार : सच्ची शिकायतें तो बहुत ही कम थी ।

श्री रघुवीर सहाय : उस कनवेंशन में अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने क्या भाग लिया और क्या उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इस अस्पष्ट प्रश्न के उत्तर के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री रघुवीर सहाय : इस बात को दृष्टिगत रखते हुये कि अलीगढ़ पुरानी मुस्लिम लीग का जिसने कि देश का विभाजन कराया, जन्म स्थान रहा है, क्या माननीय मंत्री इस बात के बारे में निश्चय करेंगे कि अन्य नये संगठन जैसे आल इंडिया मुस्लिम जमायत उसी भयंकर रास्ते पर नहीं चलेगी ?

डा० काटजू : माननीय सदस्य की मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि सभी उचित बातों के सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक जानकारी प्राप्त करूंगा ।

श्री रघुरामय्या : मैं यह तो नहीं चाहता कि माननीय मंत्री जी उन सभी भाषणों को पढ़ें जिनके बारे में यह कार्यवाही की गई है किन्तु उन भाषणों की सामान्य गतिविधि के बारे में मैं जानना चाहता हूं ।

डा० काटजू : मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि उन भाषणों का सामान्य भाव असंतोष उत्पन्न करना था । यह तो एक ऐसा मामला है जिसकी जांच न्यायालय में होनी चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि सैयद बद्रुददोजा को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन बन्दी बनाया गया था तो क्या उनका मामला परामर्शदायी समिति के समक्ष रखा गया है ?

डा० काटजू : इसके बारे में निश्चित रूप से तो मैं नहीं जानता । विधि के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है ।

पाकिस्तान प्रतिभूतियां

*२७३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार ने भारत वर्ष में रहने वाले उन भारतीय व्यक्तियों को जिनके पास पाकिस्तानी प्रतिभूतियां हैं तथा पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले उन व्यक्तियों को जिनके पास भारतीय प्रतिभूतियां हैं किस समझौते के अधीन ब्याज तथा मोचन आय का भुगतान किया है ;

(ख) क्या दोनो सरकारों के बीच हुये समझौते के अनुसार प्रतिभूतियों तथा अन्शों पर मिलने वाले ब्याज तथा लाभांश विनिमय की सरकारी दरों के अनुसार एक देश द्वारा दूसरे देश को भजा जाता है ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार अपने राष्ट्रजनों को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर विनिमय की सरकारी दरों के अनुसार ब्याज तथा मोचन आय का भुगतान कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार उन भारतीय व्यक्तियों को जिनके पास पाकिस्तान की प्रतिभूतियां हैं उन पर ब्याज तथा मोचन आय उसी मूल्य के अनुसार भुगतान कर रही है—इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) सदस्य द्वारा बताये गये आशय के अनुसार तो ऐसा कोई विशेष समझौता नहीं है । विभाजन प्रबन्ध की जो सामान्य रूप रेखा थी और जिसके अधीन विभाजन से पूर्व दोनों देशों के बीच भुगतान हुआ करते थे वही प्रक्रिया अब भी चल रही है ।

(ख) दोनों देशों के बीच ऐसे समझौते का जिसके अधीन रुपया इधर उधर भेजा जा सके कोई प्रश्न ही नहीं उठता । रुपया भेजने के ढंगों के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये कि किस प्रकार वह देश रुपया भेजे प्रत्येक देश स्वतंत्र है । हालांकि दोनों देशों के वर्तमान विनिमय नियंत्रण विनियमन के अधीन उन व्यक्तियों की जो वहां के रहने वाले नहीं हैं प्रतिभूतियों तथा अंशों पर ब्याज तथा लाभांश का रुपया भेजने की अनुज्ञा है । विनिमय की सरकारी दरों के अनुसार यह रुपया भेजा जायेगा ।

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) विभाजन से पूर्व ये भुगतान मूलत: भारतीय रुपयों में हुये थे, और चूंकि सरकारी दरों के अनुसार इनका भुगतान करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार का कोई विशेष प्राधिकार नहीं है अत: यह पाकिस्तान के दायित्व हैं और यही कारण है कि उनका भुगतान उसी मूल्य पर हो रहा है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह तथ्य है कि जितने लेन देन सरकार करती है या सरकार के मारफत किये जाते हैं वे विनिमय की सरकारी दर के अनुसार किये जाते हैं?

श्री बी० आर० भगत : हां, श्रीमान् ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : यदि हां, तो इस लेन देन को अपवाद क्यों माना गया है ?

श्री बी० आर० भगत : यह लेन देन दो सरकारों के बीच होने वाला लेन देन नहीं है। यह तो पाकिस्तान का दायित्व है और इसके सम्बन्ध में पाकिस्तान का कोई निश्चित प्राधिकार भी नहीं है । इस लिये सरकारी दर के अनुसार भुगतान करना उचित नहीं समझा गया । संभावना यह भी थी कि सरकारी दर के सममूल्य दर से अधिक होने के कारण पाकिस्तान सरकार उक्त लेन देन को स्वीकार करने से इन्कार कर देगी इस लिये इस कार्य के लिये सरकारी दर अर्थात् ऊंची दर को उचित नहीं समझा गया ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार की ओर से भारतीय प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा मोचन मूल्य सरकारी दर से देने का कोई प्राधिकार दिया गया है? यदि सरकार ने यह प्राधिकार दे दिया है तो भारतीय नागरिकों को घटी हुई दर से क्यों भुगतान किया जाता है तथा हानि पहुंचाई जाती है ?

श्री बी० आर० भगत : स्पष्ट है कि सरकार भी वैसा ही व्यवहार कर रही है क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी दर, सममूल्य दर से कम है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : यदि सरकार को पाकिस्तान सरकार की ओर से भुगतान करना है तो सरकार, भारतीय नागरिकों को, पाकिस्तान प्रतिभूतियों का,

वही मूल्य देने के स्थान पर, कम मूल्य क्यों देती है ?

श्री बी० आर० भगत : प्रश्न यह नहीं है कि भारत सरकार भारतीय नागरिकों को भुगतान कर रही है । यह भुगतान हम पाकिस्तान सरकार की ओर से कर रहे हैं । हमने पाकिस्तान सरकार से पूछा था । उन्होंने हमें सरकारी दर से भुगतान करने का प्राधिकार नहीं दिया था । इसलिये सरकारी दर से भुगतान करना उचित नहीं समझा गया जो कि ऊंची दर है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

भाषाई अल्पसंख्यक

*२७४. **श्री बी० सी० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कौन से राज्य, अपने भाषाई अल्पसंख्यकों को, अपनी अपनी मातृ भाषा में, शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दे रहे हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने, भाषाई अल्पसंख्यकों के शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी अधिकारों पर, राज्यों को कोई हिदायतें जारी की हैं ; तथा

(ग) यदि हां तो राज्यों ने इन हिदायतों का कहां तक पालन किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) से (ग) तक । सदन पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]**

श्री बी० सी० दास : केन्द्रीय सरकार को किन राज्य सरकारों के विरुद्ध, अल्पसंख्यकों की मातृभाषा में शिक्षा देने की नीति के विरुद्ध व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

डा० एम० एम० दास : हमारे पास, बम्बई सरकार के विरुद्ध सिन्धी भाषा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध उर्दू भाषा के सम्बन्ध में, तथा बिहार सरकार के विरुद्ध बंगाली भाषा के सम्बन्ध में शिकायतें आई हैं ।

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायतें आई हैं कि सराय केला तथा खरसवां राज्यों के बिहार में विलय होने के पश्चात्, उक्त राज्यों में उड़िया के स्कूल बन्द किये जा रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

डा० बी० सी० दास : क्या सरकार के पास, इस नीति के पालन न करने की राज्य सरकारों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच करने का कोई संगठन है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार के पास इन शिकायतों की जांच करने का कोई अलग संगठन नहीं है । जब कभी ऐसी शिकायतें केन्द्रीय सरकार के पास आती हैं तो राज्य सरकारों से इस विषय में ध्यान देने की तथा इन शिकायतों को दूर करने की प्रार्थना की जाती है ।

श्री साधन गुप्त : उर्दू भाषा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतें किस प्रकार की हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बैरो : क्या केन्द्रीय सरकार ने, भाषावार अल्पसंख्यकों को, अपनी अपनी मातृभाषा में, परीक्षा देने की अनुमति देने के सम्बन्ध में, परीक्षा अधिकारियों को, कोई हिदायतें जारी की हैं ।

डा० एम० एम० दास : राज्य शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था । इस

सम्मेलन की सिफ़ारिशें सब राज्य सरकारों के पास भेज दी गई हैं। जहां तक इस विशेष प्रश्न का सम्बन्ध है मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

विभागीय पदोन्नति समितियां

*२७५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वे उम्मीदवार, जो नामों की तालिका में उचित स्थान नहीं प्राप्त कर पाते हैं अथवा वे उम्मीदवार जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उच्चतर प्राधिकारियों के पास अभ्यावेदन भेज सकते हैं ; तथा

(ख) क्या सरकार, विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा चुनाव की प्रक्रिया में, कोई परिवर्तन करने का विचार करती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ऐसे अभ्यावेदन करने में कोई रुकावट नहीं है। अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है।

(ख) नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विभागीय पदोन्नति समितियां जिसमें विभागाध्यक्ष तथा विभाग के दो या तीन पदाधिकारी और भी हैं, प्रान्तीयता, पक्षपात तथा परिवारपोषण की भावनाओं में बह सकती हैं ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कर्यवाही की है ?

श्री दातार : सरकार को इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि ये बोर्ड इस प्रकार की भावनाओं में बह सकते हैं और माननीय सदस्यों को मैं यह बता देना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य इन निकायों का सभापतित्व भी करते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या ये विभागीय समितियां प्रार्थियों की वरिष्ठता का भी ध्यान रखती हैं ?

श्री दातार : मुख्य बात तो गुणावगुण है, वरिष्ठता तो केवल सहायक अंग के रूप में आ सकती है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को गोटेवाला समिति की सिफ़ारिशों के बारे में ज्ञान है कि वरिष्ठता का भी विचार किया जाना चाहिये ?

श्री दातार : यही तो मैं ने कहा कि वरिष्ठता के बारे में विचार किया जाता है और वह सहायक अंग के रूप में आती है ; मुख्यतः तो गुणावगुण ही पर विचार किया जाता है।

श्री तिम्मय्या : क्या पदाधिकारियों की पदोन्नति करते समय अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का विशेष खयाल किया जाता है, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री दातार : जहां तक पदोन्नति की बात है उस मामले में कोई रक्षण नहीं है। रक्षण तो केवल नियुक्ति एवं भर्ती के समय किया जाता है।

श्री तिम्मय्या : मैं ने पूछा था कि क्या उनका कोई विशेष ध्यान रखा जाता है।

एक माननीय सदस्य : अर्थात् रक्षण।

श्री दातार : किसी प्रार्थी के गुणावगुण में ही "विशेष ध्यान" निहित है।

भारतीय विमान बल के जट वायुयान की दुर्घटना

*२७६. **श्री एन० एम० लिंगम** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ६ जनवरी, १९५४ को वेलोर के निकट भारतीय विमान बल के जेट वायुयान की दुर्घटना हो गई थी ?

(ख) किन परिस्थितियों में यह विमान दुर्घटना हुई ?

(ग) क्या भारतीय विमान बल ने जांच न्यायालय बैठाया था ?

(घ) यदि हां, तो उस जांच-न्यायालय के निर्णय क्या हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) तक । जांच न्यायालय के लिये आदेश तो ७ जनवरी, १९५४ को ही दे दिया था किन्तु उसकी कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है । ज्ञात बातें तो ये हैं कि एच० ए० एल० में जोड़े गये वेम्पायर विमान का जब फ्लाइट लेफ्टीनेंट डंडेयानी वायु परीक्षण कर रहे थे तो उसका इंजिन कट गया और विमान चालक फ्लाइट लेफ्टीनेंट डंडेयानी कूद कर सही सलामत आ गये ।

श्री एन० एम० लिंगम : विमान बल में आने से पूर्व यह विमान कहां जोड़ा गया तथा कहां उसका परीक्षण किया गया था ?

श्री त्यागी : जैसा कि मैं ने कहा था कि यह विमान एच० ए० एल० में जोड़ा गया था और फ्लाइट लेफ्टीनेंट डंडेयानी इसका परीक्षण कर रहे थे ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या परीक्षण उड़ानों में अकेले विमान चालकों को ही भेजने की प्रथा है, और यदि रेडियो पदाधिकारी अथवा सहचालक को भी साथ में भेजा जाय तो क्या सरकार यह नहीं समझती कि ये दुर्घटनायें टल सकती हैं ?

श्री त्यागी : ये विमान एक ही चालक द्वारा चलित विमान हैं और जब इनका परीक्षण होता है तो किसी न किसी चालक को इसके परीक्षण के लिए जाना होता है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या भारतीय विमान बल में घातक दुर्घटनाओं का औसत महीने में एक दुर्घटना है और क्या सरकार इस प्रकार की दुर्घटनाओं के घातक परिणामों के सम्बन्ध में जानती है ?

श्री त्यागी : दुर्घटनाओं की संख्या धीरे धीरे घट रही है । सन् १९४९ में जब कि प्रति १० हज़ार घंटों में दुर्घटनाओं की संख्या २.८ थीं सन् १९५३ में घट कर केवल १.४ रह गई थी । साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि हम अपने यहां की दुर्घटनाओं का एक बड़ी विमान शक्ति से तुलना करें-- उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा--तो स्थिति निम्न है : सन् १९५१ में जब कि उनके यहां घटनाओं की संख्या १८·२ थी तो हमारे यहां केवल १३·० थी । सन् १९५२ में उनके यहां ११·३ हमारे यहां ११ ; सन् १९५३ में उनके यहां १०·७ तो हमारे यहां केवल ३ थी ।

सांस्कृतिक शिष्टमण्डल

***२७७. सेठ अचल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारत आये विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों में से कितनों को सरकार ने आमन्त्रित किया था ; तथा

(ख) यदि कोई संस्था किसी विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमण्डल को आमन्त्रित करना चाहे तो क्या उसके लिये ऐसा करने से पहिले सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) कोई नहीं ।

(ख) नहीं ।

सेठ अचल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फारन कल्चरल

डेलीगेशन्स को बुलाने के सम्बन्ध में गवर्नमेंट की क्या पालिसी है ?

डा० एम० एम० दास : इस मामले में सरकार की नीति यह है कि जब कभी सरकार चाहती है कि किसी देश से सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल आये हैं तो वे उन्हें आमन्त्रित करती हैं। यह सरकारी स्तर पर होता है ।

सेठ अचल सिंह : क्या गवर्नमेंट बताने की कृपा करेगी कि जो कल्चरल डेलीगेशन्स आते हैं उनका खर्चा वह खुद उठाते हैं या गवर्नमेंट आफ इण्डिया देती है ?

डा० एम० एम० दास : जिन शिष्ट मण्डलों को भारत सरकार यहां बुलाती है, उनका व्यय भारत सरकार उठाती है । जो शिष्ट मण्डल अन्य संस्थाओं के आमंत्रण पर आते हैं उनका व्यय या तो संबंधित संस्था या स्वयं शिष्ट मंडल उठाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जो रशियन कल्चरल डेलीगेशन भारत में आया उसमें उनके लिये भारत सरकार ने कितना खर्चा किया है और कितना और करेगी ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, यदि उनका अभिप्राय उस रशियन शिष्ट मण्डल से है जो पिछली जनवरी में भारत आया है, तो रशियन सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल के लिये सरकार ने २,२०,००० रु० स्वीकृत किया है । इस धन में से ५०,००० रुपया दिया जा चुका है तथा ७०,००० रुपया शीघ्र ही दे दिया जायेगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३–५४ में जो कल्चरल डेलीगेशन्स आने वाले थे क्या उनमें से किसी को आने से मना कर दिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : नहीं, श्रीमान् । सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : रशियन कल्चरल शिष्ट मण्डल ने जो बहुत से प्रदर्शन किये हैं तथा उनसे जो आय हुई है वह कहां जायेगी ? क्या यह राजकोष में जायेगी या धर्मार्थ में जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : वे प्रधान मंत्री की सहायता निधि में जायेंगी ।

आन्ध्र को ऋण

*२७८. **श्री नानादास:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मार्च, १९५४ में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के अपने आय व्ययक को सन्तुलित बनाने के लिये आन्ध्र सरकार ने तीन करोड़ पिछत्तर लाख रुपये के ऋण की प्रार्थना की है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) तथा (ख): १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में ३.७५ करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋण के लिये १९५३ के अन्त में आन्ध्र सरकार से एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी । उन्होंने यह ऋण अपनी पूंजी गत व्यय की योजनाओं जैसे सिंचाई, विद्युत तथा निर्माण योजनाओं, "कृषकों तथा स्थानीय संस्थाओं को ऋण तथा अग्रिम देय" के अन्तर्गत वितरण, तथा ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के अपने राजस्व आय व्ययक की कमी की पूर्ति के लिये मांगा था । फरवरी में आन्ध्र राज्य के प्रतिनिधियों तथा योजना आयोग के साथ विचार विनिमय करने के उपरान्त यह निश्चय किया गया कि चालू वर्ष में आन्ध्र राज्य को ३.७५ करोड़ रुपये का ऋण दिया जाये ।

श्री नानादास : आन्ध्र सरकार ने यह ऋण मांगने के क्या कारण बताये हैं ? वे यह कमी क्यों पूरा नहीं कर सके ?

श्री सी० डी० देशमुख : स्वयं उनके साधनों की कमी के कारण ।

श्री नानादास : क्या संघ सरकार ने राजस्व के नये साधन ढूंढने के लिये आन्ध्र सरकार को निदेश दिये हैं, यदि हां तो संघ सरकार ने किन किन नये करों का सुझाव दिया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह पूंजीगत व्यय के लिये है तथा पूंजीगत व्यय के लिये हम प्रायः कर नहीं बढ़ाते हैं ।

श्री नानादास : क्या संघ सरकार ने आन्ध्र सरकार को अपनी मद्य-निषध नीति में संशोधन करने या इसे पूर्णतया समाप्त करने के लिये कुछ निदेश दिये हैं ताकि राज्य को ६ से ७ करोड़ तक रुपये की आय हो जाये ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसका पूंजीगत व्यय के इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है जिसकी मुख्य मदों का मैं पहिले उल्लेख कर चुका हूं ।

सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य निवृत्ति

***२७९. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५० के पश्चात् भ्रष्टाचार विरोध के रूप में कितने मामलों में सरकारी कर्मचारियों की अनिकार्य निवृत्ति को आदेश दिये गये हैं ;

(ख) आजकल ऐसे कितने मामलों पर सक्रिय विचार हो रहा है ; तथा

(ग) इस निश्चय के विरुद्ध कितने मामले न्यायालय में ले जाये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की, विशेष पुलिस विभाग ने जिनकी जांच पड़ताल की थी, सूचना प्राप्त है । १९५० के पश्चात् विशेष पुलिस विभाग की जांच पड़ताल के परिणाम-स्वरूप कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ है जिसमें सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य निवृत्ति लेने के आदेश दिये गये हों ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते हैं ।

पोस्त कृषि

***२८०. श्री हेमराज :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में पोस्त-कृषि बन्द कर दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस राज्य की जनता को कुछ आर्थिक सहायता देगी ?

(ग) क्या ऐसी आर्थिक सहायता के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्दीय सरकार से प्रार्थना की है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) अभी हिमाचल प्रदेश में पोस्त-कृषि बन्द नहीं की गई है । परन्तु उस राज्य की सरकार के परामर्श से तीव्र गति से कम की जा रही है ।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकार से जिसने कृषकों को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न राज्य में पोस्त-कृषि को सीमित करने पर विचारविमर्श करते समय उठाया था, विस्तृत जांच के लिये इस सम्बन्ध में लिखित ठोस सुझाव देने के लिये कहा गया है । परन्तु अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री हेमराज : क्या यह सच नहीं है कि इस पहाड़ी क्षेत्र के कृषक, जहां अन्य कोई फसल नहीं हो सकती है, नक़री की इस फसल के बन्द हो जाने से बरबाद हो जायेंगे ?

श्री ए० सी० गुहा : कुछ सीमा तक यह सच है । इसी कारण से तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से आर्थिक सहायता की योजना या कोई भी बात जो वैकल्पिक फसल के लिये की जा सकती है प्रस्तुत करने के लिये कहा है । अभी तक राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है ।

सैनिक चिकित्सा दल

*२८१. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सैनिक चिकित्सा दल के रक्षित अधिकारियों के काम करने की शर्तों का परीक्षण हो चुका है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इनको निश्चित किया जा चुका है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) तथा (ख). आशा है कि सैनिक चिकित्सा दल के रक्षित अधिकारियों की शर्तें इस वर्ष मई के अन्त तक निश्चित हो जायेंगी ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि रिज़र्व आफ़िसर आरमी मैडिकल कोर की मांगें क्या हैं ?

सरदार मजीठिया : सेना में मांगें नहीं होती है । केवल सरकार ही यह निश्चय करती है कि उन पर क्या शर्तें लागू हों ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मैं यह बताना चाहता हूं कि फौंज में मज़दूर संथों की भांति कोई मांगें नहीं होती हैं । फौजी मामलों पर उनकी विशेषताओं के अनुसार विचार होता है तथा सरकार उनका निश्चय करती है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस मामले में कोई अभ्यावेदन किये गये हैं तथा ये अभ्यावेदन किस प्रकार के थे ?

श्री त्यागी : सैनिक मुख्य कार्यालय ने सरकार से अभ्यावेदन किया था तथा इस बात पर विचार करने की प्रार्थना की थी कि क्या सरकार उन्हें निवृत्ति के उपरान्त कुछ अधिक उपदान या निवृत्ति-वेतन दे सकती है । सैनिक मुख्य कार्यालय ने यह मांग रखी थी । इसे अधिकारियों की मांग नहीं समझा जाना चाहिये ।

श्री वैलायुधन : तो फिर यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अग्रेतर प्रश्न ।

पुस्तक गोलमाल जांच पड़ताल समिति, पेप्सू

*२८२. **श्री राम दास :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पेप्सू में एक पुस्तक गोलमाल जांच पड़ताल समिति नियुक्त की गई थी ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस समिति के महत्वपूर्ण निर्णय क्या हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां ।

(ख) अभी समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री राम दास : इस समिति में सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य कितने कितने हैं ?

डा० काटजू : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि जांच पड़ताल पूर्ण हो चुकी है तथा प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर होने ही शेष थे कि सभापति की मृत्यु हो गई तथा नये सभापति की नियुक्ति हुई । क्या उसने उस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर दिये हैं या नहीं ?

डा० काटजू : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं । एक नया सभापति नियुक्त किया गया

था । मैं यह नहीं कह सकता कि उसने अपने स्वर्गीय पूर्वाधिकारी के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है अथवा मामले की जांच पड़ताल करना चाहता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या अपनी नियुक्ति के पश्चात् उसने कोई जांच पड़ताल की है ?

डा० काटजू : मैं इस प्रश्न की भी पूर्व सूचना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अग्रेतर प्रश्न ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या...

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

केन्द्रीय सचिवालय

***२८५. डा० सत्यवादी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय में "गज़ेटेड" तथा "नान-गज़ेटेड" कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनमें अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जानकारी संकलित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रखी जायगी ।

कोलम्बो योजना

***२८६. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३ में भारत को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत क्या सहायता मिली है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]**

श्री एम० एल० द्विवदी : मैं यह जानना चाहता था कि जैसा कि इस बयान में दिया गया है, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और कनाडा से जो सहायता मिलने वाली थी, इस का आशय क्या था, और जो आशय, अभिप्राय, था वह कहां तक पूरा हो चुका है ?

श्री बी० आर० भगत : आशय जो इस मदद का था वह आशय पूरा होता जा रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि इस सहायता के अन्तर्गत कौन कौन से काम किये जाने थे और वह किये गये हैं तो किस हद तक किये गये हैं ?

श्री बी० आर० भगत : जो मदद आस्ट्रेलिया से मिली है उसमें पहले साल में तो गेहूं आया । उस के बाद तुंगभद्रा इरिगेशन के लिये और रामकुन डैम इलैक्ट्रिकल प्राजैक्ट के लिये सामान आया और इस साल डीजल आयल एंजिन और आल इंडिया रेडियो के लिये सामान आया । कनाडा से जो मदद मिली उसमें भी पहले साल गेहूं आया । उसके बाद गेहूं की बिक्री से जो रुपया मिला उस से मयुराक्षी बांध की योजना बन रही है । न्यूज़ीलैण्ड से जो मदद मिली उस से आल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट को बनाने का काम किया जा रहा है ।

कर्नाटक में खुदाई

***२८७. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के कितने कन्नड़ शिलालेखों का सर्वेक्षण तथा स्पष्टीकरण किया गया है ; तथा

(ख) कर्नाटक की दृष्टि से ऐतिहासिक तथा प्राचीन महत्व के कितने खोदने योग्य स्थानों का कर्नाटक में पता लगाया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) १९५२–५३ तक ५०३७ ।

(ख) १५ स्थानों का पता लगाया गया है । इनमें से ५ की खुदाई हो चुकी है और एक की हो रही है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: क्या ये सारी खुदाई सरकारी अभिकरण द्वारा की गई है अथवा इसमें गैरसरकारी अभिकरणों से भी सहायत ली गई है ।

डा० एम० एम० दास: ऐसे कुछ गैर-सरकारी अभिकरण भी हैं जिन्होंने इनमें से कुछ स्थानों की खुदाई की है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: जिन स्थानों में खुदाई हुई है उन के नाम क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास: धर्मगिरी तथा चंद्रावली में १९४७ में पुरातत्व विभाग द्वारा खोदाई की गई । कोल्हापुर में १९४५-४६ में टेक्निकल कालेज पोस्ट-ग्रैजुएट एण्ड रीसर्च इन्स्टिट्यूट, पूना, द्वारा तथा कन्हाड़ में १९४८-४९ में भारत इतिहास संशोधन मंडल, पूना, द्वारा खोदाई की गई । विभाग द्वारा मस्की में अभी खोदाई जारी है । कुछ वर्षों के पहले बेंकाल में हैदराबाद के पुरातत्व विभाग द्वारा खोदाई की गई ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: इस क्षेत्र में और कितने स्थानों की खोदाई की जाने वाली है ?

डा० एम० एम० दास: १५ में से केवल ५ स्थानों में खोदाई की जा चुकी है । शेष स्थानों में अभी खोदाई होनी है । अन्य चार स्थानों के बारे में भी सूचना प्राप्त हुई है । वे स्थान निम्न हैं: कुदितिनी, बेल्लारी के भस्म के टीले, मैसूर राज्य में नर्सिपुर तिरुमुक्खुदल में कावेरी तथा काबिनी का संगमस्थान ।

अध्यक्ष महोदय: सारी सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । अगला प्रश्न ।

भारतीय प्रादेशिक दल

***२८९. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक**: (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नये प्रादेशिक सेना अधिनियम तथा उसके अधीन विनियमों द्वारा निरसित भारतीय प्रादेशिक दल अधिनियम तथा तदधीन विनियमों से पैदा होने वाले अवशिष्ट दायित्वों को स्वीकार करने का प्रबन्ध किया गया है ?

(ख) क्या सरकार भूतपूर्व सेना-कर्मचारियों के कष्टों से परिचित है जिन्होंने २० वर्ष से अधिक काल तक भारतीय प्रादेशिक दल तथा इमर्जन्सी कमीशन सर्विस में संयुक्त सेवा की है और जिन्हें किसी प्रकार का निवृत्ति वेतन नहीं मिला है ।

(ग) इमर्जन्सी कमिशन्ड अफ़सरों को निवृत्ति वेतन देने के बारे में जो योजना विचाराधीन है, क्या उसमें उनका भी समावेश किया जायेगा जिनके दावे भारतीय प्रादेशिक दल तथा नियमित सवेतन सेवा की संयुक्त अवधि पर आधारित ह ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) नहीं ।

(ख) सरकार के सामने अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया है । वर्तमान स्थिति यह है कि इमर्जन्सी कमिशन्ड अफसरों को, चाहे वे पहले भारतीय प्रादेशिक दल में नौकरी करते हों या न हों, निवृत्ति वेतन का अथवा उपदान का हक़ नहीं है ।

(ग) इस पर पहले से ही विचार हो रहा है किन्तु भारतीय प्रादेशिक दल के केवल सम्मिलित सेवा (एम्बोडीड सर्विस) पर ही निवृत्ति वेतन के लिये विचार किया जाना सम्भव है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक: उनको होने वाले कष्टों को देखते हुये क्या सरकार इन भूतपूर्व सैनिकों को विशेष रियायत देने के लिये तैयार है ?

श्री त्यागी: कष्टों का कोई सवाल ही नहीं है । मैं समझ नहीं पाया कि किन कष्टों का उल्लेख किया गया था ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक: क्या यह तथ्य नहीं है कि ऐसे बहुत से सैनिक अधिकारी हैं जिन्होंने अनेक वर्षों तक प्रादेशिक सेना में और बाद में नियमित सेना में और अब ५२ या ५३ वर्ष की आयु में जिन्हें बिना निवृत्ति-वेतन या उपदान दिये निवृत्त किया जा रहा है ?

श्री त्यागी: जैसा कि मैं ने कहा है, यदि वे इमर्जन्सी कमिशन्ड अफसर थे तथा प्रादेशिक सेना से सीधे भर्ती किये गये थे, तो निवृत्ति वेतन तथा निवृत्ति लाभों के लिये उनकी सम्मिलित सेवा हिसाब में ली जायेगी ।

विदेशों में अर्जित लाभ

*२९०. **श्री बंसल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) भारत में रहने वाले तथा (२) विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में विदेशों से भारत में लाये गये लाभों की राशि कितनी है ?

वित्त **उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह)**: पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है क्यों कि विदेशों से भारत में भेजे गये लाभों के बारे में पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते । आयकर विषयक आंकड़ों के अनुसार भारत में रहने वाले व्यक्तियों ने १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत में लाये हुये तथा १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में आय कर के लिये परिगणित लाभों के आंकड़े इस प्रकार हैं :

	करोड़ रुपये
१९५०-५१	६.०८
१९५१-५२	५.५५

१९५२-५३ में लाये गये लाभों का जोड़ १९५३-५४ में लगाया जायेगा । अतः उस वर्ष की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

मुद्रा नोटों को चोरी छिपे ले जाया जाना

*२९१. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २० दिसम्बर, १९५३ को बम्बई प्रतिशेध पुलिस ने चोरी छिपे ले जाये गये सोने और शराब की खोज करते हुये बम्बई के समीप हरनाई तट पर एक सूट केस पकड़ा जिस में १२ लाख रुपये के सौ सौ रुपये वाले नोट थे ;

(ख) यदि ऐसा हुआ है, तो क्या चोरी छिपे नोट ले जाने वाले को पकड़ लिया गया ; और

(ग) क्या इन बरामद किये गये रुपयों के सम्बन्ध में कुछ और तथ्यों का पता लगा है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) हां श्रीमान् । बम्बई प्रतिषेध पुलिस ने हरनाई पत्तन के समीप पाज नामक एक गांव में २० दिसम्बर, १९५३ को १२ लाख रुपये की मुद्रा पकड़ी है जो कि एक बोरी में भरी हुई थी ।

(ख) मुद्रा के स्वामी ने उस के लिये दावा किया है और मामला कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, बम्बई, के कार्यालय में चल रहा है जिसके पास बम्बई प्रतिषेध पुलिस ने मुद्रा हस्तान्तरित कर दी थी ।

(ग) बम्बई के पास डाण्डा में जो छोटा अरबी जहाज़ मुद्रा लेने की प्रतीक्षा कर रहा है, रोक लिया गया और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, बम्बई, के कलेक्टर ने उसे ज़ब्त कर लिया है ।

नरबोदा, अर्थात् जहाज़ के अरबी कमांडर के विरुद्ध भी यथोचित कार्यवाही की गई है ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

कलकत्ता में अध्यापकों की हड़ताल

अल्प सूचना प्रश्न २. श्री रघुनाथ सिंह: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में अध्यापकों ने हड़ताल की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिजली के बल्ब तोड़ दिये गये और बिजली की तारें काटी गईं जिस से दक्षिण कलकत्ता में बिल्कुल अंधेरा हो गया ;

(ग) क्या सहायता के लिये सेना बुलाई गई ;

(घ) यदि 'हां' तो कितने सैनिक वहां लगाये गये और उन्होंने कितनी बार गोली चलाई ;

(ङ) हताहतों की संख्या क्या है ; और

(च) हड़ताल के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० कांटजू): (क) अब हड़ताल समाप्त कर दी गई है । हड़ताल काल में कलकत्ता के गैरसरकारी स्कूलों के बहुत से अध्यापक अपनी नौकरी पर उपस्थित नहीं रहे । सरकारी, मिशनरी और अन्य कुछ स्कूल ठीक प्रकार से चलते रहे हैं ।

(ख) दक्षिण कलकत्ता की गलियों में बहुत से बिजली के बल्ब तोड़ दिये गये थे और दो तीन गलियों में गली की बिजली के कुछ फ्यूज़ उड़ा दिये गये । सिवाय कुछ मुख्य गलियों के कुछ भागों के, दक्षिण कलकत्ता में पूर्ण अंधेरा नहीं था ।

(ग) जी हां ।

(घ) सेना ने कहीं गोली नहीं चलाई, वह केवल पहरेदारी के काम पर लगाई गई थी ।

(ङ) ७२ पुलिस कर्मचारी और ६ साधारण जन दंगा करने वालों के हमलों में घायल हुये, पुलिस द्वारा गोली चलाने की बजाय अन्य कार्यवाही किये जाने पर ५४ साधारण जन घायल हुये, पुलिस के गोली चलाने से २० व्यक्ति घायल हुये । इस प्रकार कुल १५२ व्यक्ति घायल हो गये । पुलिस की गौली से ६ व्यक्ति मर गये ।

(च) हड़ताल का मुख्य कारण, पश्चिमी बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यपालिका समिति की सिफारिश के अनुसार मान्यता-प्राप्त सहायता लेने तथा न लेने वाले माध्यमिक शिक्षा स्कूलों के अध्यापकों के लिये ३५ रुपये प्रति मासिक मंहगाई भत्ते तथा सहायता-प्राप्त स्कूलों में अधिक मूल वेतन की मांग थी ।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या यह सच है कि जब हड़तालियों के समर्थकों द्वारा लगाई गई आग को बुझाने के लिये आग बुझाऊ दल के कर्मचारी जा रहे थे तो उन पर आक्रमण किया गया और उन्हें ज़ख्मी किया गया ।

डा० काटजू: ऐसा ही हुआ ।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या यह सच है कि बंगाल प्राविंशियल कांग्रेस कमेटी के आफ़िस और अमरीकन एन्फार्मेशन आफिस में लोगों ने आग लगाने की कोशिश की ?

डा० काटजू: जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह: सेना कितने दिन काम करती रही और क्या फौज का कोई आदमी घायल हुआ अथवा सेना की कुछ गाड़ियों को नुक़सान पहुंचाया गया ?

डा० काटजू: मेरा विचार है कि सम्भवतः वहां सेना पांच दिन काम करती

रही । फौज का कोई आदमी घायल तो नहीं हुआ, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा अश्रु गेस का प्रयोग किये जाने से पहले कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई थी ?

डा० काटजू : जब भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने विधि अधीन जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करना चाहा तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस ने अश्रु गैस प्रयोग करने का अत्यन्त अहानि-कर ढंग अपनाया ।

श्रीवती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि अश्रुगैस के प्रयोग से पूर्व हिंसात्मक कार्यों से कितने व्यक्ति घायल हुये ?

डा० काटजू : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह भी सच है कि किसी खास दल के लोगों के हाथों से आठ स्टेट बसों में आग लगा दी गई ?

डा० काटजू : जी हां ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस आन्दोलन के पीछे भारतवर्ष की किस राजनैतिक पार्टी का हाथ था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री मुनिस्वामी : जो छः व्यक्ति मारे गये उन में से कोई साधारण जन था अथवा सब बेचारे अध्यापक थे ?

डा० काटजू : क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरायेंगे ?

श्री सी० डी० पांडे : अध्यापक भी तो आदमी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या उन में कोई साधारण जन था अथवा वे सब अध्यापक थे ?

डा० काटजू : मेरा विचार है कि वे साधारण जन थे । मुझे पूरा निश्चय नहीं है । जहां तक मुझे ज्ञान है वे अध्यापक नहीं थे ।

श्री साधन गुप्त : मैं जान सकता हूं कि क्या पहले भी प्रदर्शनकारी विधान सभा में गये हैं और उन्हें बिना किसी दुर्घटना के विधान सभा में घुसने दिया गया है ?

डा० काटजू : इस अवसर पर अथवा इससे पहले ?

श्री साधन गुप्त : पहले किसी अवसर पर ।

डा० काटज : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं जान सकता हूं कि जैसे पहले एक अवसर पर हुआ है, उसी तरह इस अवसर पर भी सरकार ने पुलिस को अनुदेश दिया था कि जब वे गोली चलायें तो मारने के प्रयोजन से चलायें ?

डा० काटजू : मेरा विचार है कि एसी बात नहीं है । यह तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है और तथ्यों को बिगाड़ा गया है ।

श्री जी० एच० देशपांडे : क्या यह सच है कि पुलिस पर लोगों द्वारा पत्थर बरसाने के पश्चात् ही अश्रु गैस का प्रयोग किया गया ?

डा० काटजू : जब पत्थर फैंके गये तब अश्रु-गैस का प्रयोग किया गया । यही सामान्य सिद्धान्त है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि वहां पर कितनी ट्राम गाड़ियों में किसी खास दल द्वारा आग लगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं और प्रश्न पूछने की अनुज्ञा नहीं देता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आन्ध्र में बंदियों को राजक्षमा

*२८४. **श्री गोपाल राव**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र सरकार द्वारा उस राज्य के समस्त बन्दियों को प्रदान की गई राजक्षमा को ध्यान में रखते हुये, क्या भारत सरकार ने आन्ध्र राज्य में उन बन्दियों की मुक्ति के सम्बन्ध में सहमति दे दी है जो शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये गये थे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): जी हां ।

प्राथमिक स्कलों को सहायता

*२८८. **श्री बीरेन दत्त**: (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के पहाड़ी तथा देहाती क्षेत्रों में स्थित कितने प्राथमिक स्कूलों ने १९५३–५४ में सहायता और अभिज्ञान के लिये प्रार्थना की थी ?

(ख) कितने स्कूलों को सहायता दी गई है तथा कितनी ?

(ग) उनमें से कितने स्कूलों को सरकारी स्कूल बना लिया गया है ?

(घ) क्या उन स्कूलों की, जो सहायता प्राप्त करते हैं, इस प्रकार मदद की जाती है कि वे अपने ज़रूरी ख़र्चे को पूरा कर सकें ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) से (घ) तक । सूचना संग्रह की जा रही है और यथासमय सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

पर्वतारोहण स्कूल

*२९२. **सरदार ए० एस० सहगल**: (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या निकट भविष्य में कोई पर्वतारोहण स्कूल खोला जाने वाला है ?

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो स्कूल कहां खोला जायगा ?

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय कोई सहायता दे रहा है ?

(घ) कौन सा राज्य इस स्कूल को खोलना चाहता था ?

(ङ) क्या सरकार का विचार इस स्कूल को कोई सहायता देने का है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क), (ख) तथा (घ). पश्चिमी बंगाल सरकार के कहने पर सरकार दार्जिलिंग में एक पर्वतारोहण संस्था के स्थापित किये जाने में सहायता देने के लिये तैयार हो गई है ।

(ग) प्रारम्भिक पूंजी लागत के लिये रक्षा बजट में से अनावर्तक अनुदान देने का विचार है । यदि कर्मचारियों और उपकरणों के सम्बन्ध में, जिनकी संस्था को आवश्यकता हो सकती है, प्रार्थना की जाये तो रक्षा मंत्रालय उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा ।

(ङ) रक्षा बजट में से अनुदान दिये जाने के अलावा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय भी अनुदान देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

बिहार के विद्यालय तथा सामाजिक शिक्षा केन्द्र

*२९३. **श्री एस० एन० दास**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि की सहायता से बिहार ने उस राज्य में एक अध्यापक वाले कितने प्राथमिक विद्यालयों एवं सामाजिक शिक्षा केन्द्रों के खोलने की योजना तैयार की है ; तथा

(ख) अभी तक ऐसे कितने विद्यालय तथा सामाजिक शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं तथा उनमें नियुक्त किये गये अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) २५०० स्कूल तथा २५० सामाजिक शिक्षा केन्द्र ।

(ख) बिहार सरकार से सूचना मांगी गई है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

रक्षा सेवाओं में आत्महत्यायें

***२९४. श्री टी० बी० विट्ठलराव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में रक्षा सेवाओं में सेवावार कुल कितनी आत्महत्यायें की गईं ;

(ख) किन परिस्थितियों में और किन कारणों वश यह आत्महत्यायें की गईं ; तथा

(ग) सेवाओं में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क)

सेना	६५
नौसेना	१
वायु सेना	२

(ख) ब्योरा इस प्रकार है :—

आत्महत्या के कारण	संख्या
सेना	
घरेलू चिन्तायें	२७
दंड का भय	२
बुरा स्वास्थ्य	१
प्रेम में निराशा	४
मानसिक व्यथा	३
कारणों का पता न लग सका	२०
परीक्षा धीन मामले	८
नौ सेना	
प्रेम में निराशा	१
वायु सेना	
घरेलू चिन्तायें	१
मानसिक व्यथा	१

(ग) समीक्षा करने के अलावा आत्महत्या के प्रत्येक मामले में जांच-न्यायालय द्वारा जांच की जाती है जिस से इस बात का पता लग सके कि किन परिस्थितियों वश आत्महत्या की गई ताकि उन्हें रोकने के सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही की जा सके ।

पाकिस्तान को निर्यात किये गये चलचित्र

***२९५. श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **वित्त** मंत्री ८ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११८ के उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे :

(क) उन चल-चित्रों की संख्या और मूल्य जो २७ फरवरी, १९५१ के बाद पाकिस्तान को निर्यात किये गये और जिनके बारे में निर्धारित प्रणाली के अनुसार रुपया प्राप्त हुआ ;

(ख) २७ फरवरी, १९५१ के बाद पाकिस्तान को निर्यात किये जाने वाले उन चल-चित्रों की संख्या और मूल्य जिनके लिये यहीं पर भारतीय मुद्रा में रुपया मिला ;

(ग) ऐसे मामलों में जिनमें, कि भुगतान यहीं पर भारतीय रुपयों में किया गया था, रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया द्वारा जांच किये जाने के परिणाम; तथा

(घ) एक्सचेंज कन्ट्रोल द्वारा, इन चल-चित्रों के निर्यात के बारे में उसके उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये कितने व्यक्तियों पर मुक़दमा चलाया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). २७ फरवरी, १९५१ के

बाद ४२७ चल चित्र पाकिस्तान को निर्यात किये गये । इन में से ७२ चल चित्र, जिनका मूल्य २५,४७,८८९ रुपये १३ आने ६ पाई था, उन्हें बेच दिये गये थे, जिसमें से १८,८८,७१५ रुपये १३ आने ६ पाई निर्धारित प्रणाली के अनुसार और ३,५१,३९१ रुपये ७ आने यहीं पर प्राप्त हो गये हैं । शेष ३५५ चित्र किराये के आधार पर निर्यात किये गये थे, जिनके बारे में ५२,४०,३४० रुपये १ आना ३ पाई निर्धारित प्रणाली के अनुसार और १,७५,१८५ रुपये १४ आने यहीं पर प्राप्त हो गये हैं ।

(ग) तथा (घ). जांच अभी पूरी नहीं हुई है और कोई मुक़दमें नहीं चलाये गये हैं ।

विवेकाधीन निधियां

*२९६. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **राज्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२-५३ और १९५३-५४ में मनीपुर तथा त्रिपुरा के मुख्य आयुक्तों के विवेकाधीन कितनी कितनी राशियां रखी गई थीं ;

(ख) ये राशियां कहां से प्राप्त की गई थीं ; तथा

(ग) उक्त वर्षों में किन किन मदों के अन्तर्गत ये विवेकाधीन निधियां खर्च की गईं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) इन मुख्य आयुक्तों के विवेकाधीन अनुदानों के लिये केन्द्रीय आय-व्ययक में निम्नलिखित व्यवस्था की गई थी :

(१) मनीपुर : १९५२-५३; और १९५३-५४ में से प्रत्येक वर्ष में १०,००० रुपये ।

(२) त्रिपुरा : १९५२-५३ के लिये ९,६०० रुपये और १९५३-५४ के लिये १०,००० रुपये ।

(ख) केन्द्रीय राजस्व से ।

(ग) सदन पटल पर यथा समय एक विवरण रख दिया जायेगा ।

भारत में ब्रिटिश नागरिक

*२९७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :
क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में इस समय ब्रिटिश नागरिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इस समय भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों की संख्या पिछले ६ वर्ष में किसी समय की अपेक्षा अधिक है ; तथा

(ग) सरकारी सेवा तथा व्यापार में लगे हुए ब्रिटिश नागरिकों की संख्या क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). १९५१ की जनगणना के अनुसार, उस वर्ष भारत में लगभग २७,८४३ ब्रिटिश नागरिक थे । चूंकि ब्रिटिश नागरिकों के लिये अपने आप को विदेशियों के रूप में रजिस्टर कराना आवश्यक नहीं इस लिये यह कहना संभव नहीं कि पिछले छः वर्षों में भारत में रहने वाले ऐसे नागरिकों की संख्या में कोई घटा बढ़ी हुई है या नहीं ।

(ग) सरकारी सेवा में लगे हुये ब्रिटिश नागरिकों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी । ऊपर दिये गये कारण से, व्यापार में लगे ब्रिटिश नागरिकों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

आदिम जातीय विद्यार्थी

*२९८. **श्री बीरेन दत्त** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री उन आदिम जातीय विद्यार्थियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने १९५३ में त्रिपुरा के विभिन्न हाई स्कूलों में प्रवेश के लिये प्रार्थना-पत्र दिये ?

(ख) जगह की कमी के कारण ऐसे कितने विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिला ?

(ग) त्रिपुरा के पिछड़े हुए लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये सहायता देने के बारे में सरकार क्या कदम उठाने का विचार करती है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और प्रश्न का उत्तर यथा समय सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

संघ लोक सेना आयोग

*२९९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संघ लोक सेवा आयोग में काम करने वाले व्यक्तियों की सेवाशर्तों के नियम अन्तिम रूप से निश्चित हो गये हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : संविधान के अनुच्छेद ३७२ (१) के अनुसार, गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ की धारा २६५ (२) के अन्तर्गत पहले बनाये गये नियमों को ही, जो उस ज़माने में फ़ेडरल लोक सेवा आयोग (सेवा सम्बन्धी शर्तें) नियम कहलाते थे, जारी रखा गया था। संविधान के लागू होने के बाद इन नियमों को कुछ समन्वित और संशोधित कर दिया गया है । इनमें कुछ और संशोधन करने के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है ।

कुम्भ मेला

*३००. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कुम्भ मेले के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय द्वारा कितना व्यय किया गया है ; तथा

(ख) उस अवसर पर कितने सैनिक अधिकारियों तथा अन्य सैनिक कर्मचारियों ने सेवा की है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) (क) लगभग १० लाख रुपये ।

(ख) अधिकारी २७
कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी २०
अन्य श्रेणियां ८८७०

स्पिरिट युक्त दवाइयां

२८. **डा० आमीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्पिरिट युक्त दवाइयों को बनाने, रखने तथा बेचने सम्बन्धी आबकारी नियमों तथा विनियमों में समानता लाने के लिये एक विधेयक कब प्रस्तुत किया जायेगा ; तथा

(ख) क्या यह सच है कि एक प्रारम्भ विधेयक राज्य सरकारों में उनके विचार जानने के लिये परिचालित किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) एक औषधि तथा प्रसाधन वस्तु निर्माण (उत्पादन शुल्क) विधेयक स्पिरिट युक्त औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन शुल्क की समान दरों का प्रावधान करने और उस शुल्क को एकत्रित करने के लिये समान प्रक्रिया बनाने तथा सहायक मामलों का विनियमन करने का उपबन्ध करने के लिये बनाया गया है और इस समय भारत सरकार इस प्रारूप में किये गये कुछ महत्वपूर्ण

उपबन्धों का संविधान के उपबन्धों के दृष्टिकोण से परीक्षण कर रही है । इस परीक्षण के पूर्ण हो जाने पर इस विधेयक को संसद में पुरःस्थापित कर दिया जायेगा ।

(ख) जी, हां । राज्य सरकारों की आलोचनायें प्राप्त हो गई हैं और भारत सरकार द्वारा बहुत ध्यानपूर्वक उन पर विचार किया गया है ।

विशेषज्ञ समिति (उत्पादन-शुल्क)

२९. **डा० अमीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि विशेषज्ञ समिति (उत्पादन-शुल्क) ने औद्योगिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग में आने वाली स्पिरिट पर से बिक्री-शुल्क समाप्त करने की सिपारिश की है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सिपारिश किस स्तर पर है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) तथा (ख). विशेषज्ञ समिति (उत्पादन शुल्क) ने सिपारिश की है कि डिनेचर्ड स्पिरिट अथवा औद्योगिक उद्देश्यों के लिये विशेष रूप से डिनेचर्ड की गई स्पिरिट पर बिक्री शुल्क या पास फीस नहीं लगाई जानी चाहिये ।

विशेषज्ञ समिति (उत्पादन-शुल्क) की सिपारिशों के सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों की सम्मतियां पहले से प्राप्त हो चुकी हैं और दूसरे राज्यों से उनकी सम्मतियों की प्रतीक्षा की जा रही है इस बीच, इस प्रकार के शुल्क लगाने के सम्बन्ध में संविधानिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाली कुछ बातों पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

संगीत तथा कला का विकास

३०. **डा० सत्यवादी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में संगीत तथा नाट्य कला की ऐसी संस्थाओं की सूची, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९५३-५४ में अभी तक वित्तीय अनुदान दिये गये ; तथा

(ख) इन अनुदानों की राशियां क्या हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) तथा (ख). संगीत तथा कला के विकास के लिये वर्ष १९५३-५४ में भारत सरकार द्वारा इन संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं :

संस्थायें	अनुदान की राशि
(१) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	१,००,००० रु०
(२) केन्द्रीय कर-नाटक संगीत महा विद्यालय, मद्रास	२५,००० रु०

मंगलवार,
२३ फरवरी, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.12
Fumigated
On
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, २३ फ़रवरी, १९५४

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

३. ०८ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

सत्तारूढ़ दल द्वारा त्रावनकोर-कोचीन के चुनावों में शारीरिक बल का कथित प्रयोग

अध्यक्ष महोदय : मुझे त्रावनकोर-कोचीन राज्य में सामान्य चुनावों में तथा उन के आन्दोलन के समय "सरकारी दल द्वारा शारीरिक बल प्रयोग" के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है।

क्या चुनाव अभी हो रहे हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस विषय में क्या कहना चाहती है।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो इसे अभी रहने दिया जाये।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मेरे विचार में वहां मेरे मित्र हार रहे हैं।

डा० काटजू : यदि वहां कोई अनियमिततायें हुई हैं तो इस की जांच करना वस्तुतः निर्वाचन न्यायाधिकरण का काम है। मैं इस विषय में तर्क करना नहीं चाहता। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों को जानना चाहता हूं।

डा० काटजू : मुझे समय मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बात केवल इतनी है कि यह आरोप लगाया गया है कि "सरकारी दल ने शारीरिक बल प्रयोग" किया है।

डा० काटजू : सरकारी दल कौन-सा है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं। मैं माननीय सदस्य से बताने के लिये कहूंगा। परन्तु यदि माननीय मंत्री को इस विषय में कोई तथ्य ज्ञात हों तो वे मुझे बता दें। अभी मैं इसे रहने देता हूं।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य व रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): गत कुछ दिनों में मुझे माननीय सदस्यों से समय समय पर कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुए हैं। मुझे उन के बारे में कुछ पता नहीं है। जब कभी मेरे पास कोई ऐसा पत्र आता है तो मैं उसे जांच करने के लिये और सूचना देने के लिये त्रावनकोर-कोचीन सरकार के पास भेज देता हूं। कुछ का मुझे उत्तर मिल जाता है अर्थात् घटनाओं का वृत्तान्त मेरे पास आ जाता है। मुझे दूसरे लोगों के हिंसात्मक कार्यों के सम्बन्ध में प्रत्यारोपों की रिपोर्टें भी मिली हैं। जहां तक हिंसा का सम्बन्ध है ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं। मैं नहीं जानता कि इन्हें यहां से कैसे निबटाया जाये, या इन के सम्बन्ध में मैं आप के सामने क्या वक्तव्य दे सकता हूं। यदि जांच हो, तो पता लग सकता है। गुंडागर्दी और इसी प्रकार की बातों के सम्बन्ध में कुछ आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये हैं।

श्री एच० एन० मकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या मैं आप के विचारार्थ यह निवेदन कर सकता हूं ? चुनाव इस मास २६ तक होते रहेंगे। कुछ आरोप लगाये गये हैं जिन के गुणावगुणों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि हम २६ से पूर्व इस विषय पर चर्चा कर लें--यदि कल कर सकें तो और भी अच्छा है—तो त्रावनकोर-कोचीन के उन अधिकारियों को जिन्होंने कि इन आरोपों के अनुसार अच्छा काम नहीं किया है कुछ चेतावनी सी मिल जाये। संसद् के रूप में त्रावनकोर-कोचीन से यह कहना हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकार की बातें, चाहे कोई भी करे, सहन नहीं की जानी चाहियें। हमें ये आरोप श्री एन० के० गोपालन ने भेजे हैं। और मैं ने और मेरे साथी श्री एस० एस० मोरे ने इन्हें आप को और सदन को बताना अपना कर्तव्य समझा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में ऐसे सब प्रस्तावों के विषय में यदि आरोप साधार हों, और यदि माननीय सदस्य यह समझते हों कि ये ठीक हैं तो इस के लिये सब से अच्छा तरीका यह है कि सम्बद्ध मंत्री के पास जा कर उस आरोप की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया जाये और उस की जांच करवाई जाये। यदि मैं इस प्रकार सब के आरोप स्वीकार करने लग जाऊं--मेरा यह अभिप्राय नहीं कि श्री गोपालन के आरोप विश्वसनीय नहीं हैं ये विश्वसनीय हो सकते हैं--किन्तु यदि मैं ऐसा करने लग जाऊं तो मुझे भय है कि यह सदन वाद विवाद का स्थान न रह कर किसी न किसी दल के चुनाव के प्रचार का स्थान बन जायेगा। यही खतरा है।

इस के साथ और बातें भी हैं। जैसा कि मैं ने पहले भी कहा था जब तक मेरे पास सारे तथ्य न हों तब तक मैं स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करना ठीक नहीं समझता। और फिर यह बात है कि सारे भारत में कहीं भी होने वाली प्रत्येक छोटी सी बात की ओर ध्यान देना केन्द्र का काम नहीं है जैसे कि इस घटना का सम्बन्ध एक राज्य से है। हमें संवैधानिक उपबन्धों तथा रचना का भी ध्यान रखना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा हूं। पहले मैं सरकार से तथ्यों को जान लूं फिर इस पर विचार करूंगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या अध्यक्ष महोदय की यह इच्छा है कि इस विषय को कल तक स्थगित रखा जाय और इस बीच सरकार तथ्यों को जान लें ? तब तक तो चुनाव हो चुकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मैं उन्हें कल ही इस बात पर चर्चा करने के लिये बाधित नहीं कर सकता। उन्हें तथ्यों को इकट्ठा करने के लिये कुछ समय मिलना चाहिये

श्री नम्बियार (मयूरम) : इस से क्या लाभ होगा ? २६ को चुनाव समाप्त हो जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा भय यह है कि किसी एक पक्ष के हित साधन के लिये इस प्रस्ताव से लाभ उठाया जा सकता है ! अध्यक्ष का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री नम्बियार : श्री गोपालन ने लिखा है ! तो और क्या किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा यहां कार्यपालिका के प्रशासन कार्यों से बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि श्री गोपालन की कार जला दी गई है तो जिस राज्य में चुनाव आन्दोलन हो रहा है उस से वे इस का प्रतिकार करवायें ।

श्री नम्बियार : कार जलाई नहीं गई है, किन्तु उस पर पत्थर फेंके गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ये सब बातें प्रकरण संगत नहीं हैं ।

श्री नम्बियार : और फिर वहां के मंत्रिमंडल को विधान सभा का विश्वास भी तो प्राप्त नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हमारे पास तथ्य आ जाने दीजिये और तब हम देखेंगे कि इस विषय को कैसे निबटाया जा सकता है । मैं पहले तथ्यों को सुनूंगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने यह बात कही है । परन्तु तथ्यों को जानना भी कठिन है । मुझे मालूम नहीं कि पत्रों में क्या लिखा है, मैं ने स्वयं उन्हें देखा भी नहीं है । सब सामान्य उदाहरण दिये गये हैं । हम किन तथ्यों को प्रस्तुत करें । यह सामान्य आरोप लगाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना में उन्होंने निम्नलिखित कारण बताये हैं :

श्री एन० के० गोपालन, संसद् सदस्य, संसद् में साम्यवादी गुट के नेता ने ऐसी बहुत की घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा भेजा है जब कि कांग्रेस दल ने त्रावनकोर-कोचीन के चुनावों में प्रभाव डालने की दृष्टि से हिंसा का प्रयोग किया है । चुनाव सम्बन्धी कार्य करते समय इस सदन के सदस्य श्री जे० बी० कृपालानी, राज्य विधान सभा में विरोधी दल के भूत पूर्व नेता श्री टी० वी० टामस तथा अन्य लोगों के अतिरिक्त स्वयं उन पर भी आक्रमण किये गये हैं । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है जिस से हमारे देश में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों के भाग्य का निर्णय होगा ।"

"स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावों के भाग्य का निश्चय होगा" यह तो अपनी अपनी सम्मति है । तथ्य तो ये हैं मेरा अभिप्राय तो केवल सरकारी दल द्वारा शारीरिक बल प्रयोग से है । मेरा इस से कोई सम्बन्ध नहीं है कि "कांग्रेस" दल ने क्या किया है और क्या नहीं किया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस विषय में एक बात है । आचार्य कृपालानी के सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख किया गया है जिस से मुझे बहुत दुःख हुआ था । मैं ने इस के सम्बन्ध में पूछा था और मैं इस के बारे में कुछ जानता हूं और आचार्य कृपालानी को इस के बारे में अधिक पता है और हम सब को इस घटना पर बड़ा दुःख हुआ था जिस में कि कुछ नवयुवकों ने बुरा व्यवहार किया था । हमें

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस के बारे में पता है और यह घटना तीन सप्ताह पूर्व या इस के आस-पास हुई थी। किन्तु मैं सामान्य रूप से दुर्व्यवहार के आरोप की जांच कैसे करवा सकता हूं।

श्री त्यागी : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह स्पष्टीकरण करवाना चाहता हूं कि क्या सदन में राजनीतिक दलों के व्यवहार पर चर्चा की जा सकती है। अब तक मैं यह समझता था कि दलों के विषय में चर्चा नहीं की जाती। स्थगन प्रस्ताव तो सरकार की भूल चूक की आलोचना करने के लिये होते हैं।

यदि इस प्रस्ताव में यह आरोप लगाया गया है कि सरकार का यह रुख था और सरकार ने कोई कार्यवाही न करने की भूल की और सरकार की इस भूल पर चर्चा की जा रही है तो यह कुछ संगत हो सकता है। अन्यथा मेरा यह निवेदन है कि यह पूर्णतया संगत नहीं है।

श्री नम्बियार उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अब कोई औचित्य प्रश्न नहीं है और न ही मैं कोई सुनना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता था कि किस हद तक शारीरिक बल का प्रयोग किया गया है; चाहे .....

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, मैं यह बात मानता हूं। हमारे पास जो कुछ भी तथ्य हैं या हम प्राप्त कर सकते हैं उन सब को प्रस्तुत कर के हम सदन की इस चर्चा में सहायता करने को उत्सुक हैं। परन्तु मेरी कठिनाई यह है कि मुझे वह घटना स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिये जिस के सम्बन्ध में मुझे जांच करवानी है। मैं सामान्य रूप से इस की जांच नहीं करावा सकता कि वहां क्या हो रहा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : श्रीमान्, क्या यह सत्य नहीं है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र प्राधिकारी है? इस प्रकार की बातें उस के क्षेत्राधिकार में आती हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं सदन के नेता की कठिनाई को समझता हूं यदि हम उन्हें कुछ जानकारी दे दें, यदि हम उन्हें घटनाओं की वह सूची दे दें जो कि स्वयं श्री ए० के० गोपालन ने हमारे पास भेजी है तो क्या उन का प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह बहुत अच्छा होगा।

श्री एस० एस० मोरे : हम यह सूची उन्हें देने को तैयार हैं जिस से कि उन को कठिनाई हल हो जाये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि वह ऐसा करेंगे तो मैं या मेरे सहयोगी गृह मंत्री जी उसे तुरन्त त्रावनकोर-कोचीन सरकार के पास भेज देंगे और उन के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। परन्तु इस के २४ घंटे या ४८ घन्टे के अन्दर आने की सम्भावना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह आशा नहीं करता कि यह २४ घंटे के अन्दर आ जाये।

श्री एस० एस० मोरे : तो मैं सूची दे देता हूं।

आचार्य कृपलानी (भागलपुर व पूर्निया) : क्योंकि मेरा नाम लिया गया है अतः मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब मैं वहां एक स्थान पर गया था तो वहां प्रदर्शन किया गया और मैं

समझता हूं कि इस कारण कांग्रेस दल को काफी मतों से हाथ धोना पड़ा ।

अध्यक्ष महोदय : खैर, अब यह विषय स्थगित कर दिया गया है ।

राज्य परिषद् से सन्देश

सचिव : श्रीमान् मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित चार सन्देशों की सूचना देनी है ।

(१) "राज्य परिषद् में प्रक्रिया तथा कार्यवाही संचालन के नियमों के नियम ९७ के उपबन्धों के अनुसार मुझे विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक, १९५३ को एक प्रति संलग्न करने का निदेश मिला है जिसे राज्य परिषद् ने अपनी २२ फरवरी, १९५४ की बैठक में संशोधित रूप में पारित किया है ।"

(२) "राज्य परिषद् में प्रक्रिया तथा कार्यवाही संचालन के नियमों के नियम ९७ के उपबन्धों के अनुसार मुझे भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ की एक प्रति संलग्न करने का निदेश मिला है जिसे राज्य परिषद् ने अपनी २२ फरवरी, १९५४ की बैठक में पारित किया है ।"

(३) "राज्य परिषद में प्रक्रिया तथा कार्यवाही संचालन के नियमों के नियम ९७ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लुशाई पहाड़ी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक, १९५४ की एक प्रति संलग्न करने का निदेश मिला है जिसे राज्य परिषद् ने अपनी २२ फरवरी १९५४ की बैठक में पारित किया है ।"

(४) "राज्य परिषद् न प्रक्रिया तथा कार्यवाही संचालन के नियमों के नियम ९७ के उपबन्धों के अनुसार मुझे नौवहन नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५४ की एक प्रति संलग्न करने का निदेश मिला है जिसे राज्य परिषद् ने अपनी २२ फरवरी, १९५४ की बैठक में पारित किया है ।"

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक ।

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक ।

लुशाई पहाड़ी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक ।

नौवहन नियंत्रण (संशोधन) विधेयक ।

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य परिषद् द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक सदन पटल पर रखता हूं :

(१) विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक, १९५३ ।

(२) भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ ।

(३) लुशाई पहाड़ी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक, १९५४ ।

(४) नौवहन नियंत्रण, (संशोधन) विधेयक, १९५४ ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन भाग ग राज्य शासन अधिनियम, १९५१ को संशोधित करने के विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा। विचार की अवस्था समाप्त हो चुकी है । अब खण्डशः विचार आरम्भ किया जायेगा।

खण्ड २—(धारा १७ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधनों की पूर्व सूचना दी है यदि वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो खड़े हो जायें ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं खण्ड २ में एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं—संशोधन संख्या ११

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ की पंक्ति १९ में "President" ("राष्ट्रपति") के स्थान पर "Head of the State" ("राज्य का अधिपति") आदिष्ट कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस संशोधन का विरोध किया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : हां, श्रीमान् ।

श्री एस० एस० मोरे : इस खंड २ में एक उपखण्ड भी है :

" यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे कि क्या उपधारा (१) के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी राज्य विधान सभा का कोई सदस्य इस प्रकार का सदस्य बनने के अनर्ह हो गया है तो उस प्रश्न का निश्चय करने के लिये उसे राष्ट्रपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस का निश्चय अन्तिम होगा ।"

श्रीमान्, जहां तक इस उपखंड का सम्बन्ध है, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस में "President" ("राष्ट्रपति") शब्द के स्थान पर "Head of the State ("राज्य का अधिपति") आदिष्ट कर दिया जाये ।

श्रीमान्, यह खण्ड अक्षरशः अनुच्छेद १०३ से लिया गया है । भाग क तथा भाग ख राज्यों में किसी सदस्य की अनर्हता का प्रश्न संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद १०३ के अधीन राष्ट्रपति को निर्दिष्ट किया जाता है । अगले उपखण्ड के अन्तर्गत उसे निर्वाचन आयोग से सम्मति लेनी होगी और उसे उस सम्मति के अनुसार ही इस प्रश्न का निर्णय करना होगा ।

एक और उपबन्ध अनुच्छेद १९२ के अधीन जब किसी राज्य विधान सभा के किसी सदस्य की अनर्हता का प्रश्न उठे तो उसे राज्यपाल को निर्दिष्ट करना चाहिये । और राज्यपाल को निर्वाचन आयोग की सम्मति के अनुसार उसका निर्णय करना चाहिये ।

अनुच्छेद १०३ और १९२ की शब्दावलि एक सी है, इन में केवल इतना अन्तर है कि अनुच्छेद १०३ के अन्तर्गत लोक सभा तथा राज्य परिषद् के मामलों को राष्ट्रपति को निर्दिष्ट करना होता है और राज्य विधान मण्डलों के मामलों को राज्यपाल को निर्दिष्ट करना होता है ।

मुझे यह समझ नहीं आता कि जब भाग क तथा भाग ख राज्यों के मामलों का निर्णय वहां के राज्य पाल निर्वाचन आयोग की सम्मति के अनुसार कर सकते हैं तो भाग ग राज्यों के मामले राष्ट्रपति को क्यों सौंपे जायें ? अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राज्य के अधिपति को ही चाहे वह मुख्य आयुक्त हो या उप राज्यपाल हो ये प्रश्न निर्दिष्ट किये जायें और वह निर्वाचन आयोग की सम्मति ले कर उन का निर्णय कर दे । इस खण्ड में राष्ट्रपति को न घसीटा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कहीं 'राज्य के अधिपति' की परिभाषा दी हुई है ?

श्री एस० एस० मोरे : नहीं, श्रीमान् । मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि

जब निर्वाचन आयुक्त का निर्णय सर्वमान्य है तो इस में राष्ट्रपति को लाने की कोई आवश्यकता नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप राष्ट्रपति को नहीं चाहते, किन्तु स्थानीय राज्यपाल को चाहते हैं ?

श्री एस० एस० मोरे : क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगले खण्ड में यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रपति पर निर्वाचन आयोग के निर्णय का नियंत्रण रहेगा ।

डा० काटजू : मुझे खेद है कि यह संशोधन एक गलत धारणा के कारण प्रस्तुत किया गया है । सदन को विदित है कि संविधान के अनुच्छेद २३९ के अन्तर्गत प्रत्येक भाग ग राज्य पर राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त या उप राज्यपाल या किसी पड़ौसी राज्य के राज्यपाल द्वारा शासन करते हैं। मुख्य आयुक्त को राज्य का अधिपति नहीं कह सकते । किसी भाग ग राज्य के मुख्य आयुक्त और किसी भाग क या भाग ख राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख में एक महत्वपूर्ण अन्तर है । दूसरे भाग ग राज्य की बनावट ऐसी है कि भाग ग राज्य अधिनियम की धारा ३६ के अधीन मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जब कभी कार्यपालिका सम्बन्धी किसी काम के बारे में मुख्य आयुक्त अपनी मंत्रि-परिषद् से सहमत न हो सके तो मंत्रि-परिषद् का निर्णय उसे मान्य नहीं होता और उस विषय को राष्ट्रपति के निदेश तथा निर्णय के लिये उसे निर्दिष्ट करना पड़ता है। भाग ग राज्य अधिनियम की धारा ३७ के अन्तर्गत मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है । मुख्य मंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और मुख्य मंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है । अतः हम राष्ट्रपति को इस से अलग नहीं कर सकते। अतः हमें अनुच्छेद १०३ के अनुसार ही इस धारा को रखना पड़ा है क्यों कि राष्ट्रपति ही राज्य का प्रशासक है । जहां तक सदस्यों की अनर्हता और उस के बारे में निर्णय देने के प्रश्न का सम्बन्ध है राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की सलाह से कार्य करना पड़ता है और औपचारिक आदेश राष्ट्रपति को ही देना चाहिये, क्योंकि वही राज्य का अधिपति है, मुख्य आयुक्त नहीं । इस के लिये मेरा यही उत्तर है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति वास्तविक अधिपति हैं, जो अपने कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कार्य करते हैं । किन्तु इस मामले में क्या इस कार्य को उन के किसी कार्यकारी पदाधिकारी को नहीं दे सकते ? इस प्रकार संविधान में हम कोई रूपान्तर अथवा संशोधन नहीं कर रहे हैं । अपितु एक ऐसा उपबन्ध बना रहे हैं जिस में बिना किसी हानि के संविधान से अलग रास्ता बन सके ।

डा० काटजू : कुछ अधिक न कह कर माननीय सदस्य का ध्यान भाग ग राज्य अधिनियम की धारा २६ की ओर आकर्षित करता हूं जिस के अधीन भाग ग राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के बारे में मुख्यायुक्त द्वारा स्वीकृति नहीं दी जा सकती । केवल राष्ट्रपति ही स्वीकृति दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २ इस विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४—(धारा २२ का संशोधन)

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ पंक्ति १७ में, "before the 1st day of April 1952" ("१ अप्रैल

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

१९५२ से पहिले") शब्दों को निकाल दिया जाये ।

जैसा कि मैं ने पहिले भी बताया था कि भाग ग राज्यों के पूर्ण अधिकारों में से कुछ अधिकारों को ये शब्द कम करते हैं । उद्देश्यों और कारणों के विवरण में भी इस का उलेख मिलता है । इस संशोधन को पढ़ने के बाद तो ऐसा प्रकट होता है कि इस का सम्बन्ध राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के मामलों से है । १ अप्रैल १९५२ के बाद जो विधान बनाये गये हैं उन तक भी भाग क तथा ख राज्यों के अधिकारों का विस्तार होता है । इस विधेयक के प्रस्तावक महोदय ने भाग ग राज्यों को भी भाग क तथा ख राज्यों के बराबर लाने का प्रयत्न किया है जो स्वतः एक प्रशंसनीय ध्येय है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब आप यह कहते हैं कि राज्यों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये तो १ अप्रैल १९५२ से पहिले बनाये गये विधानों के बारे में तो अधिकार दे दिये गये हैं फिर उस के बाद के बनाये गये विधानों के बारे में अधिकार क्यों नहीं दिये गये। मैं मानता हूं कि यह उपबन्ध बहुत अच्छा है और भाग ग राज्यों के अधिकार बढ़ गये हैं तथा पहिले की अपेक्षा वे अधिक भी हो गये हैं । किन्तु १ अप्रैल १९५२ के पहले तथा बाद में पारित किये विधानों के बारे में यह अन्तर तथा अपवाद क्यों बनाया गया है । मेरे विचार से तो दोनों की स्थिति एक सी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एस० एस० मोरे : अनुच्छेद २५१ को मैं पसंद करूंगा । वर्तमान संशोधन के अधीन १ अप्रैल १९५२ से पहिले अन्तर्कालीन संसद् द्वारा कुछ अधिनियम पारित किये गये थे क्योंकि यह सदन उस समय तक बना नहीं था । उन दिनों अन्तर्कालीन संसद् ही इस देश की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद् थी । भाग ग राज्यों को दिये जाने वाले ये अधिकार मेरी दृष्टि में भयंकर पूर्वोदाहरण हैं । इन नये अधिकारों के अनुसार सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद् द्वारा पारित विधानों में संशोधन करने का अधिकार भाग ग राज्यों को नहीं दिया गया है क्योंकि यह सिद्धान्त के प्रतिकूल है । अतः यह कहना कि सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद् द्वारा पारित अधिनियमों में राज्यीय विधान मंडलों को संशोधन करने का अधिकार है, बहुत ही विचित्र बात है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस में आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि अनुच्छेद २५४ में बिल्कुल स्पष्ट है .....

श्री एस० एस० मोरे : यह हो सकता है कि हम ने कोई विधान बनाया हो और राज्य सरकार उस में दोष निकाले ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ये सभी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिये रक्षित किये जाने चाहियें। अनुच्छेद २५४ (२) में इस की व्यवस्था की गई है । भाग क तथा भाग ख राज्य भी अब विधान बना सकते हैं जो हमारे द्वारा बनाये गये विधान के प्रतिकूल हो सकता है । किन्तु उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिये रक्षित करना होगा । यह राज्य भी विधान बनाने की क्षमता रखते हैं । । प्रश्न तो केवल समवर्ती सूची के बारे में है। क्योंकि राज्य सूची के बारे में तो इन राज्यों के विधान मंडलों की उचित एवं सम्पूर्ण अधिकार हैं और समवर्ती सूची के मामलों के लिये अनुच्छेद २५४ में संरक्षण

की व्यवस्था की गई है । मेरा तो यही निवेदन है कि जब भाग क तथा ख राज्यों को अधिकार दिये जाते हैं तो भाग ग राज्यों को भी वही अधिकार दिये जाने चाहियें । इस में क्या कठिनाई है ।

श्री एस० एस० मोरे : अनुच्छेद २५१ तथा २५२ की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि भाग ग राज्य विधान मंडल कोई विधान बनाते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति उस पर होनी चाहिये । अतः इस स्थिति में राज्य सूची के बारे में संसद् को इस बात की छूट है कि इस के द्वारा पारित विधान में रूपान्तर कर सके । अथवा भाग ग राज्यों में अब विधान मंडल बन गये हैं तो क्या विधान मंडलों को राज्य सूची से सम्बन्धित मामलों के बारे में विधान बनाने का सम्पूर्ण अधिकार नहीं है बशर्ते—कि वह असंगत न हो । चाहे वह संगत है अथवा असंगत संसद् का क्षेत्राधिकार कम नहीं हो जाता ।

श्री एस० एस० मोरे : राज्यों में विधान-मंडल बन जाने के बाद उन मामलों के बारे में विधान बनाने का कोई अधिकार संसद् को नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब किस प्रकार विधान बनेगा ?

श्री एस० एस० मोरे : यह निरसन कर सकती है । मेरा विचार है कि जैसे ही राज्यों में विधान मंडल बनाते हैं तो हम अधिकारी कृत्य हो जाते हैं और राज्य सूची में निहित सभी मामलों पर पूरा पूरा अधिकार हो जाता है । किन्तु निरसन करने का अधिकार भी हम को होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : निरसन करना भी विधान बनाना है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं आप से सहमत नहीं हूं । मैं तो केवल यही कहूंगा कि हमारे द्वारा पारित अधिनियमों को रद्द कर देना चाहिये जिस से राज्य विधान-मंडलों को विधान बनाने का पूर्ण अधिकार मिल जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अपना सीमा क्षेत्र खोने के बाद भी ?

श्री एस० एस० मोरे : कुछ खंड ऐसे हैं जिन के अधीन राज्यीय मामलों के बारे में हमारा सीमा क्षेत्र बना रहता है ।

श्री राघवाचारी : (पेनुकोंडा) : यदि पुराने अधिनियम (भाग ग राज्य) की धारा २२ देखें तो यह प्रश्न ही नहीं उठता । इस धारा में ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन सभी मामलों में जहां कि राज्यीय विधान मंडलों द्वारा पारित किये जाने वाले अथवा पारित किये गये विधानों की तुलना में संसद् द्वारा पारित विधान असंगत होते हैं तो ऐसी स्थिति में संसदीय विधान ही लागू रहता है । अतः असंगति का कोई प्रश्न ही नहीं आता ।

उपाध्यक्ष महोदय : धारा २२ से ही हमारा सम्बन्ध है । उस उप खंड में सभी आकस्मिकताओं की व्यवस्था की गई है ।

डा० काटजू : भाग ग राज्यों के कुछ मंत्रालयों के कहने पर इस विधेयक में यह खंड इस आधार पर रखा गया था कि यह संविधान २६ जनवरी १९५० को लागू हुआ था, और भाग ग राज्य अधिनियम १ अप्रैल १९५२ को लागू हुआ । उस बीच में भाग ग राज्यों के शासन की बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में थी और प्रत्येक विधान इस संसद् द्वारा बनाया जाता था और यह संसद् तीनों सूचियों—राज्य सूची, समवर्ती सूची, तथा संघ-सूची—के बारे में विधान बना रही थी । इन मंत्रालयों ने कहा कि इस बीच के समय

[डा० काटजू]

अर्थात् २६ जनवरी १९५० से १ अप्रैल १९५२ तक संसद् द्वारा कुछ विधान पारित किये गये हैं जो पूर्णतः या तो राज्य सूची से अथवा समवर्ती सूची से सम्बन्धित हैं। हम यहां घटनास्थल पर हैं और इन मामलों में अपने राज्यों में विधान बनाने सम्बन्धी कार्यवाही करेंगे। अतः मामला इस प्रकार रखा गया है "१ अप्रैल १९५२ के बाद"। अन्य राज्यों—भाग क राज्य, भाग ख राज्य, तथा भाग ग राज्यों के बारे में भी इसी प्रकार का मामला है। हम को इसे इसी तिथि में रखना पड़ा है ताकि इस की व्यवस्था की जा सके। शेष पर तो संविधान लागू होता हैं। अतः माननीय मित्र पं० ठाकुर दास भार्गव से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि वे इसे एसा ही रहने दें क्योंकि राज्य सूची के बारे में १ अप्रैल १९५२ के बाद कोई विधान पारित करने का क्षेत्राधिकार संसद् को नहीं है। समवर्ती सूची के बारे में राष्ट्रपति को अधिकार है, संसद् तथा राज्य विधान मंडलों का भी इस से सम्बन्ध है, और यदि समवर्ती सूची से सम्बन्धित कोई विधान परिवर्तित होना है तो यह वांछनीय है कि उसे परिवर्तित करने का अधिकार केवल संसद् को ही होना चाहिये, राष्ट्रपति तो वास्तव में भाग ग राज्यों के प्रशासनीय अधिपति हैं। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि यह विधेयक ऐसा ही छोड़ देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति १७ में, "before the 1st day of April 1952" ("१ अप्रैल १९५२ से पहले") शब्दों को निकाल दिया जाए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६ (नई धारा ३३ क की निविष्टि)

श्री एन० एल० जोशी (इन्दौर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ पंक्ति ३९ में "English" ("अंग्रेज़ी") के स्थान पर "Hindi" ("हिन्दी") शब्द रखा जाये।

पृष्ठ २ पंक्ति ४१ में "English" ("अंग्रेज़ी") के स्थान पर "Hindi" ("हिन्दी") शब्द रखा जाये।

पृष्ठ २ में

(१) पृष्ठ ४५ म "English language" ("अंग्रेज़ी भाषा") के स्थान पर "Hindi and English languages" ("हिन्दी तथा अंग्रेज़ी भाषायें") शब्द रखे जायें; तथा

(२) पंक्ति ४८ में "The English language" ("अंग्रेज़ी भाषा") के स्थान पर "The Hindi and English languages" ("हिन्दी तथा अंग्रेज़ी भाषायें") शब्द रख जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि जो बात माननीय गृह मंत्री जी ने, जब इस विधेयक पर विचार हो रहा था, हिन्दी के सम्बन्ध में बतलाई थी, उस पर पूरी तरह विचार करने पर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि बहुत अच्छा होता यदि माननीय गृह मंत्री जी धारा ३३ को धारा ३३ ए कह कर दुरुस्ती के लिए

इस सभाभवन में प्रस्तुत न करते। उसका मूल कारण यह है कि जो सन् १९५१ का गवर्नमेंट आफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट है उसकी धारा ३३ (१) में इसका उल्लेख मिलता है। मेरा निवेदन यह है कि इस धारा ३३ में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि: "परन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के हुए।" संविधान के अनुच्छेद ३४८ में जो कुछ कहा गया है उसी के अनुसार पार्ट सी स्टेट्स में काम चलेगा। तो यदि पार्ट सी० स्टेट्स में संविधान के अनुच्छेद ३४८ के अनुसार काम चलने वाला है तो मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है कि इस बात की कि धारा ३३ ए सुधार के लिए इस सभा भवन में प्रस्तुत की जाए क्योंकि जो धारा इस सभा भवन के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं संशोधन के लिए, उसमें हूबहू वही बातें कही गयी हैं जो कि संविधान की धारा ३४८ (१) और ३४८ (३) में कही गई हैं या यों कहा जाए कि जो बातें संशोधन के लिए रखी गयी हैं वह ठीक वही हैं जो कि धारा ३४८ (१) और (३) में संविधान में हैं। तो जब कि पार्ट सी स्टेट्स ऐक्ट की धारा ३३ में स्पष्टरूप से लिखा है तो फिर क्या आवश्यकता है कि इस तरह की धारा संशोधन के लिए इस सभा भवन के सामने प्रस्तुत की जाए। और क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि बजाये इसके कि इस धारा को जैसा है वैसा ही रखा जाए, यह बहुत अच्छा हो कि यह सभा भवन इस बात पर विचार करे कि इस धारा को पार्ट सी स्टेट्स के लिये संशोधित रूप में क्यों न रखा जाये। जितनी भी पार्ट सी स्टेट्स हैं उन में से एक आध को छोड़ कर बाकी सब राज्यों में हिन्दी ही प्रचलित है और वहां अधिकांश लोग ही नहीं बल्कि ९९ प्रतिशत लोग हिन्दी को पूरी तौर से समझते हैं, अतः हिन्दी में ही वहां विधान बनाये जाने चाहियें। क्योंकि संविधान की धारा ३४८ में यह स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख मिलता है। तो इस सभा भवन को यह पूरा अधिकार है कि वह यह कायदा बनाये कि पार्ट सी० स्टेट्स में जो भी विधान बनेंगे या विधेयक प्रस्तुत होंगे वे हिन्दी में प्रस्तुत होंगे और हिन्दी में ही स्वीकृत किये जायेंगे। तो इस तरफ तो कुछ विचार किया जा सकता है, बजाये इसके कि जो संविधान में हिन्दी में करने को कहा गया है उसको अंग्रेजी में करने को कहा जाय इसकी तो मुझे कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि अभी जो कुछ मौजूदा विधान में है उसको दोबारा कहा जाय। इस के बजाये इस बात की आवश्यकता महसूस की जाये कि वहां के सारे विधेयक हिन्दी में ही बनें और उनको हिन्दी में ही स्वीकार किया जाये। अतः, उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरा संशोधन इस धारा में है वह यह है कि बजाये इसके कि जैसा कि अभी संविधान में है वहां के विधेयक अंग्रेजी में बनें, होना यह चाहिये कि वह हिन्दी में प्रस्तुत किये जायें और हिन्दी ही में स्वीकार हों। हां विधेयक वहां की प्रादेशिक भाषा में बनते हैं तो उनका अनुवाद हिन्दी में किया जाए। और अंग्रेजी में भी किया जाए इस तरह का मेरा संशोधन है। मेरा नम्र निवेदन है कि इस संशोधन को माननीय गृह मंत्री जी स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए।

डा० काटजू: संभवतः माननीय मित्र ने अधिनियम की धारा ३३ तथा विधेयक के खंड ३३ क नहीं देखा है। भाग ग राज्य अधिनियम की धारा ३३ के अनुसार विधान

[डा० काटजू]

मंडलों में कार्यवाही हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा प्रादेशिक भाषाओं में हो सकती है, किन्तु इतना स्पष्ट है कि यह सब कार्य संविधान के अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अनुसार ही होगा। अतः अनुच्छेद ३४८ के अनुसार विधेयक की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिये। विषय से सम्बन्धित वाद विवाद हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में किया जा सकता है। फिर हमें यह बताया गया है कि संविधान के अनुछेद ३४८ के वर्त्तमान रूप में शुरू में ही इसका उल्लेख किया गया है कि विधेयक अंग्रेजी भाषा में होने चाहियें तथा अधिनियम भी अंग्रेजी भाषा में ही पारित हों।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य माननीय मंत्री के द्वारा यह चाहते हैं कि संसद यह उपबंध करे कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी हो।

डा० काटजू: भाग ग राज्यों के लिये ऐसा करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। अनुच्छेद ३४८ को हमें सभी के ऊपर लागू करना चाहिए भाग ग राज्यों को साथ ही साथ मैं उस स्तर पर रखना चाहता हूं जिस पर कि भाग क तथा भाग ख राज्य हैं। यदि कोई विधेयक अब हिन्दी अथवा किसी प्रादेशिक भाषा जैसे कुर्गी में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ऐसा करना आप की स्वेच्छा पर निर्भर है। प्रादेशिक भाषा में आप इसे पारित भी कर सकते हैं किन्तु इसका अधिकृत अनुवाद आप को अंग्रेजी में भी कराना चाहिये। यही इसका सार है; और मेरा निवेदन यह है कि भाग क तथा भाग ख राज्यों के लिये जो चीज़ हितकर है वह भाग ग राज्यों के लिये भी काफी हितकर होनी चाहिए।

पृष्ठ २, पंक्ति ३४, ४१, ४५ तथा ४८ में 'अंग्रेजी' के स्थान पर 'हिन्दी' तथा 'अंग्रेजी भाषा' के स्थान पर 'हिन्दी भाषा' शब्द आदिष्ट करने सम्बन्धी सभी संशोधनों अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ६ इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ८—(नई धारा ३९क तथा ३९ख की निविष्टि)

डा० काटजू का निम्न संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ ३, पंक्ति २२ तथा २३

"such sum as the President may, by order, determine" (ऐसी राशि जो राष्ट्रपति, अपने आदेश के द्वारा, निश्चित करें) शब्दों के स्थान पर "such sums as may, from time to time, be determined by Law made by the Legislative Assembly of the State" (ऐसी धन राशि, जो समय समय पर, राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाये गये विधानों के द्वारा निश्चित हो) ये शब्द रखे जाये।

[डा० काटजू]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १ में "१९५३" के स्थान पर "१९५४" करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि प्रारूप तैयार करने वाले द्वारा यह ठीक कर दिया जायगा।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया

शीर्षक तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक विधेयक

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत लम्बित कुछ कार्यवाहियों के जारी रखने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर

[illegible]

स्तान के किसी अन्य भाग के शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में स्थित, एसी सम्पत्ति का अधिकार व्यक्त किया जाये, जिसकी परिभाषा, इस प्रयोजन के लिये, केन्द्रीय सरकार ने, सरकारी गजट में प्रकाशित की हो । शहरी क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार उस में निगम, नगरपालिका, नगरपालिका समिति, अनुसूचित क्षेत्र समिति, टाउन एरिया, उप नगर समिति तथा छावनी सम्मिलित किये गये थे । उस समय की परिस्थितियों पर विचार करके यह परिभाषा बनाई गई थी । सदन को याद होगा कि पंजाब राज्य ने, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों की, तथा पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य भागों में निवास करने वाले पश्चिमी पंजाब के लोगों की, कृष्य भूमि तथा देहात के मकानों के दावों के सत्यापन के लिये एक विधान बनाया था । इसलिये उस समय यह निर्धारित किया गया था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी सम्पत्तियों के दावों पर 'दावे' की परिभाषा की उपधारा (१) के अनुसार, विचार किया जायेगा । उन सम्पत्तियों के सम्बंध में, जो ऐसे शहरी क्षेत्रों के बाहर थीं, यह घोषणा की गई थीं कि सरकार अधिसूचना जारी करेगी तथा ऐसी सारी सम्पत्तियों को वि[illegible]

ही बनाया जा सकता है । मेरा यह विचार है कि एक और अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जिस में ये सब मामले आ जाते । इस विधेयक में बहुत थोड़े से मामले आयेंगे ।

इस में कुछ कमियां रह गई हैं । सब से पहले मैं माननीय मंत्री से स्वयं एक संशोधन करने का अनुरोध करूंगा जिस से "नगरीय क्षेत्रों" की परिभाषा में सिंध की सफाई समितियों के क्षेत्र भी सम्मिलित हो जायें । ये निर्वाचित समितियां पंजाब की छोटी नगर समितियों के समान ही कार्य करती थीं । इन सफाई समितियों के सम्बन्ध में

बड़े बड़े ग्राम [illegible] तालिका में सम्मिलि काफी विकसित और लगभग नगरीय क्षेत्र के समान ही हैं । अब तक हम ने जो हिसाब लगाया है उस के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण कृषकों को अधिक ऊंचे पैमाने पर ही प्रतिकर मिलने की संभावना है । जिस आधार पर हम ने पंजाब में अर्ध-स्थायी संस्थापन किया है और जिसे पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य भागों के शेष किसानों पर भी लागू करने का हमारा विचार है उस के अनुसार ग्रामीण दावेदारों को अधिक मिलने की सम्भावना है । उदाहरण के लिये पंजाब में दस एकड़ भूमि के स्वामी को $7\frac{1}{2}$ एकड भूमि मिल गई है । मान लीजिये

[श्री ए० पी० जैन]

केवल ऐसे व्यक्तियों के छोट छोटे मकानों को छोड़ दिया गया था जिनको भूमि दी जा चुकी थी । इन दावों का मूल्यांकन करने में कोई विभेद नहीं किया गया था । सभी मकानों का मूल्यांकन करने के लिये एक से ही नियमों तथा उसूलों का पालन किया गया था ।

तीन वर्षों में, जब से कि १९५० का यह अधिनियम लागू है, हमने दावों की एक बहुत बड़ी संख्या का सत्यापन किया है । कुल ४,५०,००० दावे पेश किय गये थे, जिस में से ३,९०,००० दावे ठीक पाये गये । मूल अधिनियम १ मई १९५० को लागू हुआ था जो १७ मई १९५२ तक लागू रहा जिसके पश्चात् उसकी अवधि सीमा एक वर्ष के लिये १७ मई १९५३ तक और बढ़ा दी गई । मूल अधिनियम के अनुसार, १४ जून १९५० को एक अधिसूचना के द्वारा, आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे तथा १ जुलाई १९५० से ले कर ३० सितम्बर १९५० तक तीन मास का समय आवेदन पत्र भेजने के लिये निर्धारित किया गया था । परन्तु वास्तव में ३१ ...स्त १९५२ तक, अर्थात् ४ मास के स्थान ...ा कि अधिसूचना में उपबंध बनाया रहे, ...३ मास तक. आवे... विधेयक ...ि हिन्दी अथवा किसी प्रादेशिक भाषा जैसे कुर्गी में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ऐसा करना आप की स्वेच्छा पर निर्भर है । प्रादेशिक भाषा में आप इसे पारित भी कर सकते हैं किन्तु इसका अधिकृत अनुवाद आप को अंग्रेजी में भी कराना चाहिये । यही इसका सार है; और मेरा निवेदन यह है कि भाग क तथा भाग ख राज्यों के लिये जो चीज़ हितकर है वह भाग ग राज्यों के लिये भी काफी हितकर होनी चाहिए ।

पृष्ठ २, पंक्ति ३४, ४१, ४५ तथा ४८ में 'अंग्रेजी' के स्थान पर 'हिन्दी' तथा 'अंग्रेजी

कुछ आवेदन पत्र आये, जिन में से कुछ का सत्यापन हो गया तथा कुछ शेष रहे । कुछ दावे खो गये थे । हमने ऐसे लोगों को दावों की द्वितीय प्रति भेजने का अवसर दिया ।

वर्तमान विधेयक में सभी दावों के सत्यापन का उपबंध किया गया है, वे चाहे १७ मई १९५३ को लम्बित रहे हों अथवा खो गये हों तथा उन की द्वितीय प्रतियां भेजी गई हों अथवा सत्यापन से रह गये हों अथवा दी गई अवधि में उन के नवीकरण का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हो अथवा ऐसा कोई भी आवेदन पत्र न प्राप्त हुआ हो । इस प्रकार इसके विधेयक में हमने उस अधिसूचना की तुलना में अधिक उदारता से काम लिया है जो हमने १९५० के अधिनियम के समाप्त होने पर जारी की थी, तथा जिसमें हमने, कुछ प्रकार के दावों के सत्यापन के उपबंध करने का वादा किया था । वास्तव में किसी भी ऐसे दावे का अब सत्यापन हो सकेगा जो पुराने अधिनियम के अन्तर्गत सत्यापन से रह गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गडगांव) : वे दावे '

राशि, जो समय समय पर, राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाये गये विधानों के द्वारा निश्चित हो) ये शब्द रखे जाये ।

[डा० काटजू]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १ में "१९५३" के स्थान पर "१९५४" करना चाहिये ।

श्री ए० पी० जैन : प्रश्न के इस पहलू पर अभी मैं ने विचार नहीं किया है । यदि माननीय सदस्य विधेयक के लम्ब शीर्षक पर ध्यान देंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत लम्बित कुछ कार्यवाहियों को जारी रखने का ही इस विधेयक में उपबंध किया गया है । इस विधेयक का उद्देश्य केवल उस कार्य को पूरा करना है जो पुराने अधिनियम के अन्तर्गत पूरा नहीं किया जा सका है ।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात का सम्बन्ध पुनर्निरीक्षण से है। पुराने कानून में पुर्नानिरीक्षण पत्र पेश करने का एक उपबंध था । कुछ पुर्नानिरीक्षण पत्रों पर १७ मई १९५३ तक विचार नहीं किया जा सका था । एसे आवेदन पत्रों की संख्या ७,००० है। ऐसे पुर्नानिरीक्षण पत्रों का निर्णय करने का भी उपबंध इस विधयक में किया गया है जो १७ मई १९५३ को लम्बित थे । कुछ ऐसे मामले थे जिन में १७ मई १९५३ को अवधि सीमा की अन्तिम तिथि नहीं गुज़र चुकी थी, तथा इस प्रकार के पीड़ित व्यक्ति को पुर्नानिरीक्षण पत्र पेश करने का अधिकार प्राप्त था परन्तु अधि-

क्यों कहा जाता है ! कोई अनुपूरक वि-

तो पहले किसी विद्यमान चीज़ के अतिरिक्त ही बनाया जा सकता है । मेरा यह विचार है कि एक और अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जिस में ये सब मामले आ जाते । इस विधेयक में बहुत थोड़े से मामले आयेंगे ।

इस में कुछ कमियां रह गई हैं। सब से पहले मैं माननीय मंत्री से स्वयं एक संशोधन करने का अनुरोध करूंगा जिस से "नगरीय क्षेत्रों" की परिभाषा में सिंध की सफाई समितियों के क्षेत्र भी सम्मिलित हो जायें । ये निर्वाचित समितियां पंजाब की छोटी नगर समितियों के समान ही कार्य करती थीं । इन सफाई समितियों के सम्बन्ध में

जा सकेगा । हमने एसे हर प्रकार के व्यक्ति का प्रबंध कर दिया है जिसने पुर्नानिरीक्षण-पत्र पेश किया था परन्तु उसका सत्यापन नहीं हो सका था अथवा जिसको पुर्नानिरीक्षण पत्र पेश करने का अधिकार था परन्तु अधिनियम के समाप्त हो जाने के कारण जो ऐसा नहीं कर सकता था अथवा जिसे भविष्य में पुर्नानिरीक्षण-पत्र पेश करने का अधिकार प्राप्त होने वाला था ।

इसके अतिरिक्त एक और खण्ड, खण्ड ५ (१) (क) है, जिसमें इस बात का उपबंध किया है कि असाधारण मामलों में, मुख्य निबटारा आयुक्त स्वयं अपनी इच्छा से पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं ।

इस विधेयक के उपबन्ध बनाने में मैं ने इस बात का ध्यान रखा है कि प्रत्येक संभावना का प्रबन्ध कर दिया जाये । सदन को यह भी ज्ञात है कि हम ने एक मंत्रणा समिति नियुक्त की है तथा मैं ने मंत्रणा समिति से परामर्श लिया था कि क्या वे पुराने अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसी लम्बित कार्यवाही बता सकते हैं जो छूट गई हो । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मंत्रणा

एक भी ऐसी कार्यवाही

बड़े बड़े ग्राम है

काफी विकसित आर लगभग नगराय क्षत्र के समान ही हैं। अब तक हम ने जो हिसाब लगाया है उस के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण कृषकों को अधिक ऊंचे पैमाने पर ही प्रतिकर मिलने की संभावना है । जिस आधार पर हम ने पंजाब में अर्ध-स्थायी संस्थापन किया है और जिसे पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य भागों के शेष किसानों पर भी लागू करने का हमारा विचार है उस के अनुसार ग्रामीण दावेदारों को अधिक मिलने की सम्भावना है । उदाहरण के लिये पंजाब में दस एकड़ भूमि के स्वामी को ७½ एकड भूमि मिल गई है । मान लीजिये

[श्री ए० पी० जैन]

यह विधेयक केवल उन कार्यवाहियों के लिये बनाया गया है जो पुराने अधिनियम के अन्तर्गत अधूरी रह गई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम ने एक अन्तिम तिथि निर्धारित की है चूंकि हम चाहते थे कि सारे सत्यापन किये हुए दावे एक ओर हों तथा दूसरी ओर सारी सम्पत्ति हो जिस का वितरण इन दावेदारों में करना है और तब एक योजना बनाई जाये जिस के अनुसार सारी सम्पत्ति का दावेदारों में बटवारा किया जा सके। यदि दावे लगातार आते ही रहें अर्थात्, पहले आने वाला या बाद में आने वाला अपने दावे पेश करता जाये तो क्षति-पूर्ति की कोई योजना बनाना संभव न होगा। मैं उन लोगों के सम्बन्ध में कोई प्रत्याभूति नहीं दे सकता हूं जो दावे पेश करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् आये हैं या जो भविष्य में आ सकते हैं। यदि क्षतिपूर्ति की कोई भी योजना लागू करना है तो यह आवश्यक है कि हमारे पास एक ओर जमा की संख्याएं हों तथा दूसरी ओर नाम की संख्याएं ...गें। यदि हम नाम की संख्याओं के सम्बन्ध ...श्चित नहीं हो सकते हैं तो हम क्षति-...ई योजना भी नहीं बना सकते हैं

...अ हिन्दी अथवा किसी प्रादेशिक भाषा जैसे कुर्गी में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ऐसा करना आप की स्वेच्छा पर निर्भर है। प्रादेशिक भाषा में आप इसे पारित भी कर सकते हैं किन्तु इसका अधिकृत अनुवाद आप को अंग्रेजी में भी कराना चाहिये। यही इसका सार है; और मेरा निवेदन यह है कि भाग क तथा भाग ख राज्यों के लिये जो चीज़ हितकर है वह भाग ग राज्यों के लिये भी काफी हितकर होनी चाहिए।

पृष्ठ २, पंक्ति ३४, ४१, ४५ तथा ४८ में 'अंग्रेजी' के स्थान पर 'हिन्दी' तथा 'अंग्रेजी

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के दावों के सम्बन्ध में क्या किया जाने वाला है, जो पुराने अधिनियम के समाप्त होते ही, सीमा पार कर के भारत की ओर आ गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। यह विधेयक ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अधिनियम के समाप्त होने के पश्चात आने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

श्री ए० पी० जैन : मेरा अनुमान है कि इस प्रकार आने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत नहीं है। बहुत थोड़े व्यक्ति आये हैं परन्तु हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं है।

श्री नन्द लाल शर्मा : और भी दावे हैं जो उस तिथि के पहले नहीं पेश किये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन के लिये भी कोई प्रबन्ध किया जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन : नहीं, उन का प्रबन्ध

...ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) :

वे दावे ...

राशि, जो समय समय पर, राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाये गये विधानों के द्वारा निश्चित हो) ये शब्द रखे जायें।

[डा० काटजू]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १ में "१९५३" के स्थान पर "१९५४" करना चाहिये।

श्री अमर नाथ विद्यालंकार, श्री बसन्त कुमार दास, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, डा० राम सुभग सिंह, लाला अचिन्त राम, सरदार हुक्म सिंह, श्री एन० सी० चटर्जी, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे १ मार्च १९५४ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

यद्यपि यह एक अनुपूरक विधेयक है तथा जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा बताया गया है, लगभग ३००० से ४००० मामलों का प्रबन्ध करता है फिर भी मेरी धारणा है कि दावेदारों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन के दावों का सत्यापन नहीं किया गया है । मैं आप को ऐसी अवस्था के कारण बताऊंगा । सब से पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जब पुराना अधिनियम व्यपगत हो गया है तो इस विधेयक को "अनुपूरक" विधेयक क्यों कहा जाता है ? कोई अनुपूरक विधेयक तो पहले किसी विद्यमान चीज़ के अतिरिक्त ही बनाया जा सकता है । मेरा यह विचार है कि एक और अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जिस में ये सब मामले आ जाते । इस विधेयक में बहुत थोड़े से मामले आयेंगे ।

इस में कुछ कमियां रह गई हैं । सब से पहले मैं माननीय मंत्री से स्वयं एक संशोधन करने का अनुरोध करूंगा जिस से "नगरीय क्षेत्रों" की परिभाषा में सिंध की सफाई समितियों के क्षेत्र भी सम्मिलित हो जायें । ये निर्वाचित समितियां पंजाब की छोटी नगर समितियों के समान ही कार्य करती थीं । इन सफाई समितियों के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण हम माननीय मंत्री की सेवा में प्रस्तुत कर चुके हैं । मैं आप को उस में से कुछ उद्धरण सुना देना चाहता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मंत्री महोदय से बातचीत करने के पश्चात् स्थिति स्पष्ट हो गई है । ऐसी बात नहीं है कि जिन लोगों की सम्पत्ति सफाई समिति के क्षेत्र में थी उन्हें कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा । इस के विपरीत, जैसा माननीय मंत्री ने बताया है, उन्हें उन लोगों की अपेक्षा जिन की सम्पत्ति नगरीय क्षेत्रों में है कुछ अधिक ही मिलने की सम्भावना है । यदि ऐसी बात है तो फिर यह संशोधन क्यों किया जाये ? यदि माननीय मंत्री यह बात स्पष्ट कर दें तो सम्भवतः इस अंश पर आग्रह न किया जाये ।

श्री ए० पी० जैन : मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं । सिंध की सफाई समितियों का प्रश्न कई बार सरकार के समक्ष आया है । सिंध में सफाई समितियों की संख्या बहुत काफी है, सम्भवतः १०० से भी अधिक है । ये सफाई समितियां सभी प्रकार की हैं । कुछ सफाई समितियां ग्राम मात्र हैं या बड़े बड़े ग्राम हैं । कुछ सफाई समितियां काफी विकसित और लगभग नगरीय क्षेत्र के समान ही हैं । अब तक हम ने जो हिसाब लगाया है उस के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण कृषकों को अधिक ऊंचे पैमाने पर ही प्रतिकर मिलने की संभावना है । जिस आधार पर हम ने पंजाब में अर्ध-स्थायी संस्थापन किया है और जिसे पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य भागों के शेष किसानों पर भी लागू करने का हमारा विचार है उस के अनुसार ग्रामीण दावेदारों को अधिक मिलने की सम्भावना है । उदाहरण के लिये पंजाब में दस एकड़ भूमि के स्वामी को ७½ एकड भूमि मिल गई है । मान लीजिये

[श्री ए० पी० जैन]

कि एक एकड़ का मूल्य ५०० रुपये हो तो दस एकड़ का कुल मूल्य ५००० रुपये होता है। इस मनुष्य को इस ओर ३,७५० रुपये के मूल्य की भूमि मिल गई है। मुझे पक्का पता नहीं है, किन्तु अधिक सम्भावना यही है कि नगर में रहने वाले एक व्यक्ति को जिस का ५००० रुपये का दावा है ३,७५० रुपये न मिल सकें। यदि हम इन सभी सफाई समितियों को नगरीय क्षेत्र में बदल दें तो गृह-स्वामियों को तो लाभ हो जायेगा किन्तु भूस्वामियों को हानि होगी। हम पर एक वर्ग के सम्पत्ति के स्वामियों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया जायेगा। यह प्रश्न एक वर्ग को दूसरे में बदलने से हल नहीं हो सकता। जब सिंधियों के प्रतिनिधि मेरे पास आये थे तो मैं ने उन से कहा था, "मुझे सभी सफाई समितियों की एक सूची दे दीजिये और हम प्रत्येक समिति के मामले पर विचार करेंगे। यदि हम देखेंगे कि किसी सफाई समिति की स्थिति नगरों जैसी है तो हम उस समिति को नगरीय क्षेत्र में बदल देंगे, जिस से कि ग्रामीण और नगरीय व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न हो सके।" किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति के साथ भेदभाव करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सब के साथ न्याय करना चाहते हैं। जब प्रतिकर का प्रश्न आयेगा तो मैं किसी भी ऐसी योजना पर विचार करने को तैयार हूं जिस से सफाई समिति के क्षेत्र के निवासियों तथा अन्य लोगों के साथ न्याय हो सके। परन्तु ये जो संशोधन रखे गये हैं इन से सफाई समिति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कारण औरों को हानि उठानी पड़ेगी। मेरे विचार में इस को निबटाने का क्रियात्मक तरीका यही है।

श्री गिडवानी : सफाई क्षेत्रों के दावेदारों में से अधिकांश के पास नगरीय लोगों के समान कृषि भूमि नहीं थी। उन में ५० प्रतिशत भी ऐसे नहीं होंगे जिन के पास कृषि भूमि थी।

श्री ए० पी० जैन : यदि ५० प्रतिशत व्यक्तियों के पास कृषि भूमि है और मैं आप का सुझाव मान लेता हूं तो इस का परिणाम यह होगा कि इन ५० प्रतिशत व्यक्तियों को हानि पहुंचेगी क्योंकि अन्य व्यक्तियों को लाभ होगा।

श्री गिडवानी : तो उन के सम्बन्ध में क्या है जिन के पास कृषि भूमि नहीं है? उन के साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिये जो नगरीय आबादी के साथ किया जा रहा है।

श्री ए० पी० जैन : यह विधयक और मूल अधिनियम दावों के सत्यापन से सम्बन्ध रखता है, इस का क्षतिपूर्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक सत्यापन की प्रणाली का सम्बन्ध है वह देहाती तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये समान है। परन्तु क्षतिपूर्ति देते समय यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि किस सम्पत्ति को देहाती समझा जाये और किसे नगरीय। यह संशोधन यहां असंगत है क्योंकि इस विधेयक का सम्बन्ध क्षतिपूर्ति से नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अनगरीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में सरकार ने जो अधि-सूचना प्रकाशित की है वह यह है : यदि किसी व्यक्ति के पास चार एकड़ भूमि है तो उस की १०,००० रुपये के मूल्य के मकान पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और यदि उस के पास १० एकड़ से अधिक नहीं है तो उस के २०,००० रुपये के मूल्य के मकान पर विचार नहीं किया जायेगा। यह पंजाब के सम्बन्ध में है जहां लोगों को मकान और भूमि दोनों चीजें दी गई हैं। सिन्ध और बिलोचिस्तान के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि देहाती क्षेत्र में

१०,००० रुपये मूल्य का मकान रखने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति मिलेगी अथवा नहीं ?

श्री ए० पी० जैन : जिन को भूमि दे दी गई थी उन को पंजाबियों के समान ही समझा गया था । जिन को आवंटन नहीं किया गया था उन को अपने समस्त दावों के सत्यापन कराने की अनुमति दी गई थी । यदि उसे भूमि नहीं दी गई हो तो उस के मकान का सत्यापन किया जायेगा और यदि उसे भूमि दी गई हो तो उस का सत्यापन नहीं किया जायेगा ।

श्री गिडवानी : किन्हीं व्यक्तियों को पाकिस्तान में छोड़ी सम्पत्ति के आधार पर निर्वाह भत्ता दिया गया था । अब उन को क्षतिपूर्ति देने के लिये उन का निर्वाह भत्ता बन्द कर दिया गया है क्योंकि उन को नगरीय क्षेत्रों का निवासी नहीं समझा गया है और निर्वाह भत्ता केवल नगरीय क्षेत्रों के लिये ही है ।

श्री ए० पी० जैन : इस विधेयक का सम्बन्ध निर्वाह भत्ते से नहीं है । यह विधेयक क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नहीं है; इस का सम्बन्ध तो दावों के सत्यापन से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन मामलों के अतिरिक्त, जिन में नीति सम्बन्धी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हों, अन्य सभी मामलों में जिन में सरकार केवल स्थिति का स्पष्टीकरण मात्र ही करना चाहती हो तो माननीय मंत्री संशोधन देने वाले सदस्यों को अपने विश्वास में लें और एक छोटा सा सम्मेलन कर के मतभेदों को दूर करें । आधे घंटे से इस प्रकार के प्रश्न और उत्तर हो रहे हैं, इस तरह से तो एक विधेयक में ही बहुत अधिक समय लग जायेगा । अतः मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री विषय के सदन में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही संशोधनों की सूचना देने वाले सदस्यों से चर्चा कर के मामलों को सुलझा लिया करें, और यदि किसी बात पर सहमति न हो तो माननीय सदस्य अपने दृष्टिकोण को सदन के समक्ष रखें ।

श्री ए० पी० जैन : गत दो वर्षों में मैं ने कई बार श्री गिडवानी से इस के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया है ।

श्री गिडवानी : यह विधेयक प्रथम बार ही प्रस्तुत किया गया है और मैं ने यह संशोधन दिया है कि इन क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित किया जायेगा । समस्त विधेयक का सम्बन्ध क्षतिपूर्ति के भुगतान से है । यह चार करोड़ रुपये के मूल्य की नगरीय सम्पत्ति को प्रभावित करता है । मेरा सुझाव है कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाये, वहां इस पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी ।

श्री नन्दलाल शर्मा : इस विधेयक का नाम विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक विधेयक, १९५३ है । मूल अधिनियम है विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम १९५०, जो १७ मई, १९५३ को समाप्त हो गया । उक्त अधिनियम के समाप्त हो जाने पर यह अनुपूरक विधेयक कैसे हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी चिन्ता तो केवल इस सदन के क्षेत्राधिकार के विषय में है । यदि इस में भूतलक्षी प्रभाव देने की कोई बात है तो यह ठीक है । नाम मात्र से ही इस सदन का क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं हो जाता है । इस अनुपूरक विधेयक में जो कुछ रह गया था वह देने की चेष्टा की गई है ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : इस में कहीं भी यह बात नहीं कही गई है कि पुराना अधिनियम लागू है या उस का प्रचलन जारी है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परन्तु इस विधेयक में वे सब बातें शामिल हैं जो मूल अधिनियम में थीं ।

श्री राघवाचारी : इस विधेयक का प्रयोजन—जहां तक कि इस मामले का सम्बन्ध है—उस समय तक पूरा नहीं होगा जब तक कि यह विधेयक स्वयं प्रत्येक विचार से एक पूर्ण विधेयक न हो ।

श्री ए० पी० जैन : यह एक पूर्ण विधेयक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सुझाव यह जान पड़ता है कि इस में कोई विशेष उपबन्ध नहीं रखा गया है । यदि यह ठीक है तो उस उपबन्ध को इस में शामिल किया जा सकता है ।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, मैं आप का विनिर्देश इस बात पर चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के विस्तार को संकुचित किया जा सकता है ? संक्षेप में मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान को छोड़ कर इस समय भारत में रहने वाला कोई विस्थापित व्यक्ति जो पीछे कुछ सम्पत्ति छोड़ कर आया हो, अपना दावा किसी भी समय दाखिल कर सकता है ? आप देखेंगे कि यह विधेयक १७ मई, १९५३ के दिन तक विचाराधीन मामलों पर ही लागू होता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई विस्थापित व्यक्ति जो इस समय भारत में बस चुका है, अपना दावा किसी भी तिथि को दाखिल कर सकता है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । जिन लोगों ने एक निश्चित तिथि तक अपने दावे दाखिल नहीं किये, उन्हें अपने ही कारण इस हानि को उठाना पड़ेगा । माननीय सदस्य कह सकते हैं कि उन्हें अब भी अवसर दिया जाना चाहिये । कोई भी सदस्य माननीय मंत्री को इस विधेयक के विस्तार को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं । माननीय मंत्री चाहें तो इसे न केवल मई, १९५३ तक बल्कि १ जनवरी, १९५३ तक सीमित कर सकते हैं ।

श्री गिडवानी : श्रीमान, एक बात और है । दावा अधिकारियों को नगरीय सम्पत्ति को कुछ न्यूनतम तथा अधिकतम दरों के अन्दर अन्दर निर्धारित करने के निदेश दिये गये थे तथा कुछ मामलों में सम्बन्धित पत्रों के दिखाने पर भी क़ीमतों को अपने आप घटा दिया गया है । यह बात न्यायपूर्ण नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा एक सुझाव है कि सदस्यों में समय को बांट दिया जाय । सर्वप्रथम वह माननीय सदस्य, जिन्हों ने इस संशोधन की पूर्वसूचना दी है, वे कारण बतलायें जिन के आधार पर वह इसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करना चाहते हैं । किसी खण्ड विशेष पर विस्तार से चर्चा खण्डशः विचार के समय की जा सकती है । इस समय वह इस विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने से जो विशेष लाभ हो सकते हैं, उन का वर्णन करें ।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, कई एक बातों पर विस्तारपूर्वक विचार के लिए इस विधेयक का प्रवर समिति को भेजा जाना उचित है । कई मामलों में दावा अधिकारियों के सामने अपने दावों की जांच कराने के सम्बन्ध में लोगों को नोटिस ही नहीं पहुंचे; कई दूसरे मामलों में ग़लत पतों पर पहुंचे तथा कई एक मामलों में बहुत दूर होने के कारण दावेदार उपस्थित नहीं हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये वैयक्तिक मामले हैं । इस में मंत्री महोदय को मई, १९५३ के बाद की तिथि देने के लिये मनाया जा सकता है, परन्तु प्रवर समिति इस में क्या सहायता कर सकती है ?

श्री गिडवानी : मैं सदन के सामने कुछेक मामलों को रखना चाहता हूं । कोल्हापुर के एक श्री देवमल दयाराम हैं जो फ़रवरी तक सरकारी सहायता से निर्वाह करते थे । वह एक वृद्ध व्यक्ति हैं । उन्हें अपने दावे की

जांच के लिये शोलापुर उपस्थित होने के लिये कहा गया जो कोल्हापुर से ३५६ मील दूर है। उन्होंने पुनर्वास मंत्रालय तथा मुख्य दावा आयुक्त को कई पत्र लिखे। उन का शोलापुर में भी अपना कोई एजेन्ट नहीं था। परिणाम यह हुआ कि अनुपस्थिति में उन के दावे को रद्द कर दिया गया।

अभी कल ही वैल्लोर से एक सज्जन मेरे पास आये। उन्हों ने अपने दावे के सम्बन्ध में हुआ पत्रव्यवहार मुझे दिखाया। उन्हों ने अपना दावा २९-११-५० को दिल्ली में पंजीबद्ध कराया था। बाद में २१-७-१९५२ को उन्हें बताया गया कि उन का मामला श्री डी० के० कृष्णानी को भेज दिया गया है। २३-१-१९५३ को इसे श्री रूपचन्द आसूमल कं० को भेज दिया गया। बाद में श्री वी० एम० गिडवानी से उन्हें पता लगा कि इसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। इस के बाद उन्हों ने निरन्तर पत्रव्यवहार किया तथा कई पोस्टल आर्डर भेजे तथा लिखा कि श्री वी० एम० गिडवानी द्वारा दावे के रद्द किये जाने की अवस्था में उस पर पुनः विचार की प्रार्थना की जाये। इस प्रकार से वह सज्जन कितने ही समय से परेशान हो रहे हैं।

मेरे कहने का सारांश यह है कि बहुत से लोग अनपढ़ तथा अनभिज्ञ हैं और बहुत दूर ग्रामों में रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टतः माननीय सदस्य उन मामलों को शामिल करना चाहते हैं जिन में दावेदार के किसी दोष के बिना ही उस के विरुद्ध आदेशों को जारी कर दिया गया है।

श्री ए० पी० जैन : हम अनिश्चित समय तक ऐसा नहीं कर सकते। यदि पर्याप्त कारण हैं तो उन का प्रार्थनापत्र में वर्णन किया जा सकता है तथा हम उसे उचित कार्यवाही के लिये भेजेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या पुनर्विचार का कोई उपबन्ध इस में रखा गया है ?

श्री ए० पी० जैन : ये वैयक्तिक मामले हैं जिन पर निस्सन्देह विचार किया जायगा। सन्तोषजनक कारण होने पर निश्चय ही उन पर पुनः विचार किया जायगा।

श्री गिडवानी : आप इस मांग को स्वीकार करें या न करें, परन्तु आप की सूचना के लिए मैं एक और मामले का वृत्तान्त पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इस का सम्बन्ध श्री धनोमल मंगतराम से है। उन की आयु ७५ वर्ष है। पाकिस्तान में वह १३ से १४ लाख रुपये की सम्पत्ति कृषि भूमि तथा मकानों के रूप में छोड़ कर आये हैं। कुछ समय पहिले उन के समस्त सम्बन्धी तथा सहभागी पाकिस्तान छोड़ कर भारत चले आये थे। वह तथा उन की पत्नी ही वहां रह गये थे। बादमें मुस्लिम निष्क्रमणार्थियों ने उन्हें किराया देना बन्द कर दिया तथा क्रमशः उन्हें निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के सहायक संरक्षक जिला थारपार्कर, मीरपुर खास से नोटिस मिला तथा उन पर पाकिस्तान को छोड़ने के इरादे का आरोप लगाया गया। अन्त में उन की सम्पत्ति भी उन से ले ली गई तथा बेचारे को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। इस में इन बेचारों का कोई दोष या अपराध नहीं होता है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन दावेदारों की मृत्यु हो चुकी है, उन के उत्तराधिकारियों को दावों का धन मिलना चाहिये। ऐसा करने में उन से उत्तराधिकार प्रमाणपत्रों के पेश करने की मांग नहीं की जानी चाहिये।

श्री ए० पी० जैन : माननीय सदस्य ने इस अभिप्राय का कोई संशोधन नहीं रखा है। यह बात इस विधेयक के विस्तार के अन्तर्गत नहीं आती है। उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान इस विधेयक के विस्तार से बाहिर की बात है। दावे की जांच

[श्री ए० पी० जैन]

पड़ताल का कोई प्रश्न नहीं उठता है । इस प्रश्न को उस अवसर पर उठाना चाहिये जब क्षतिपूर्ति के भुगतान सम्बन्धी विधेयक को प्रस्तुत किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन का आशय यह है कि न्यायालय शुल्क तथा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आदि की आवश्यकता न रहे । माननीय मंत्री काफ़ी सहानुभूति रखते हैं तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान के समय इस सवाल पर विचार हो सकता है ।

श्री गिडवानी : माननीय मंत्री को पुराने अधिनियम के अन्तर्गत भी काफ़ी अधिकार प्राप्त हैं जिन के अनुसार कुछेक दावेदारों को अधिक सहायता दी जा सकती है । एक पुस्तिका की प्रस्तावना में माननीय मंत्री ने लिखा है कि वह शरणार्थी समस्या पर केवल मानवीय दृष्टि से विचार करते हैं । मैं चाहता हूं कि वह अपनी नेक भावनाओं का प्रमाण इस अधिनियम की कार्यान्विति में दें तथा किसी भी दावेदार से अन्याय न होने देने के निश्चित प्रबन्ध करें । शरणार्थियों को अपनी सम्पत्ति के बारे में केवल १० या १५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति ही दी जा रही है जो बहुत थोड़ी है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उन समस्त तथ्यों पर विचार करेंगे जो आज मैं ने उन के सामने रखे हैं तथा एक भी मामले में अन्याय नहीं होने देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि इस में मंत्रालय के प्रतिनिधि को नहीं लिया गया है । मंत्रालय के प्रतिनिधि का लिया जाना ज़रूरी है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका मश्कूर हूं कि गोकि मेरा हक नहीं था कि इस समय मुझे फौरन मौक़ा मिले लेकिन आपने मेरे ऊपर यह मेहरबानी फरमाई है ।

सरदार हुक्म सिंह : उन्होंने आपकी खातिर नहीं, अपनी खातिर दिया है ताकि आप वहां जा सकें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं सरदार साहब और अचिंतराम जी का भी मश्कूर हूं कि उन्होंने बहुत गुड ग्रेस से इसको मंजूर फरमाया है । लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो कुछ अर्ज करूंगा उनकी भी सहमति उस को हासिल होगी और जनाब भी यह अम्र महसूस करेंगे कि मैं उन्हीं खयालात को दोहराऊंगा जो कि जनाब ने चेअर से जाहिर किये हैं ।

यह बिल दूसरे बिल के साथ सप्लिमेन्टरी इस सेन्स में है कि बिला उस बिल को समझे हुए हम इस बिल का अन्दाज़ा नहीं लगा सकते कि यह नई चीज है या उसी का एक जुज़ है । उसकी जो बहुत सी चीजें हैं वह इस के अन्दर ज़रूर इम्लिसिटली कायमशुदा समझी जायेंगी इस वजह से मैं इसमें कोई आब्जेक्शन नहीं समझता कि दोनों बिलों को हमें एक साथ पढ़ना होगा ।

अब अगर जनाब वाला, स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एड रीजन्स का मुलाहजा फरमायेंगे तो उनको यह रोशन हो जायेगा कि इसमें चार पांच बातें आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने कही हैं । मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं, जैसा कि एक फ़ारसी का मसला है, कि आपकी मेहरबानी ने मुझ को गुस्ताख़ कर दिया । आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने अपने बिल में डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को तीन महीने की मियाद दी है कि वह अपने क्लेम्स को लायें और आनरेबुल मिनिस्टर साहब उनका फैसला करेंगे । नतीजा क्या होता है ? लोग जो मारे हुए थे, बिछड़े हुए थे, उनको सरकार से उम्मीद नहीं रही थी । जिस वक्त यह सूरत थी कि गवर्नमेंट कहती थी कि क्लेम्स लाओ तो लोग कहते थे कि यह वही गवर्नमेंट है जिसको

हम सन् १९४८, १९४९ और १९५० से क्लेम्स दे रहे हैं, और कुछ नहीं हुआ। हम किस को जाकर क्लेम्स दें? यह स्थिति थी, उस वक्त हम सब ने जाकर आनरेबल मिनिस्टर साहब की तरफ से लोगों से कहा कि क्लेम्स दो, सरकार तुमको जरूर कम्पेनसेशन देगी। मैं खुश हूं कि आज वह दिन आ गया है कि आनरेबुल मिनिस्टर साहब के साथ साथ गरीब बेवा औरतें फोटो में खड़ी होती हैं और उन को यह चेक देते हैं। मैं जानता हूं कि यह सरकार या कोई सरकार दुनिया में पूरा मुआवजा नहीं दे सकता, लेकिन हमारी सरकार ने थोड़ा ही सही, मुआवज़ा दिया और उसके वास्ते में उसकी जितनी भी तारीफ़ करूं थोड़ी है, और आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने इसमें जो पार्ट अदा किया है वह ऐसा है जिसको रिफ्यूजीज़ और वह लोग, जिनका रिफ्यूजीज़ से कोई वास्ता है, हमेशा याद रक्खेंगे।

मौके मौके पर हमने देखा है कि आज स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी आयंगर ने बयान दिया कि कम्पेन्सेशन मिलेगा, लेकिन उसी के फ़ौरन बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर पानी फेर दिया। इसके बाद दूसरे मिनिस्टर ने कहा कि कम्पेन्सेशन मिलेगा और तीसरे मिनिस्टर ने उसे शक में डाल दिया। मगर हमारे मौजूदा मिनिस्टर साहब बिल्कुल चट्टान की तरह अडिग खड़े रहे कि कम्पेन्सेशन जरूर मिलेगा और इसके लिये उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की भी परवाह नहीं की। मैं उनको मुबारक़बाद देता हूं पब्लिकली, और मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस मेहनत से, जिस मोहब्बत से और जिस खुश अस्लूबी से उन्होंने अपना काम शुरू किया था, वह आखिर तक उस पर क़ायम रहे और उसी हौसले को क़ायम रक्खा, उसी सिम्पैथी को क़ायम रक्खा ताकि लोग कह सकें कि जिस तरह से उन्होंने काम शुरू किया था उसी तरह उसको ख़त्म भी कर दिया।

जिन तीन मिसालों का श्री गिडवानी ने हवाला दिया है उनको पढ़कर, उनको सुन कर किस आदमी का दिल नहीं पसीजेगा? मैं कहता हूं कि एक शख्स जो १४ लाख का मालिक था उसको आज इन्टेन्डिंग एवैक्वी होने के बहाने सिंध से निकाल दिया गया। आज आखिर वह कहां जाय, यह मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं? उन का दिल हर एक के लिये पसीजता है। उस ग़रीब आदमी के लिये इस बिल में जगह निकालिये या इस को बदलिये। मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत केसेज़ नहीं हैं, क्योंकि सभी को पहले से ही वेस्ट पंजाब से निकाल दिया गया, लेकिन थोड़े ही सही, ऐसे केसेज़ हैं। अगर आप कान्स्टिट्यूशन का मुलाहज़ा फ़रमायें, उस में दिये हुए ईक्वैलिटी आफ ट्रीटमेंट का मुलाहज़ा फ़रमायें तो आप देखेंगे कि अगर ए और बी को आप मदद देते हैं तो कोई वजह नहीं है कि किसी को यह इम्दाद न मिल सके। हर शख्स को हक़ है और हर एक को उसी बेसिस पर मुआवजा मिलना चाहिये जिस पर कि उसके दूसरे भाइयों को मिला है। मैंने आनरेबुल मिनिस्टर साहब से दरयाफ्त किया कि ऐसे कितने आदमी होंगे तो आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया ऐसे आदमियों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि ऐसे आदिमियों को किसी ऐसी चीज़ से, जिसे कि आपने दूसरे रिफ्यूजीज को दिया है, आप महरूम नहीं रख सकते। वरना किसी रिफ्यूजी को सब्र नहीं आयगा उसके वारिसों को सब्र नहीं आयेगा, और वह कभी नहीं भूलेगा कि सरकार ने अपनी तरफ़ से औरों को मुआवजा दिया लेकिन उसको मुआवज़ा के हक से वंचित रखा। आप उस ग़रीब को देखिये जो कि पाकिस्तान के जुल्मों का शिकार हो कर मजबूरन यहां आया। अगर वह सन् १९५० के ऐक्ट के मुताबिक़ डिस्प्लेस्ड पर्सन की तारीफ़ में आता है तो कोई

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वजह नहीं मालूम होती कि उस को इस मुआवज़े से महरूम रक्खा जाय । और जो कांस्टीट्यूशन का क्लाज़ है ईक्वैलिटी आफ ट्रीटमेन्ट का उस से महरूम रक्खा जाय । यहां लोग आते हैं रिहैबिलिटेशन के वास्ते, मकान के वास्ते, रोटियों के वास्ते । आप उन्हें इस तरह से मायूस नहीं कर सकते आपको दिल का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा । मैं कहता हूं आनरेबुल मिनिस्टर से और सारी कैबीनेट से कि उन लोगों को जो कि उधर से आये हैं, अगर वह डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की तारीफ़ में आते हैं तो आप उनको वंचित नहीं कर सकते और न रोक सकते हैं उनके क्लेमों को । अगर आनरेबुल मिनिस्टर साहब दोनों एक्टों का प्रोटेक्शन लें और कहें कि यह लोग ऐक्ट के अन्दर नहीं आते हैं तो मैं एक कानूनदां की हैसियत से तो मानने को तैयार हूं कि वह लोग नहीं आते, लेकिन ऐसा कानून लाजिकल (तर्कयुक्त) ही है । जो चीज़ उसके अन्दर नहीं आती क्या वह सब की सब जायज़ है ? हम यहां लीगलिस्टक फार्म के लिये नहीं बैठे हैं । हमने कान्स्टीट्यूशन में लिखा है कि हम सोशल जस्टिस देंगे हर तरह की जस्टिस देंगे । मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब से अदब से पूछूंगा कि ख्वाह कोई शख्स इस बिल के अन्दर आये या न आये, आप किस क़ानून से उस को इस बिल के मफ़ाद से महरूम कर सकते हैं । यह एक ऐस्पेक्ट आफ़ दि केस है कि आदमी पहले आये हों या बाद में आये हों उनके साथ यकसां सलूक होना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे आनरेबुल मिनिस्टर साहब पत्थर का दिल रखते तो मैं कुछ नहीं कहता । लेकिन उन्होंने इस बिल में उन लोगों के लिये प्रोवाइड किया है जो कि बाद में आये हैं और ट्राइबल एरियाज़ के हैं या ऐसे लोग हैं जिनके क्लेम्स थे मगर वह अब तक पक्के नहीं हुए हैं और रजिस्टर नहीं किये गये हैं । आज आप अपने नर्म दिल को और कांशेंस को सेटिस्फाई करने के लिए ट्राइबल एरियाज के क्लेम्स को ले रहे हैं, तो मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि जो ट्राइबल एरियाज़ से नहीं आये मगर जिनकी हालत वैसी ही है तो आप उनको वही फ़ायदा क्यों नहीं देना चाहते । उनकी बहुत बड़ी तादाद नहीं है । मैं इसको नहीं मानता हूं कि आप इनको कम्पेन्सेशन नहीं दे सकेंगे क्योंकि आप ने तो एक फंड मुक़र्रर कर दिया है कि इतना रुपया कम्पेन्सेशन में मिलेगा । आपने उनकी तादाद मुक़र्रर कर दी है कि ३,९०,००० को मिलेगा । अब पाकिस्तान से तो हमको कोई उम्मीद ही नहीं है । अब अगर किसी का हिस्सा कम होगा तो उन्हीं का होगा । सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा । अब अगर डिस्प्लेस्ड परसन्स को २५ परसेंट के बजाय २४ परसेंट मिल जाय और उनके दूसरे भाइयों को भी मिल जाय तो इसमें आपका क्या हर्ज है । मैं जानता हूं कि इसमें दस पन्द्रह दिन की देरी हो जायेगी लेकिन इसका कोई बहुत लम्बा चौड़ा असर नहीं होगा क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है । इसलिये मैं बड़ी आजिज़ी से लेकिन बड़े जोर से अर्ज करूंगा कि आप अपने दिल का दरवाज़ा खोल दें क्योंकि यह दरवाजा बहुत वसीय होना चाहिये ।

गिडवानी साहब ने जो अपील की है मैं उसके बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप देखें कि हमारे मुल्क में ऐसे कितने आदमी हैं जो कि अंग्रेज़ी जानते हैं । हिन्दी और उर्दू जानने वाले भी बहुत कम हैं । आपने यह अखबारों में दे दिया कि फलां दिन तक क्लेम आवें लेकिन कितने आदमी अखबारों को पढ़ते हैं । कितनों को इसका इल्म हुआ होगा । मैं मानता हूं कि जब वह लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को बतलाते हैं । लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं कि इतने बड़े देश के अन्दर ऐसे आदमी भी

होंगे जिनको कि इसकी इत्तला न हुई हो बहुत लोगों को तो यह भी मालूम नहीं है कि यहां पर क्लेम्स दिये जाते हैं । मेरे लायक दोस्त यह सुन कर हसेंगे । लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक रेल नहीं देखी है, जिन्होंने मोटर नहीं देखी है । जब मैंने कुछ रिफ्यूजीज़ को जींद के स्टेशन पर १९४७ में देखा तो मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि पंजाब में ऐसे भी लोग रहते हैं । यह लोग सिविलाइजेशन के लिहाज़ से बहुत पीछे थे । उनसे यह उम्मीद करना कि वह आपके लिमिटेशन के कानून को जानते होंगे दुरुस्त नहीं है । मैं यह जानता हूं कि ४,५०,००० क्लेम आये थे जिनमें से ६०,००० वेरीफाई नहीं किये गये, सिर्फ ३,९०,००० वेरीफाई हुए ।

श्री ए० पी० जैन : कभी दो बार तीन बार तक दावे किये गये थे; कभी दूसरी तरफ कोई सम्पत्ति ही नहीं थी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दुरुस्त है । हां, कुछ ग़लत दावे दिये गये । ऐसे भी लोग थे जिनकी प्रापर्टी नहीं थी पर जिन्होंने क्लेम दिये । लेकिन मेरी आपकी खिदमत में यह अदब से गुज़ारिश है कि उनमें ऐसे भी लोग थे जो कि लिमिटेशन की वजह से मारे गये, जिनको इत्तला नहीं मिली, या जिनके डुपलीकेट नहीं मिले ।

श्री ए० पी० जैन : यदि कोई दावा किया था, तो उसकी पुष्टि की जायेगी; उसके पुष्टिकरण की व्यवस्था है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अर्ज करूंगा कि जो प्रावीज़न है वह बहुत नाकाफ़ी है । जो प्रावीजन है वह मुझे मालूम है लेकिन वह नाकाफ़ी है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं, मुझे और ज्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आनरेबल मिनिस्टर साहब ने मेरी अपील मान ली है । वह फ़रमाते हैं कि ऐसे केसेज़ को हम इजाज़त देंगे लेकिन जो प्रावीज़न उन्होंने रखा है वह मेरी नाक़िस राय में काफ़ी नहीं है । हमारा झगड़ा तो इसी बात पर है कि जो शख्स लिमिटेशन की वजह से रह गया है उसको भी रिवीज़न का हक़ देना चाहिये ।

श्री ए० पी० जन : मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वह परिभाषाओं को देखें । 'क्लेम' शब्द का अर्थ है उस क्लेम से जो कि मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध कराया गया हो तो निश्चित तिथि को लम्बित हो । डुप्लीकेट दाखिल किया गया है या नहीं किया गया है, अगर क्लेम दिया गया है और अभी वह निपटाया नहीं गया है, तो उस को निपटाया जायेगा । मैं किसी स्वतः अधिकार पर निर्भर नहीं कर रहा हूं, मैं तो 'क्लेम' की परिभाषा पर विश्वास कर रहा हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला मैं अर्ज़ कर रहा था ५ (२) के बारे में । मेरे लायक दोस्त ने ५ (२) का हवाला दिया । तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहां कहीं भी रिवीज़न का हक़ दिया जाता है वह दो तरह दिया जाता है । एक तो मरसी पिटीशन की तरह है कि कोर्ट स्यू मोटो किसी दूसरे को बुलावे । वह केसेज़ बहुत थोड़े होते हैं । दूसरे वह केसेज़ होते हैं कि जिसके अन्दर एग्रीव्ड पार्टी खुद जा कर दरवाज़ां खटखटाये और कहे कि मेरा क्लेम सुन लीजिये । ५ (१) में आपने एक महीने की लिमिटेशन रखी है । यह जो लिमिटेशन का क़ानून दूसरे मुल्कों से ला कर यहां चलाया गया है उसको मैं मानता हूं क्योंकि हर चीज़ की कहीं न कहीं लिमिट मुक़र्रर होनी चाहिये नहीं तो मुश्किल हो जाय । लेकिन मुआवज़ा देने की या इंसाफ़ देने की जो कि सरकार को देना है उसकी क्या मियाद हो सकती है । उसकी मियाद को बना कर इस सख्ती से लागू नहीं करना चाहिये जैसा कि ५ (१) में दर्ज है । मैं अर्ज़ करूंगा कि मिनिस्टर साहब ने तीन महीने की मियाद मुक़र्रर की थी पर वह उस पर खुद क़ायम नहीं रहे और उन्होंने पहले उसको

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

एक महीना और बढ़ाया और फिर २६ महीने तक क्लेम लेते रहे । इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उसी बुनियाद पर अपील करता हूं जिसकी वजह से उन्होंने तीन महीने से २६ महीने मियाद बढ़ा दी । अब यह रिफ्यूजीज़ की आपसे यह आखिरी अपील है । वह दिन मुबारक होगा जिस दिन मिनिस्टर साहब अपना काम पूरा कर लेंगे और उनका यह महकमा खत्म हो जायगा । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह आखिरी मौक़ा है कि आप इस लिमिटेशन को बढ़ा दें । लिमिटेशन के गुज़रने का फ़ायदा दूसरी पार्टी को मिलता है । पर यहां तो गवर्नमेंट दूसरी पार्टी है । मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह जो आपने लिमिटेशन रखा है इसको हटा लीजिये यह आखिरी मौक़ा है क्लेम देने का । उन लोगों के क्लेम ले लिये जायं जिनके क्लेम किसी टैकनिकल वजह से नहीं लिये गये हैं । डिप्टी स्पीकर साहब जनाब वाला, ने निहायत खूबसूरत अल्फ़ाज़ में यह दरयाफ्त फ़रमाया था कि जिन लोगों के क्लेम डिफ़ाल्ट की वजह से नहीं लिये जा सके उनके अलावा जिनके क्लेम किसी टैकनिकल वजह से नहीं लिये गये क्या उनके लिये कोई प्रावीज़न है । आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया कि हां हैं । मैं मानता हूं कि ज़रा सा लूपहोल तो रखा गया है यानी स्यू मोटो रिवीज़न के वास्ते रखा है । लेकिन जो अपील हम लोग मिनिस्टर साहब की खिदमत में करना चाहते हैं वह यह है कि आप इस लिमिटेशन के क़ानून को हटा दीजिये ताकि डिफ़ाल्टर्स को छोड़ कर बाक़ी, नये क्लेम आपके सामने आ सकें । मैं जानता हूं कि आप इसको मानने को राज़ी नहीं होंगे क्योंकि जो बार बार रियायत देता है उसके लिये ऐसा करना मुश्किल हो जाता है और वह चाहता है कि कहीं खत्म करे । लेकिन गरीब नवाज़ हिन्दुस्तान में तीन बार माफ़ी दी जाती है । दो बार आप कुसूर माफ कर चुके हैं । तीन महीने से आपनें चार महीने किया और फिर उस को बढ़ा कर २६ महीने किया । अब आखिरी माफी यही है कि आप इस लिमिटेशन के कानून को वापिस ले लीजिये । और इस बात की इजाज़त दीजिये कि जितने क्लेम किसी टैक्नीकल वजह से नहीं लाये जा सके वह लाये जा सकें । इन में बिल्कुल डिफाल्ट वाले क्लेम नहीं होगें । आप इस लिमिटेशन को ससपेंड कर दीजिये और इस नेक काम को जिस से गवर्नमेंट की कीर्ति को चार चांद लगेंगे और आप की भी शान बढ़ेगी, आगे बढ़ने दीजिये । और लोगों को यह महसूस करने दीजिये कि वह एक वैल्फेयर स्टेट में रह रहे हैं न कि एक लीगलिस्टिक स्टेट में जो कि लिमिटेशन के कानून को लागू करती है । अगर आप स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीजन्स को देखें तो आप को मालूम होगा कि ऐसा एक भी केस नहीं है जो लाला अचित राम के अमेंडमेंट में न आता हो । इसमें दिया है

> "दावे तथा निपटाई गई तथा अब तक न की गई पुनरीक्षण याचनायें इस में सम्मिलित हैं, अथवा आनुषंगिक उपबन्ध तथा अब तक, सत्यापित न किये गये क्लेमों का सत्यापन, का पुष्टिकरण"

आप ने सब कुछ प्रावीज़न किया है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं कानूनी तौर से कुछ अमेंडमेंट करने के लिये नहीं कह सकता । यह तो एक पिटीशन आफ मरसी है कि आप इस चीज को कायदे कानून की नजर से न देखें और अपने विशाल हृदय का विकास करें और उन लोगों के साथ इन्साफ करें जो कि उस के मुस्तहक हैं । मैं जानता हूं कि जो पीछे आये हैं उन के लिये आप नया बिल लाने के लिये तैयार हैं । लेकिन ऐसे

भी सैंकड़ों हैं जो कि किसी वजह से नहीं आ सके, बुड्ढे होने की वजह से या और किसी वजह से उन को भी आप इन में शामिल कर लें। मुझे जो कुछ अर्ज करना था वह मैं ने कर दिया और मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब मेरी अर्जदाश्त को कबूल फरमायेंगे ।

लाला अन्चित राम (हिसार): प्रधान जी, मैं समझता हूं कि एक एक दफा ही मौका मिलेगा इसलिये मैं अपने ख्यालात के मुताल्लिक अर्ज कर देना चाहता हूं मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्यों कि इस में जो कुछ किया गया है वह रिफ्यूजीज की भलाई के लिये किया गया है। मुझे जैन साहब के मुताल्लिक तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वक्तन फवक्तन उन्हों ने अपने नेक इरादों का हमारे सामने सबूत दिया है। सिलैक्ट कमेटी में वह हमेशा रिफ्यूजीज के लिये लड़ते रहे हैं। इस वास्ते उनके मुतालिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मगर में जानता हूं कि हमारे जैन साहब मिन्नत को नहीं मानते वह तो दलील को मानते हैं। मिन्नतें तो हमारे बाबू जी ने बहुत कर दी हैं। मैं उन की खिदमत में दलील भी पेश करना चाहता हूं ।

मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। यह जो बिल है इस की आप हिस्ट्री देख लीजिये । यह बिल सन् १९५० में आया। उस वक्त इस में दो बरस का प्रावीज़न किया गया। जब हम ने सुना कि दो बरस के लिये यह है तो हम को बहुत बेचनी हुई। यह सवाल हमारी ऐडवाइजरी कमेटी में आया। यहां पार्लियामेंट में कहा गया कि एक साल में काम हो जायगा। मोहन लाल जी सक्सेना उस वक्त थे। तो उन्हों ने कहा कि दो साल का प्रावीज़न तो हम कर रहे हैं लेकिन काम खत्म करेंगे एक साल के अन्दर। मैं ने आखिरी स्पीच में भी यह बात कही थी आप दो साल रखते हैं। लेकिन उन्हों ने कहा कि एक साल में काम हो जायगा ! खैर मिनिस्टर साहब की बात थी अच्छे आदमी थे उन की बात हम ने मानी, उन के ऊपर ऐतबार किया। फिर दिन गिनने शुरू किये, महीनों गुज़रे, एक साल गुज़र गया, डेढ़ साल गुज़र गया और आखिर दो साल भी गुज़र गये। फिर फौरन हाउस के अन्दर एक अमेंडमेंट ऐसी लाई गई कि दो साल का अरसा तीन साल किया जाय। इस तरह यह एक पत्थर था जो हम पर पड़ा, लेकिन क्या करें सिवाय इस के कि बर्दाश्त करें। खैर बर्दाश्त किया। एक साल के बाद डेढ़ दो साल गुजरे और अब तीन साल भी जो रखे गये वह भी हो गये। इस को भी बर्दाश्त किया।

उस के बाद अब आप देखें कि यह बिल और आ रहा है, जिस का मैं स्वागत कर रहा हूं। यह ख्याल रखिये कि इस का स्वागत तो कर रहा हूं लेकिन वक्त कितना बढ़ा। अब मैं आप से पूछता हूं कि जरा आप अपने दिल में सोचिये कि यह साल का डेढ़ साल हुआ, दो साल हुए और ढ़ाई साल हुए और तीन साल भी हो गये। यह किस की कीमत पर हुए, किस के लिये हुए और क्यों हुए। यह वक्त क्यों बढ़ा ? क्या यह वक्त इस लिये बढ़ा, इस वास्ते बढ़ा कि कम्पेन्सेशन देने को गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार बैठी थी ? क्या इस से लोगों को मौका दिया जा रहा था कि और एप्लिकेशन आ जायें ? क्या लोगों से एप्लिकेशन और दिलाने के लिये यह बक्त बढ़ाया गया था ? यह किस लिये बढ़ाया गया, यह आप अपने दिल से पूछिये, मैं नहीं जानता।

अब तक तो बहुत सी बातें आप करते रहे। कभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी देंगे, अपनी ताकत के मुताबिक कम्पनसेशन देंगे, कभी कहा कि नहीं देंगे। यह सारा मामला इस तरह के झगड़े में पड़ा रहा। तो यह कहना कि सिर्फ रफ्यजीज

[लाला अचित राम]

के मफाद के लिये यह वक्त बढ़ाया गया है, मुमकिन है कि थोड़ी बहुत यह बात हो, लेकिन तबीअत बहुत इस को नहीं मानती है। यह लगातार वक्त का बढ़ाना क्या बात हुई? यह क्या मजबूरी थी। मैं ने तो कभी इस बात को तसलीम ही नहीं किया कि अगर रुपया हो और आदमी में अरनैस्टनैस हो तो कोई काम नहीं हो सकता। तीन साल के क्या मतलब होते हैं? मगर क्या आज लड़ाई आ जाये, लड़ाई पाकिस्तान के साथ शुरू हो जाये, तो क्या आप यह कहेंगे कि हमारे आदमी तैयार नहीं हैं, फाइव इयर प्लान में लगे हुए हैं, या यह कि नहरें बन रही हैं, रुपया उन में लग रहा है, यह नहीं होगा। आप एक दम, एक वीक में तमाम काम को स्विच कर देंगे। वजह इस की क्या? वजह यह कि मुल्क की रक्षा का काम करना है, इस का इन्तजाम करना है: एक हफ्ते के अन्दर ही पार्लियामेंट की शक्ल बदल जायेगी, क्योंकि मुल्क की हिफाज़त का सवाल है। आज एक करोड़ आदमी लड़ाई में मरे, मुझे पता नहीं कि एक करोड़ मरे या कितने मरे। लेकिन आज इतने आदमी तबाह हुए और मरे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस काम को वार बेसिस पर होना चाहिये। उन्हों ने कहा कि एक साल में होगा, वह एक साल हो गया, दो साल हो गये, तीन साल हो गये, कोई बात नहीं ऐसा होता ही रहता है। लेकिन मैं इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि अगर कोई आदमी किसी काम को करने के लिये अरनैस्ट हो तो वह इस काम में दो साल लगा दे। लेकिन हम क्या करें? हमें तो माफ करना ही है, एक साल को माफ करना है, दो साल को माफ करना है, और तीन साल को भी माफ ही करना है। और पता नहीं अभी कितने साल और माफ करना है छै साल के लिये भी हम तैयार हैं। छैः साल होंगे तो उन को भी माफ करना ही पड़ेगा।

इस वास्ते आज बाबू जी ने जो अपील की कि एक महीना दिया, दो महीने दिये, तीन महीने दिये और चार महीने दिये तो मैं कहता हूं कि हम ने तो महीने नहीं साल दिये हैं एक साल दिया, दो साल दिये, तीन साल दिये। तो इस तरह से इतना वक्त गुज़र गया और हम माफ करते गये। तो खैर अच्छी बात है जो आप ने किया। अब सवाल यह रहता है कि इस बिल की हैसियत क्या है? मैं सादिक दिली से, तमाम प्यार से और दर्द से सच्ची बात कहूंगा कि हजारों आदमी हमारे हाउस के बाहर हम को फेस करने पड़ते हैं। वह मुझ से कहते हैं कि तुम कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हो, गवर्नमेंट के मेम्बर हो, तुम ने हमारे लिये क्या किया। हम उन से क्या कहें। हम कोई बात कहते हैं तो जैन साहब नाराज़ हो जाते हैं। जैन साहब नाराज़ भी जल्दी ही हो जाया करते हैं। तो कहीं ऐसी बात न हो जाये कि जैन साहब नाराज़ हो जाये, इसलिये बहुत डर डर के हम बात करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं तो बात कहनी ही पड़ती है। इस वक्त जो यह बिल है, बाबू जी ने इस की खासी वजाहत कर दी। मुझे तो यह मालूम पड़ता है कि इस बिल के अन्दर आप ने पंजाबी कहा तो पंजाबियों ने तो अपनी जनरासिटी दिखा दी इन्हों ने पंजाबी मान कर आप की यह बात कि हमारे पास आदमी नहीं हैं माफ कर दिया। अब मैं कहता हूं कि वैसे वह पंजाबी हैं आप ने उन को माफ नहीं किया। आज तो हालत यह होती है, घरों में तरीका यह होता है कि जो मालिक होता है उस की गलती कोई नहीं देखता, जो नौकर होता है उस की गलती निकालते हैं। लेकिन आज हालत यह है कि जब भी गलतियां निकालने का मौका होता है तो मालिकों की गलतियां निकालते हैं, नौकर चाहे जो करे। मालिक आज कौन है? मालिक तो मुल्क के रहने वाले हैं, रिफ्यूजी हैं। नौकर कौन है?

नौकर तो गवर्नमेंट है । आज नौकर जो है, उस की गलती कोई नहीं है । यह कहते हैं कि रिफ्यूजीज बेईमान हैं, गलत बयान देते हैं, चीज़े विदहोल्ड करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं । आज मालिक का नुक्स निकालते हैं, लेकिन नौकर का नुक्स कहने की जुर्रत कोई नहीं कर सकते ।

इस वास्ते मैं कहूंगा कि इस बिल के अन्दर जो नुकायस हैं, मैं तो समझता हूं कि इट इज नाट सफिशियेंटली जनरस, बाबू जी ने जो कुछ इस बिल के बारे में कहा वह, अच्छा कहा, थोड़ा मैं भी उस को मानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हैं, वह तमाम चीजें इस में आ जाती हैं तो वह क्यों न लाई जायें । मैं ने एक केस दिया मंत्री जी को । चन्द दिन हुए एक आदमी ने दरख्वास्त दी । उन्हों ने कहा कि इन टाइम नहीं थी । मैं ने इन को लिखा कि अब वह क्या करे । इन्हों ने कहा कि इस की डिले कनडोन नहीं हो सकती । अब नया बिल आ रहा है, इस बिल में तो इन की डिले तो कनडोन हो सकती है, लेकिन इन आदमियों की एक दो महीने की डिले कनडोन नहीं हो सकती । अभी मैं ने चन्द दिन हुए एक चिट्ठी लिखी थी । जयपुर के एक बेचारे गरीब सिन्धी ने २० हज़ार रुपये का क्लेम दिया, क्लेम अफसर को भी लिखा किन्तु उस को उस की कोई इत्तिला नहीं और कोई जवाब उस का नहीं है । कागज़ात उस के पास नहीं हैं, अब बतलाइये उस बेचारे गरीब के क्लेम का क्या बनेगा । और वह किस कैटेगरी में आयेगा । मैं जानता हूं कि आप की ख्वाहिश उस कैटेगरी के लोगों को इनक्लूड करने की है, लेकिन खाली ख्वाहिश से तो बनने वाला नहीं है, जरुरत इस बात की है कि इस बिल को ऐसा मौडिफाई कीजिये जिस से वह इस के अन्दर आ जायें । आप सवाल बड़ा अच्छा हमारे सामने पेश करते हैं कि बतलाइये हम क्या करें ? हमारी ख्वाहिश तो है कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को क्लेम दें एक तरफ इतना रुपया है, दो अरब है, और दूसरी तरफ इतने सारे रिफ्यूजीज हैं और वह फरमाते हैं कि अगर इसी तरह से क्लेमेंट्स बढ़ते जायेंगे तो हम उन का फैसला नहीं कर पायेंगे । यह दलील आप की ऐसी जबर्दस्त है जिस के होते हुए कुछ जवाब नहीं बन पड़ता, लेकिन मैं आप से पूछता हूं कि यह जो रुपया है यह कहां से आया ? एक अरब रुपया तो रिफ्यूजीज की प्रापर्टी का है, बाकी आप ने रुपया दिया । अपनी इंटेरिम कम्पेन्सेशन स्कीम के अन्दर आप ने बड़ी ही मज़ेदार बात लिखी उस के लिये मैं ने कोई मुबारकबाद की चिट्ठी तो नहीं लिखी, लेकिन उस के लिये आप को दिल में मुबारकबाद देता हूं । आप फरमाते हैं :

"कोई व्यक्ति स्वामित्व की अभिलाषा को कितना ही क्यों न छोड़ दे, अथवा सामूहिक स्वामित्व के गुणों की प्रशंसा करे, तो भी केवल एक श्रेणी के व्यक्तियों के साथ समाजीकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, विशेषतया उन व्यक्तियों के साथ, जिन का सब कुछ नष्ट हो चका है ।"

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए ।]

यह सोशलाइज़ेशन का जो तजुर्बा है, इस का एक सेक्शन पर तजुर्बा करना मुनासिब नहीं था । हम यह बात पिछले पांच वर्ष से कहते रहे, शुक्र है, कि आज छटे वर्ष में मिनिस्टर साहब ने तसलीम किया कि इस तजुर्बे को हमें रिफ्यूजीज़ पर ट्राई नहीं करना चाहिये, यह सोशलाइज़ेशन का तजुर्बा एक ऐसे सेक्शन पर जो कट पिट कर आया अपरूट हुआ है, उस पर करना किसी तरह ठीक और मुनासिब नहीं है । जब आप को यह नहीं करना है तो फिर आप को देखना है कि आप कहां से और कैसे उन को कम्पेसेट करते हैं ? आप के पास एक अरब के मल्य की प्रापर्टी मौजूद

[लाला अचिंत राम]

है, बाकी रकम कहां से आयेगी, आप पाकिस्तान से लीजिये और बड़े शौक से घर में रख लीजिये, लेकिन जब तक आप को पाकिस्तान से रुपया नहीं मिलता, तब तक गवर्नमेंट को खुद यह रकम रिफ्यूजीज़ के वास्ते प्रोवाइड करनी चाहिये । लेकिन इस का यह मतलब नहीं हो जाता और न ही हम इस बात का दावा करते हैं कि आप फौरन हमें पांच अरब रुपया दे दें, आप के पास दो अरब रुपया है, तीन अरब का फर्क है, यह मैं नहीं कहता कि आप हमें सारा का सारा फौरन दे दीजिये, लेकिन उस के लिये इक़रार तो कीजिये, वायदा तो कीजिये ।

मैं आज़ कल भूमिदान के कार्य में लगा हुआ हूं और मुझे यह देख कर हैरानी होती है और खुशी भी होती है कि हमारे रिफ्यूजीज भाई, जो पाकिस्तान से कट पिट कर और सब कुछ लुटा कर आये हैं, वह भी भूमि दान में ज़मीन दान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक ऐसे सेक्शन पर जो पहले से ही लुट कर आये हैं उन के ऊपर पचास साठ या सत्तर अस्सी परसेंट का कट लगा देना किसी तरह इंसाफ की बात नहीं है और जैसा आप ने खुद फरमाया है सोशलाइ-ज़ेशन के तजुर्बे को एक सेक्शन पर नहीं आज़माना चाहिये । आप को उन को जो देना है और जिस को देना आप ने क़बूल किया है वह आप दें, एक साल में नहीं दे सकते तो दो साल में दें, तीन साल में दें या चार साल में दें । आप ने इस सिलसिले में एक बात यह भी कही है कि हम जो बड़े बड़े लोग हैं और लाखों करोड़ों की जायदाद पीछे छोड़ कर आये हैं, उनको हम फिर उन का पुराना स्टेटस नहीं दे सकते, उन को उन का पुराना स्टेटस रेस्टोर करना हमारे मीन्स के बाहर है, उन के लिये मैं कहना चाहता हूं कि आप उन के क्लेम्स में ६ आने ८ आने भर कमी कर दीजिये, लेकिन कोई स्टेटस तो उन्हें दीजिये । अगर आप उन को पूरा नहीं दे सकते तो थोड़ा बहुत तो दीजिये । आप का यह उसूल तो ठीक है कि हमारी इस इंटेरिम स्कीम का मकसद क्लेमेंट्स के उस ९५ परसेंट तबके को बेनीफिट देना है, आप कहते हैं कि हम बड़ों को पूरा नहीं दे सकते लेकिन अस्सी फी सदी बाकी क्लेमेंट्स को तो दीजिये । अब यह कहना कि इन सब के लिये रुपया कहां से आयेगा, उस के लिये हमारा इंतजार करते जाना कि पाकिस्तान से मिले तो दें, इस से काम नहीं चलने वाला है, काफी इंतजार हो चुका है और गवर्नमेंट खुद अपने पास से ज़रूरी रकम प्रोवाइड करे और उन के क्लेम का रुपया उन को तकसीम करे । ऐसे लोग जिन के क्लेम बाद में आयेंगे, वह आपसे नहीं कह सकेंगे कि हमें जल्दी पेमेंट नहीं किया, यह शिकायत वही आदमी कर सकते हैं जिन्हों ने अपने क्लेम्स आप को पहले से दिये हुए हैं । बाद में क्लेम्स देने वालों को बाद में मिल जायेगा । दो अरब से ज्यादा की आप को इस के लिये ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कहता हूं कि आप एक अरब और प्रोवाइड कीजिये, एक अरब न सही पचास करोड़ ही निकालिये, लेकिन अदायगी का काम तो चालू कीजिये, काफी इन्तजार वे लोग कर चुके हैं । रह गये वे लोग जो बाद में क्लेम्स देते हैं, तो उन को आप बाद में दे सकते हैं ।

इस के अलावा मैं आप का ध्यान उन आदमियों की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिन्हों ने क्लेम्स के लिये एप्लाई किया, उन के क्लेम्स इस ग्राउंन्ड पर रिजैक्ट हो गये कि वह मियाद के अन्दर नहीं थे, बाद में मियाद बढ़ा दी गई, लेकिन उन के क्लेम्स रिजैक्टेड ही रहे, यह छोटी सी टैक्नीकल बात है, उम्मीद है कि आप ऐसे लोगों को भी इस स्कीम के अन्दर ले आयेंगे । इस के अलावा मैं खास तौर पर आप का ध्यान इस बिल में

एक लैकूना की तरफ दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि ऐसे देहाती क्लेमेन्ट्स को जिन की प्रापर्टी बीस हजार से कम है, आप ने इगनोर कर दिया है, उन के क्लेम्स को आप ने वैरीफाई नहीं किया और इस सिलसिले में आप ने अपनी इंटेरिम कम्पेंसेशन स्कीम की किताब में एक बड़ी मौजूं बात कही है :

"कई बार आवाज़ उठाई जाती है कि हम ने २०,००० रुपये से कम मूल्य के छोटे देहाती घरों को क्यों छोड़ दिया है, जब कि दूसरे घरों के क्लेमों का मूल्य मापा जा रहा है : "

इस के आगे फरमाते हैं कि :

"उत्तर सरल है कि १९५० में लोगों को भूमि की अर्ध-स्थायी आवंटन के साथ देहाती क्षेत्रों में मकान दिये गये थे और अब दोबारा ऐसे मकान नहीं दिये जा सकते ।"

दो लाइनों में सवाल और दो लाइनों में उस का जवाब और इस में शक नहीं कि जवाब भी आप ने बड़ा माकूल दिया है । इस के अलावा आप ने एक और मज़ेदार जवाब दिया । आप फरमाते हैं कि :

"५,७५,००० पंजाबी विस्थापित व्यक्तियों में से जिन के पास पश्चिमी पंजाब या पश्चिम पाकिस्तान के दूसरे भागों में कृषकीय भूमि थी, ४,७५,००० व्यक्तियों को पंजाब तथा पैप्सू में भूमि देकर बसाया जा चुका है ।"

एक लाख बाकी रह गये और उन के लिए आप जवाब देतें हैं कि :

"बाकी थोडी सम्पत्ति के स्वामियों न उन को दिए गए छोट प्लाटों को लेना उचित नहीं समझा है और वे शहरों और कस्बों में रह रह हैं।"

आप फरमाते हैं कि वह एक लाख आदमी देहात में नहीं रहते हैं और उन्हों ने छोटे छोटे प्लाट्स जो उन को आफर किये गये उन पर बसना ठीक नहीं समझा और वह कस्बों और शहरों में रह रहे हैं । पाकिस्तान में भले ही उन के पास जमीन चाहे थोड़ी रही हो, लेकिन उन के अपने घर थे और अच्छे खाते पीते थे, जो थोड़ी जमीन उन को दी गई उस पर उन्हों ने बसना मुनासिब नहीं समझा और चूंकि उस समय उन्हों ने जमीन नहीं ली, इसलिये अब दुबारा उन को मकानात नहीं मिल सकते । आप फर्माते हैं कि छोटे छोटे आदमी शहर में चले गये मैं पूछना चाहता हूं कि उन को क्या मिला ? जमीन छोड़ गये, इस वास्ते उन को न जमीन मिली और न ही मकान मिला, आप ने उन का क्या किया ? इस का साफ जवाब आप दें, मेरी समझ में मंत्री जी की यह दलील नहीं आई ।

मेरे पास चिट्ठियां पड़ी हैं और मैं आप को बतलाऊं कि ऐसे हजारों आदमी हैं जिन को कुछ नहीं मिला है । यह मेरे पास प्रेसीडेंट रूरल क्लेमस होल्डर्स असोसियेशन की तरफ से खत आया है । इस में इस बात की शिकायत है कि अगर किसी आदमी का क्लेम बीस हजार से कम है तो वह वेरीफाई नहीं होगा, बीस हजार एक रुपया है तब तो वैरीफाई हो जायेगा, लेकिन अगर उस का क्लेम उन्नीस हजार नौ सौ है तो वैरीफाई नहीं होगा । अगर मेरे चार मकान हैं और उन चारों मकानों की लागत मिला कर निनानवें हजार नौ सौ निन्यान्वें आती है, यानी एक एक की बीस हजार से कम आती है तो उन चारों मकानों का क्लेम वैरीफाई नहीं हो सकता, अगर मैं इस में गलती करता हूं, तो वह मुझे ठीक कर सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि यह बीस हजार की क़ैद किसी तरह इंसाफ पर मबनी नहीं है, अगर बीस हजार की उन की प्रापर्टी की लागत नहीं आती और उन्नीस हजार ही रह जाती

[लाला अचित राम]

है, तो क्या वह इस से महरूम रक्खे जायें, और आप ने जो यह कहा कि हम हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहते ह तो स से मुझे बड़ी खुशी हुई ।

जो देहात के अन्दर अपनी प्रापर्टी छोड़ कर आये हैं, वह रिफ्यूजी नहीं हैं और वह आप की मदद के मुस्तहक़ नहीं हैं । यह माक़ूल जवाब मिलता है । आप फ़रमाते हैं कि जब यहां हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का सेट्लमेंट हुआ तो हम ने इस को मान लिया । साहब, आप ने मान लिया लेकिन हम ने नहीं माना, रिफ्यूजीज़ ने नहीं माना । क्या यह खुदा के यहां से आई हुई चीज़ है कि बदल नहीं सकती । मैं तो कहता हूं कि जो सारे हिन्दू आये हैं वह तकलीफ के अन्दर हैं उन के क्लेम्स नहीं मिल रहे हैं, उन्हें आप को देना चाहिये । मैं तो कहता हूं कि अगर मुसलमान भी हों तो उन को भी मदद दी जाय । अगर किसी बात से उन को तकलीफ होती है तो हमें उस को उन के खयाल से देखना चाहिये, खैर इस को तो छोड़ दीजिये । हमारा फ़र्ज़ है कि जिसे भी हम मज़लूम पायें उस की मदद करें । आज हमारे पास आदमी आते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें । एक कम्पाउंडर कहता है कि मेरा मकान था, दस हज़ार का मेरा क्लेम था, मैं कम्पाउंडरी जानता हूं, लेकिन मेरे पास आज पैसा नहीं है, कहां से खाऊं ? कर्ज़ा मिलता नहीं है, क्या करूं ? हमारी गवर्नमेंट के दिमाग़ के अन्दर यह बात आ गई कि मुआहिदा हो गया । हमारी सरकार बांउड नहीं है । मैं कहता हूं कि आप को देखना है कि नीड क्या है । आप नौकर हैं जनता के, आप देखिये कि जनता की सेवा कैसे हो सकती है । अगर आज आप ने एक बात की और कल आप को मालूम हुआ कि वह ग़लत है तो आप उस को बदलिये । क्या यह बात ठीक नहीं है ? आप के पास दो आदमी आये होंगे, मेरे पास हजारों आदमी आते रहते हैं और कहते हैं कि सरकारी इन्तजाम अच्छा नहीं है, हमारे क्लेम वेरिफाई नहीं हुए हैं । मान लीजिये कि किसी को मकान दो हजार का मिला है, अगर उस का क्लेम दस हजार का ही है तो आप मकान की पूरी क़ीमत न दीजिये, उस के बदले में आठ हजार दीजिये, छः हजार दीजिये, लेकिन कुछ दीजिये तो सही । लेकिन उन का आर्गुमेंट मेरी समझ में नहीं आता ।

मैं जानता हूं कि आप के दिल के अन्दर जजबात हैं और जैसा डिप्टी स्पीकर साहब ने फ़रमाया था, इस बिल का स्कोप बढ़ सकता है, और आप ने भी यही फ़रमाया था, आप का ऐटिट्यूड निहायत अच्छा है । यह मैं मानता हूं कि हमेशा एक बात से इन्कार करते हुए अपने आप को ग़लत मानना मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो बात देश के हित के लिये हो, जो गरीबों के हित के लिये हो उस को मानने में उज्र नहीं करना चाहिये ।

मैं इतनी बात कह कर खत्म करता हूं और आप से उम्मीद करता हूं कि आप इस बिल को वसीय करेंगे । जैसा हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा और अगर आप महसूस करें कि इस बिल के अन्दर जो नये आदमी आये हैं उन का स्कोप नहीं है तो मैं कहता हूं कि जो नये आदमी आये वह रिफ्यूजीज़ तो हैं ही । एक आदमी के तीन बच्चे हैं, उन में से दो बच्चे तो घर के अन्दर आ गये, अगर तीसरा बच्चा भी आता है तो क्या हम को उस को अन्दर नहीं लेना चाहिये । डाक्टर चौथराम गिडवानी ने फरमाया कि कुल चार या पांच सौ आदमी ऐसे हैं । मैं तो कहता हूं कि एक भी आदमी हो अगर वह

दुखी होता है तो उस की ओर आप को देखना चाहिये। आप ने अपना काम खत्म कर लिया, इतने थोड़े से आदमियों की कौन सी बात है, आप उन को भी डिस्पोज़ आफ़ कीजिये।

इस वास्ते अगर आप इस बिल में प्राविज़न नहीं कर सकते तो मैं कहता हूं कि आप नया बिल लाइये जिस के अन्दर वह लोग भी आ जायें जोकि नये आने वाले हैं। आप का यह फ़र्ज़ नहीं कि आप उन को मायूस करें। कोई भी रिफ्यूजी हो आप का फ़र्ज़ है कि आप उस का भी इन्तज़ाम करें। यह कहना कि हम इन्तज़ाम नहीं कर सकते, क़ानून बन गया, अब स्याही या पेन्सिल खत्म हो गई है इसलिये हम नया बिल नहीं ला सकते, इस को मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। नया बिल ला कर जो भी नये आदमी आते हैं उन का इन्तज़ाम किया जाय। रुपया तो गवर्नमेंट को देना है, पाकिस्तान से मिले तो बड़ी खुशी है, लेकिन उस का मिलना मेरे खयाल से सम्भव नहीं है, और मिले तो आप उस को अपने फ़ंड में शामिल कर लीजिये। आप ने जो फ़िक़रा रखा है उस को मैं देखता हूं तो मुझे आप के ख्यालात बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे चल कर वह फिर नर्म हो गये हैं और आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मगर मैं आप को इस के लिये मुबारकबाद देता हूं।

सरदार हुक्म सिंह : विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने और उस से संबंधित अन्य समस्याओं का सामना करने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो रुचि दिखाई है और जो कार्य किया है, उस के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस में कोई सन्देह नहीं कि यह कार्य बहुत बड़ा और कठिन था और सरकार ने इस दिशा में जो कुछ किया है, वह सराहनीय है। फिर भी हमारी यह शिकायत है कि यह कार्य उतनी उत्सुकता और उत्साह के साथ नहीं किया गया है, जितना कि अपेक्षित था। मेरे विचार से शरणार्थियों को पुनर्वासित करने का कार्य—जिस में दावों का पुष्टिकरण भी सम्मिलित है—सन्तोषजनक स्तर पर नहीं हुआ है। आज यह विधेयक सदन के सामने है। जहां तक इस विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है, हम उन का स्वागत करते हैं और हमें उन के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। इन की आवश्यकता है, और सच तो यह है कि हम बहुत दिनों से इन के लिये चिल्लाते रहे हैं। परन्तु अभी भी कुछ ऐसे मामले हैं जो छोड़ दिये गये हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें भी इस में सम्मिलित कर लिया जाये। जबकि इन विस्थापित व्यक्तियों का उस में कोई दोष नहीं है, तो फिर दावों के दायर करने और उन के पुष्टिकरण के मार्ग में इन प्रविधियों को रोड़े नहीं अटकाने चाहियें। मैं यह बात मानता हूं कि इस संबंध में सरकार का रुख काफ़ी सहानुभूतिपूर्ण रहा है और उसने दावों को दायर करने की अन्तिम तिथि के सम्बन्ध में छै महीने तक की छूट दी है। मैं समझता हूं कि ऐसा करना ठीक भी था। दावों के दायर करने के लिये निश्चित समय को बार बार बढ़ाने का कारण यह नहीं था कि उस में शरणार्थियों का कोई दोष था बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों से बाध्य हो कर सरकार को ऐसा करना पड़ा। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे निर्णय और हमारी राजनीति पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होती रही हैं। हम लोग आरम्भ से ही चिल्ला रहे हैं कि इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के साथ किसी वार्ता अथवा किसी समझौते की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। पाकिस्तान सरकार किसी भी समझौते के लिये तैयार नहीं होगी क्योंकि यदि वह तैयार होती है तो उसे बहुत अधिक धन देना पड़ेगा जिस के लिये वह कदापि तैयार

[सरदार हुक्म सिंह]

नहीं होगी । हमारी सरकार ने पाकिस्तान सरकार को अनेक रियायतें दी हैं, परन्तु उन से भी हमें कोई लाभ नहीं हुआ । दावों के पुष्टिकरण के बाद अब हम यह मुआवज़ा योजना क्रियान्वित करने जा रहे हैं । अन्तरिम मुआवज़ा योजना हमारे सामने रखी गई है और इस से इन बेचारे शरणार्थियों को कुछ आशा प्राप्त हुई है । अब एकमात्र प्रश्न यह है कि इस कार्य को यथासंभव शीघ्र ही किया जाना चाहिये ।

इस छोटी सी पुस्तक में यह कहा गया है कि यह अन्तरिम मुआवज़ा योजना १९४९ में श्री गोपालस्वामी अय्यंगार द्वारा दिये गये एक वचन की पूर्ति है । यह कहा गया है कि उन्हों ने यह आश्वासन दिया था कि शरणार्थियों को मुआवज़ा दिया जायेगा और अब सरकार उसी वचन को पूरा करने जा रही है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह उस वचन की पूर्ति नहीं है । उन्हों ने यह साफ़ साफ़ कहा था कि तीन साधन होंगे —निष्क्रान्त सम्पत्ति, वह धन जो हमें पाकिस्तान से प्राप्त हो सकेगा और सरकार का अंशदान । उस समय यह बात भी साफ़ साफ़ कही गई थी कि सरकार का अंशदान काफ़ी अधिक होगा जिस से शरणार्थियों को सन्तोष होगा । परन्तु इस पुस्तक को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुख्य रूप से निष्क्रान्त सम्पत्ति ही अनुपाततः वितरित की जायेगी ।

अब माननीय मंत्री कहते हैं कि यदि हम नये दावों पर ध्यान देते हैं तो इस मामले में और विलम्ब होगा । खेद है कि राष्ट्रपति के पिछले चार अभिभाषणों में पुनर्वास और मुआवज़े की इस समस्या का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि इस सरकार ने यह मान लिया था और कहा भी था कि यह समस्या लगभग पूर्णतः हल हो चुकी थी और ८० या ९० प्रतिशत शरणार्थी पुनर्वासित किये जा चुके थे । हम ने सरकार के इस विचार से असहमति प्रकट की थी । अब माननीय मंत्री इस मुआवज़ा योजना के सम्बन्ध में थोड़े ही समय में कुछ कर दिखाना चाहते हैं । हम भी यह चाहते हैं कि इस कार्य को गतिशील किया जाये । परन्तु माननीय मंत्री जो यह कहते हैं कि नये दावों को स्वीकार करने से इस मामले में और विलम्ब हो जायेगा, यह उचित नहीं है । मैं तो समझता हूं कि इस चीज़ से इस मामले में कोई विलम्ब नहीं होगा । मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मामलों को भी सम्मिलित कर लिया जाना चाहिये । यदि किसी स्वेच्छापूर्वक अवहेलना के कारण दावे समय से न दायर किये गये हों, तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है, परन्तु यदि इस विलम्ब में शरणार्थियों का कोई दोष न हो और परिस्थितियां उन के वश से बाहर रही हों, तो ऐसे मामलों पर भी विचार किया जाना चाहिये । जिन व्यक्तियों के दावों का पुष्टिकरण नहीं हो सका है, उन्हें भी यह मुआवज़ा दिया जाना चाहिये और उन्हें पुनर्वासित किया जाना चाहिये । अतः हमारी यह प्रार्थना है कि इन प्रविधियों को उन के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहिये ।

सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि धन-संग्रह कम हो जायेगा और अनुपाततः मुआवज़ा घट जायेगा क्योंकि यदि केवल निष्क्रान्त सम्पत्ति ही बांटी जाती है, तो यदि कुछ सौ व्यक्ति और सम्मिलित कर लिये जाते हैं, तो उस का प्रभाव शरणार्थियों पर ही पड़ेगा न कि सरकार पर । सरकार कुछ और तो देने जा नहीं रही है । तः सरकार को इन दावों को ले लेने में

किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये ।

दूसरी बात यह उठती है कि क्या इस से मुआवज़े के भुगतान में विलम्ब हो जायेगा ? इस विलम्ब को भी टाला जा सकता है । यदि यह सम्पत्ति अनुपाततः वितरित की जानी है, तो दो या तीन करोड़ रुपये अलग रखे जा सकते हैं, और बाक़ी बचे हुए धन को वितरित किया जा सकता है । इस प्रकार यह अन्तरिम मुआवज़े का भुगतान चालू रह सकता है। अन्तिम मुआवज़ा अभी तक नहीं आया है । अतः विलम्ब भी टाला जा सकता है और इन व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है । सरकार को इस में कोई हानि नहीं होगी । यदि हम को पाकिस्तान से अपने हिस्से का कुछ धन प्राप्त हो सकता तो बहुत अच्छा होता । हमारी सरकार जो अंशदान दे रही है वह भी बहुत थोड़ा है । कहने को तो यह अंशदान ९० करोड़ रुपये का है, परन्तु वस्तुतः यह इतना नहीं रह गया है । अन्त में मैं फिर से यह दुहराता हूं कि उक्त प्रकार के मामलों को भी इस अधिनियम में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिये ।

श्री डी० सी० शर्मा : (होशियारपुर) जब मैं "अन्तरिम प्रतिकर योजना" नाम की पुस्तक, जो इतनी सुन्दर रूप में छपी हुई है, पढ़ता हूं तो मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि सरकार ने पुनर्वास का जो कार्य उठाया है, उस का सार ही गलत है। पृष्ठ १० पर कहा गया है कि पुनर्वास का आशय आर्थिक दृष्टि से विस्थापित व्यक्तियों और अन्य राष्ट्रजनों के बीच किसी प्रकार का कोई अन्तर न रहने देने का है । यह वक्तव्य प्रशंसनीय है, किन्तु इस में आधी सचाई है । निस्सन्देह आर्थिक पुनर्वास की आवश्यकता है, परन्तु शरणार्थियों का मानसिक पुनर्वास भी होना चाहिये । सरकार की आलोचना इसलिये की जा रही है कि उस ने शरणार्थियों का मानसिक पुनर्वास करने का प्रयत्न नहीं किया है । शरणार्थियों में बहुत अधिक घबराहट और बेचैनी फैली हुई है । हम लोगों को इस बात का हिसाब लगाने तथा दावे तैयार करने में, कि हम क्या कुछ पाकिस्तान में छोड़ आये हैं, बहुत समय लगा है, किन्तु उस का परिणाम क्या निकला है ?

हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों ने झूठे दावे किये हों, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सब दावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था । उस कृत्य में शरणार्थियों के घावों पर नमक का काम किया था । निस्सन्देह सरकार ने उस घाव को भरने के लिये बाद में बहुत कुछ किया, परन्तु शरणार्थियों के दिल में फिर भी दुख है । मेरे एक शरणार्थी मित्र हैं, जो विभाजन के पश्चात् अच्छा काम कर रहे हैं, किन्तु फिर भी सदा दुखी रहते हैं । मैं उन्हें एक डाक्टर के पास ले गया जो शरणार्थी नहीं था । उस डाक्टर ने कहा यह बीमारी सब शरणार्थियों को है । मैं ने उस से कहा कि यह तो आराम से रहते हैं और इन को विभाजन के कारण कोई विशेष हानि नहीं हुई है । डाक्टर महोदय ने कहा कि आप को पता नहीं है कि विभाजन के कारण इन शरणार्थियों को कितना मानसिक और आत्मिक आघात पहुंचा है । आप को केवल आर्थिक पुनर्वास ही नहीं, अपितु उन का मानसिक पुनर्वास भी करना चाहिये । इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है, और मंत्रालय द्वारा किये गये कार्य की सराहना के लिये कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से उठ कर नहीं बोला है । जो कुछ किया जा रहा है वह उचित दिशा में न किया जाने के कारण प्रभाव नहीं रखता है । माननीय मंत्री ने इस पुस्तिका के पृष्ठ ५ पर कहा है कि मानवीय सहृदयता के

[श्री डी० सी० शर्मा]

साथ यह कार्य किया जाना चाहिये। परन्तु मैं उन से पूछूंगा कि उन्हों ने इस विधेयक में कहां तक मानवीय सहृदयता से काम लिया है।

यह विधेयक प्रशासन की कमियों तथा अकुशलताओं, अदूरदर्शिता तथा उचित योजना और उचित सुविधाओं की कमी को ढकने के लिये रखा गया है। सरकार पर्याप्त मात्रा में दावा अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकी, और दावों की पड़ताल के लिये उस के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे इसलिये सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि कई बार बुराई से भी अच्छाई उत्पन्न हो जाया करती है, क्योंकि जिन शरणार्थियों के दावों की पड़ताल नहीं की गई है....

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : बुराई अच्छाई को भगा भी सकती है।

श्री डी० सी० शर्मा : निस्सन्देह, बुराई अच्छाई को भगा सकती है, परन्तु सदन के इस ओर अच्छाई बहुत है, जो बुराई को दूर कर देगी। वह अच्छाई इस रूप में होगी कि कुछ दावों की पड़ताल की जायेगी। और कुछ लम्बित निर्णयों पर पुनर्विचार किया जायेगा, और परिणामतः शरणार्थियों को कुछ लाभ ही होगा। परन्तु यह अच्छाई यहीं पर समाप्त नहीं हो जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस बात का ध्यान रखें।

देश में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जो शरणार्थियों को उन के दावों का निर्णय करवाने का धोखा दे कर उन से रुपये ले लेते हैं और उन्हें ग़लत मार्ग पर चलाते हैं। मेरे अपने नगर में एक साबुन बनाने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ है। ऐसे सैंकड़ों और हजारों शरणार्थी हैं, जो अनपढ़ हैं, जिन्हें विधि तथा नियमों का ज्ञान नहीं है, और वे इस प्रकार धोखा खा जाते हैं। मैं इस से प्रसन्न हूं कि माननीय मंत्री ने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है, जिस से इस प्रकार धोखा खाने वाले व्यक्तियों का कुछ बचाव हो सकेगा। उन के दावे दर्ज कर लिये जायें, तथा जिन लोगों ने उन को ग़लत मार्ग पर चलाने का प्रयत्न किया था, उन्हें दण्ड मिलना चाहिये। इस सदन के सभी सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि दावों की अवधि बढ़ा देनी चाहिये, इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न पर मानवीय सहृदयता से विचार करें तथा इस निवेदन को स्वीकार कर लें। और भी दूसरे बहुत से मामले हैं। श्री गिडवानी ने भी कहा है कि उन की ओर के कुछ शरणार्थी पाकिस्तान की निष्काशन नीति के कारण भारत में आ रहे हैं। जब वे यहां अपना घर समझ कर आ रहे हैं, तो हमें उन को स्थान देना चाहिये। अतः माननीय मंत्री को इन अप्रत्याशित प्रव्रजन के लिये भी कुछ उपबन्ध करना चाहिये। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की निष्काशन नीति के कारण यह प्रव्रजन चलता रहेगा, और बन्द नहीं होगा। इसलिये हमें उसकी निष्काशन नीति का शिकार होने वाले शरणार्थियों के लिये अवश्य उपबन्ध करना चाहिये। मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा और न ही शिकायत करना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने पुनर्वास विभाग को सरपंच बताया है तथा अपने आप को उस का न्यासधारी कहा है। मैं पंचायत राज में विश्वास रखता हूं, सो यह अच्छी बात है। किन्तु उन्हें इस के साथ डाक्टर भी बनना चाहिये और शरणार्थियों के दुखों को दूर करना चाहिये, जिन के लिये सरकार ने इतना काम किया है। शरणार्थियों को अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें, ताकि उन के दुख हल्के हो सकें और वे प्रसन्नता तथा आराम के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।

बाबू राम नारायण सिंह: (हज़ारी बाग पश्चिम) : श्रीमान्, मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) खड़े हुए--

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता । इस रफ्तार से हमारा कार्य कभी समाप्त नहीं होगा । मैं पहले ही देखता हूं कि तर्क दोहराये जा रहे हैं ।

श्री ए० पी० जैन : श्री सभापति महोदय । चर्चा करते समय माननीय सदस्यों ने जो सम्मतियां दी हैं उस के लिये मैं उन का आभारी हूं । मुझे प्रसन्नता है कि अनेक माननीय सदस्यों ने अन्तरिम योजना की मेरी भूमिका से कई बार उद्धरण दिये हैं । बार बार यह कहा गया है कि पुनर्वास की समस्या मानवीय समस्या है और इसी दृष्टि से इस का हल ढूंढ़ना उचित है । जब से मैं ने कार्य किया है, उस में भले ही यत्र तत्र भूलें हो गई हों, मैं ईमानदारी से यह कह सकता हूं कि मैं ने इस समस्या को मानवीय समस्या ही समझा है और प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तुत करते समय मानवीय विचारधारायें ही मेरे सामने थीं ।

श्रीमान्, आप ने अपने भाषण में मुख्य सुझाव रखे थे और दूसरे सदस्यों ने जो कुछ कहा वह आप के सुझावों की टीका मात्र थी । यहां दो मामले और रखे गये हैं अर्थात् ३१ अगस्त १९५२ के पश्चात् दावे दायर करने वाले व्यक्तियों का क्या होगा और उस के बाद आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्या किया जायेगा । मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिस ने ३१ अगस्त, १९५२ तक अपना दावा दायर नहीं किया हो । लेकिन जब हमें लाखों व्यक्तियों के मामले निबटाना है तो हमें यह काम किन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर करना होगा । मेरा निवेदन है कि दावे दायर करने के लिये २५ या २६ महीने का जो समय दिया गया था वह कम नहीं है और कहीं कहीं पर तो इस अवधि का अन्त होना ही था ।

मेरा विश्वास है कि सामान्यता सभी दावे दायर किये जा चुके हैं । हमारे पास पाकिस्तान के अभिलेख नहीं हैं । हमारा कोई भी दावा अधिकारी पाकिस्तान जाकर यह प्रमाणित नहीं कर सकता है कि अमुक व्यक्ति के पास सम्पत्ति है अथवा नहीं । इस बात की गारण्टी कौन दे सकता है कि झूठे दावों की बाढ़ नहीं आयेगी । समाज में सर्वत्र बेईमान मनुष्य रहते हैं । मेरा विचार है कि दावों के लिये पुनः अनुमति देने का अभिप्राय है अन्तरिम मुआवजा योजनाओं की समाप्ति करना मेरे लिये इस अवधि का बढ़ाना असम्भव है ।

आप ने जो कुछ कहा उस में काफी बल है । लेकिन इस में अन्य विभिन्न दृष्टिकोण भी सम्मिलित हैं । किसी भी योजना को कार्यान्वित करते समय स्थाई आंकड़ों का होना आवश्यक है । हमारे पास कुछ प्राक्कलन हैं और हम इन्हीं के आधार पर काम कर रहे हैं । मैं यह वचन नहीं दे सकता कि सरकार कुछ और अनुदाय देगी । सरकार की नीति की घोषणा पहले ही की जा चुकी है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्रीमान्, दूसरी बात आप ने अवधि निश्चित करने के सम्बन्ध में कही है । मैं जानता हूं कि अवधि निश्चित करना एक दृष्टि से कानून का स्वच्छंद राज है । लेकिन सामाजिक दृष्टि से इस के अपने लाभ भी हैं । आप को मालूम होगा कि हम ने जो अध्यादेश जारी किया है इस में एक महीने की अवधि दी गई थी । यह एक महीने की अवधि १८ फरवरी को समाप्त हो गई । हम ने प्रस्तुत विधेयक के लागू होने की तिथि के आरम्भ से एक महीने की अवधि और दे दी है ।

[श्री ए० पी० जैन]

अवधि निश्चित कर देने का अभिप्राय यह नहीं था कि हम किन्हीं व्यक्तियों को इस से वंचित करना चाहते थे । यदि हम अवधि निश्चित नहीं करते हैं तो कुछ व्यक्ति ही लाभान्वित होंगे और दावों को दायर करने में देरी करने के कारण अधिकांश व्यक्तियों को घाटे में रहना पड़ेगा । श्री अचिंत राम ने एक बात देहातों के मकानों के विषय में कही है । मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि श्री अचिंत राम ने देहातों के मकानों के सम्बन्ध में एक ही पहलू की ओर देखा है । उन्हों ने कहा कि २०,००० रु० से कम मूल्य वाले पाकिस्तान स्थित मकानों के सम्बन्ध में दावों को प्रमाणित नहीं किया गया तथा लोगों के प्रति हमारा व्यवहार सख्ती का रहा है । वह इस बात को भूल गये हैं कि पंजाब में इस ओर जिन मकानों की कीमत १९,९९९ रु १५ आ० ९ पा० अथवा उस से कम है वे उन व्यक्तियों को दिये गये हैं जो २०,००० रु० से कम कीमत के मकान छोड़ आये हैं । जब हम ने अर्द्ध स्थायी वंटन किया तो उस ओर की समस्त कृषि की भूमि और २०,००० रु० से कम कीमत के देहातों के मकानों को एक भाग में ही रखा गया था । अतः यदि यह निर्णय किया जाता है कि पश्चिमी पंजाब के मकानों को जिन का मूल्य २०,००० से अधिक है प्रमाणित किया जाये तो इस तरफ के वे सब मकान जिन का मूल्य २०,००० से कम है उन्हें अपने वर्तमान अधिकर्ताओं से ले लिया जायेगा और दोबारा नये सिरे से व्यवस्था करनी पड़ेगी । इस सब का क्या लाभ होगा । एक प्रणाली निर्धारित कर ली गई है और जैसा लाला अचिंत राम ने मेरी पुस्तिका से उद्धरण दिया है कि मकान का मुआवजा आप को एक बार मिल गया है और अब दूसरी बार नहीं मिल सकता ।

जहां तक विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि ऐसा करने का कोई आधार नहीं है और माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वह इसे वापस ले लें ।

सरदार हुक्म सिंह : यह विचार मानवीयता-पूर्ण नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, ९५० के अन्तर्गत लम्बित कुछ कार्यावाहियों के जारी रखे जाने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २—(परिभाषाएं)

श्री एन० एल० जोशी (इन्दौर) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

पृष्ठ १ में पंक्ति १४ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

" (iii) any claim dismissed for default and which could not be restored on legal and technical grounds e.g. non, presentation of the restoration application within the time prescribed;"

"(३) कोई दावा जिसे किसी भूल के कारण रद्द कर दिया गया" और जिसे वैधानिक या प्रावैधिक आधारों पर जैसे कि नियत समय के अन्दर पुनः उचित ठहराने के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत न होने के कारण पुनः उचित नहीं ठहराया जा सका ।"

अभी इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत कुछ विचार हुआ और यह कहा गया कि कई मामले ऐसे भी हैं कि जहां पर बावजूद

इस के कि उन लोगों ने अपने दावे पेश कर दिये, परन्तु दावे पेश करने के बाद भी कई कारणों से उन दावों को वह सरकार के सामने साबित नहीं कर सके । उन में एक कारण यह भी हो सकता है कि जो दावे उन्हों ने पेश किये उन दावों की सुनवाई इसलिये नहीं हो सकी कि वह सरकार के सामने हाजिर नहीं हो सके, और इसलिये उन के दावों पर विचार नहीं हो सका । अगर उन दावों को शासन के सामने फिर से प्रस्तुत करने की इजाज़त नहीं दी गई तो यह निश्चित है कि उन दावेदारों के दावों की सुनावाई कहीं आगे होने की गुंजाइश नहीं रहेगी और जो हक उन को हासिल होने चाहियें वह उन को हासिल नहीं हो सकेंगे । अतः यह संशोधन बहुत ज़रूरी है । उन सब शरणार्थियों को यह हक दिया जाना चाहिये कि वह ऐसे दावों को सरकार के सामने पेश कर सकें । अब सवाल यह आ जाता है कि अगर उन्हों ने अपने दावे समय के अन्दर प्रस्तुत नहीं किये या अर्जियां नहीं दीं, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि उन को पेश कर देनीं चाहिये, सो उन का क्या होगा, यह भी हो सकता है कि उन्हों ने समय के अन्दर रिवीजन की अर्जियां भी नहीं दी हों, लेकिन उन का दावा तो है, वह कुछ मुआवजा पाने के तो हकदार हैं । तो जहां तक इन्सानियत का तकाज़ा है, जहां तक कि उन के हक का सवाल है, यह बात बड़ी ज़रूरी हो जाती है कि उन को हर हालत में मुआवजा मिलना चाहिये । अगर बीच में कोई कानून आता है और यह कहा जाता है कि जो मियाद का कानून बना है, उस मियाद के अन्दर वह ऐसा नहीं कर सके इसलिये उन का दावा नहीं टिक सकता, तो इस तरह का ख्याल ठीक नहीं कहा जा सकता । यह बहुत जरूरी है कि इस तरह के दावों पर जरूर ही सरकार को विचार करना चाहये । मैं ने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है वह इसी गरज़ से किया है । यह बहुत जरूरी बात है कि उन के हक पर विचार किया जाय । उन को मौका दिया जाना चाहिये कि वह सरकार के सामने अपने हक को सिद्ध कर सकें । इस के अतिरिक्त एक वजह और भी है और वह यह है कि जहां तक इन शरणार्थियों का सवाल है ये शरणार्थी कोई अपने आप नहीं बने । यहां की राजनीतिक स्थिति के कारण ही वह शरणार्थी बने हैं । यह एक आर्थिक सवाल है जिस को कि सरकार हल करना चाहती है और बहुत सहानुभूति के साथ हल करना चाहती है । यहां के जितने भी शरणार्थी हैं वह सरकार के बहुत अहसानमन्द हैं । परन्तु जब हम उन के हकों के सम्बन्ध में सोचते हैं तो यह बात हमारे सामने प्रमुख रूप से आती है कि उन के दावे प्रस्तुत तो हुए मगर मियाद के सवाल की वजह से या उन के गैर हाजिर होने की वजह से वह दावे यदि सरकार के सामने साबित नहीं किये जा सके तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार उन के दावों पर विचार करे । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आप के जरिये मिनिस्टर साहब से नम्र निवेदन है कि वह इस संशोधन को मंजूर करें ।

श्री ए० पी० जन : जनाब आली, मैं ने इस सम्बन्ध में पहले ही कह दिया है कि दफा ५(१) बी० में इस के लिये काफी गुंजाइश रखी गई है । ऐसे मामलों पर जिन में बहुत हानि हुई हो गौर किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे मैं मंजूर नहीं कर सकता ।

इस के पश्चात् श्री एन० एल० जोशी ने अपना संशोधन प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापिस लिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ३ में कोई संशोधन नहीं है ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ४--(दावों का प्रमाणीकरण)

संशोधन प्रस्तुत किये गये :

पृष्ठ २, पंक्ति ३४ में "cases" ("मामलों") के स्थान पर "claims" ("दावे") रखिये ।

पृष्ठ २ पंक्ति ४१ में, "thinks fit and" ["उचित समझता है और"] के स्थान पर "thinks fit but" ["उचित समझता हूं किन्तु रखिये है ।"]

पृष्ठ २, (i) पंक्ति ४२ में "shall be made" ["बनाया जायगा"] शब्द हटा दिये जायें

(ii) पंक्ति ४३ में-"any person" ["कोई व्यक्ति"] के बाद "shall be made" ["बनाया जायगा"] आदिष्ट कीजिये ।

--[श्री ए० पी० जैन]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड ४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ५--(कई मामलों में पुनरीक्षण कराने का विशेष अधिकार)।

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति १५ में "has" ("है") के स्थान पर "had" ("था") लिखिये।

पृष्ठ ३,--

(i) पंक्ति २२ में- " shall be made" ("बना लिया जायेगा") शब्द हटा दिये जायें ।

(ii) पंक्ति २३ में, -"without giving the person concerned" ("सम्बद्ध व्यक्ति को दिये बिना") शब्दों के स्थान पर "shall be made without giving them" ("उन्हें दिये बिना बनाया जायेगा") शब्द रखे जायें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस खण्ड पर बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन के समक्ष संशोधन प्रस्तुत कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय ने ये संशोधन प्रस्तुत किये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, चन्द बातें जो मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज की गई थीं, उन में से एक के साल्यूशन के लिये उन्हों ने ऐसे तरीके से हमारे सामने सजैशन दिया है जो मैं समझता हूं कि उसारे हाउस को मंजूर होगा। वह यह है कि जो साहब आयन्दा यहां पर आवेंगे, रिफ्यूजीज, उन के वास्ते जो इस बिल में रखने की गूंजाइश नहीं है, लेकिन एसा किया जा सकता है, जैसा कि आनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया, कि एक करोड़ या ज्यादा रकम उन के वास्ते कम्पेनसेशन के लिये अलाहिदा रखी जावे और अगर वह खर्च होने से बच जावे

तो एक साल या दो साल के बाद फिर लोगों में वह डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। इतन अरसे के वास्ते उन लोगों के लिए प्रावीजन किया जा सकता है। जो आयन्दा आने वाले हैं। जिन लोगों के लिये यह तजवीज़ की गई है, इस एहतमाल पर कि वह आवेंगे, मैं समझता हूं कि यह उन के लिये निहायत माकूल है और हाउस की खिदमत में मैं अर्ज करूंगा कि वह इस तजवीज़ को उसी स्पिरिट में लें और क़बूल करें।

दूसरी बात जो उन्हों ने क्लाज़ ५ के मुताल्लिक फरमाई वह यह है कि उन्हों ने यह रखा है कि सूओ मोटू अफसरान को अख्तियार दिया गया है कि वह ऐसे हार्ड केसेज में जिन का कि ज़िक्र किया गया है, उन के ऊपर गौर करें। मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहता हूं और वह यह है कि ला (विधि) की प्रक्रिया सिर्फ जस्टिस करने के वास्ते बनाई जाती है, वरना बलेकस्टन के मसले पर प्रोसीज्योर ऐसा नहीं बनना चाहिये कि किसी तरह की बेइन्साफी कोई कर सके। इस जिम्न के मातहत मैं अदब से उन की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि वह इस को तबदील न करना चाहें और हमारे अमेंडमेंट को कबूल न करना चाहें तो न करें। लेकिन सूओ मोटू को इस तरह से डिस्ट्रक्टली इंटर प्रैट (शब्दशः अनुवाद) न करें। अगर कोई आदमी किसी अफसर के पास दरख्वास्त दे और वह अफसर उस दरख्वास्त को मंजूर करे या न करे, इस से गरज़ न रखते हुए,— अगर उस अफसर के इल्म में यह चीज़ आ जाये कि यह इनजस्टिस का केस है, जिस में गलती हुई है; तो उस केस में जस्टिस होनी चाहिये : इस के लिये कोई सरक्युलर या कोई ऐसी हिदायत जारी होनी चाहिये जिस में कि इस का लिबरल इंटर प्रिटेशन किया जाये और इस की लिबरली कन्स्ट्रू किया (स्वच्छन्दता से समझा) जाय. ताकि हार्ड केसेज में इंसाफ हो सके। मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अफसरान को खुदहार्ड केसेज नहीं मिल सकते, लेकिन लोगों को मालूम है कि उन का केस कितना हार्ड है। तो कोई दरख्वास्त दे और वह किसी तरह से टाइम बार्ड (समय की अवधि से बाहर) हो, तो मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा कहना स्ट्रिक्टली विदिन ला (ठीक वैध) तो होगा, लेकिन जो आनरेबल मिनिस्टर साहब का मंशा है, उस के मुताबिक वह नहीं होगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि वह इंस्ट्रक्शन के जरिये या किसी और तरह इस के अन्दर ऐसी रिआयत ज़रूर रखें जिस से कि लोग जा कर अपना केस कह सक, और उन की दरख्वास्त पर अफसर चाहे जो भी हुक्म दें, मुझे उस के बारे में कोई उज्र नहीं है, लेकिन जो हार्ड केसेज हो उन में ज़रूर वह इस को लिबरली इंटरप्रैट करें।

इस वक्त कम्पेनसेशन के बारे में मैं ज्यादा अर्ज करना नहीं चाहता। बाद में वक्त होगा और मौका आवेगा तो अर्ज़ करूंगा। मगर आनरेबल मिनिस्टर साहब ने मौका बे मौका हमको इसके बारे में उम्मीदें भी दिलाई कि इस के बारे में इंसाफ किया जायेगा। लेकिन आनरेबल मिनिस्टर साहब की ताकत में जितने थोड़े रिसोर्सेज हैं, उन के मुताबिक पूरी ताकत गवर्नमेंट आफ इंडिया को हासिल नहीं है, गवर्नमेंट आफ इंडिया को पूरी शक्ति हासिल नहीं है जो पूरा रिलीफ हर शख्स को दे सके। मैं ने आनरेबल मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक पुराने बिल के वक्त अर्ज़ किया था कि यहां के लोगों के लाखों रुपये उन रिफ्यूजीज के ज़िम्मे रह गया जो कि पाकिस्तान चले गये। उन्हों ने कहा कि उन के केसेज को भी देखेंगे। लेकिन आज तक उन के

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

केसेज को देखने की नौबत नहीं आई । एक लाख गरीब आदमी इन में से ऐसे हैं कि जिन को न जमीन ही मिली और न मकान ही मिला, और न मुआवजा मिला: वह बहुत ही गरीब आदमी थे । उन के साथ भी कुछ नहीं किया गया । मूवेबल प्रापर्टी जो हम ने पाकिस्तान में छोड़ी उस का कोई मुकाबला उस प्रापर्टी से नहीं हो सकता जो मुसलमान लोग यहां छोड़ कर गये । मैं अब इन पुरानी तमाम बातों को ताजा नहीं करना चाहता, आप ने जो कुछ अब उसी के सिलसिले में दिया है मैं अर्ज करूंगा कि जितना लिबरली आप इस तमाम चीज को कर सकें वह कर और जितना लिबरली आप इस को इंटर-प्रैट कर सकें वह करें ।

श्री ए० पी० जैन : जो बात मेरे दोस्त पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कही है हम इस पर पूरा ख्याल रखेंगे और जितनी ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें हम दे सकेंगे वह देन की कोशिश करेंगे :

इस के बाद उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये जो स्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ६–(समझौता पदाधिकारियों की शक्तियां)

संशोधन प्रस्तुत किये गये :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३६ और ३७ में "a person who is a minor" ("एक व्यक्ति जो अल्पव्यस्क है") के स्थान पर "persons who are minors" ("व्यक्ति जो अल्पव्यवस्क हैं") शब्द रखे जायें ।

--[श्री ए० पी० जैन]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि :

खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ७ से १२ विधेयक के अंग बना लिये गये ।

नवीन खण्ड १३--(१९५४ के अध्यादेश का निरसन)

संशोधन प्रस्तुत हुआ कि पृष्ठ ४ में, पंक्ति ३७ के पश्चात्, निम्न जोड़ा जाय ।

"13. Repeal of Ordinance 3 of 1954.--(1) The Displaced Persons (Claims) Supplementary Ordinance, 1954 (3 of 1954) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in the exercise of any power conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action was taken."

—[Shri. A. P. Jain]

[१३. १९५४ के अध्यादेश ३ का निरसन :

(१) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अध्यादेश, १९५४ (१९५४ का ३) का इस स्थल पर निरसन किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन अथवा उसके द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में हुई अथवा की गई कार्यवाही को इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में इस प्रकार किया गया अथवा हुआ समझा जायगा जैसे कि यह अधिनियम उस दिन लागू हो रहा हो जिस दिन ऐसी बात हुई अथवा ऐसी कार्यवाही की गई ।"]

—[श्री ए० पी० जैन]

नवीन खण्ड १३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नाम

संशोधन प्रस्तुत हुआ :

(२) पृष्ठ १, शीर्षक में, "Continuance" के स्थान पर "disposal" लिखिए ।

—[श्री ए० पी० जैन]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पूरा नाम संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पूरा नाम संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिया गया ।

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये,"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये,"

मैं उन माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा जिन्हों ने अभी तक चर्चा में भाग नहीं लिया है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत थोड़े ही शब्दों में मैं इस विषय पर इस कारण से बोलना चाहता हूं कि इस विधेयक से बहुत से लोगों के अन्तःकरण में आशाओं का निर्माण होता है । बहुत वर्षों से रिफ्यूजीज के अन्तःकरण में यह आशा निर्माण हो रही है कि हम को कुछ मुआवजा मिलेगा । यहां यह एक सुन्दर किताब भी आई है जिस में मोहिनी देवी की बड़ी मोहक कथा भी है और आत्म चरित्र का भी कुछ भाग इस में दिया गया है । यह देखने के पश्चात् बहुत लोगों के हृदय में यह आशा हो रही है—एक लाख तक और दस लाख रुपये तक के फिगर्स सब इस में दिये हुए हैं,—कि हम को पैसे मिलने वाले हैं । मैं अभी इस कारण यह कह रहा हूं और शरणार्थी भाइयों को बतलाना चाहता हूं कि यह सब पढ़ने के बाद मेरे हृदय में एक सुभाषित संस्कृत का दोहा याद आता है, जिस में कहा है :

"रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्
अंभोदाः बहवो वसन्ति गगने....।"

चातक पक्षी को कहा है कि वह बादलों की तरफ देखता है और समझता है कि बारिश होगी और उसे पानी मिलेगा । मैं

[श्री वी० जी० देशपांडे]

बताना चाहता हूं कि आकाश में जो बादल होते हैं वह सब एक सरीखे नहीं होते हैं। कोई बादल होता है जो बारिश करता है और कई ऐसे बादल होते हैं जो गर्जना करते हैं और बीच में किसी का बोलना सुनना भी नहीं चाहते हैं परन्तु बरसते नहीं। इसी वास्ते आगे कहा है :

"यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः।"

जिस जिस को देखते हो उन के आगे दीन वचन न कहो।

इस वास्ते मुझे कहना है कि अन्तर्कालीन जो योजनायें हैं इन से भी किसी का खास हित होगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। ग्रामीण लोगों की भूमि के बारे में मैं परसों ही पैप्सू गया था : वहां राजपुरा में बहावलपुर के बहुत से लोग मुझे मिले। मैं ने वहां देखा कि छोट छोटे घर लोगों को मिले हैं। किस तरह वह लोग पाकिस्तान से यहां आय और यहां आने के बाद किस तरह के मकान उनको मिले हैं और उन की कितनी कीमत लगाई गई है, २८०० रुपये और २५०० रुपये में वह मकान मिले हैं जिन मकानों के बनाने में सात सौ या आठ सौ रुपये से अधिक नहीं लग सकते थे। फिर हम को कहा जाता है कि जल्दी जल्दी विधेयक को स्वीकार कर लो, नहीं तो इस में देरी होगी। मुज़फ्फरनगर के लोग परसों मेरे पास आये उन्हों ने बताया कि किस तरह उन के साथ बर्ताव होता है किराये के बकाये के लिये उन को गिरफ्तार किया गया है और उन का सामान कुर्क हुआ है।

रिफ्यूजी अफसर एक बात कहता है और कलक्टर दूसरी बात कहते हैं। इस तरह से उन का कोई काम नहीं चलता।

फिर यह कहा जाता है कि हम ने उन को मआवजा दिया, घर दिया, जमीन दी। लेकिन सिन्ध के, सरहद के, और बहावलपुर के जो शरणार्थी आये हैं, बहावलपुर के लोगों को कहा जाता है कि पैप्सू में रहना चाहिये चुनांचि वह वहां रहना चाहते हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी दोनों पंजाब के लोगों को तो पेप्सू में जमीन दी जाती है, लेकिन बहावलपुरियों को पैप्सू में जमीन नहीं दी जाती है।

इस प्रकार से उन सब के साथ अन्याय हो रहा है और आप की यह जो सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी बनी हुई है, मैं समझता हूं कि उन का इस प्राबलम को हल करने में ह्यूमन एप्रोच नहीं है बल्कि प्रोपैगेंडिस्ट एप्रोच है, प्रचारकों का एप्रोच है। मैं तो समझता हूं कि इस के लिये आप को एक ह्यूमन एप्रोच अपनाना चाहिये। और सरकार को इस प्राब्लम को हल करने के लिय अपने पास से भी रुपया खर्च करने में संकोच नहीं करना चाहिये। पुरुषार्थियों की समस्या आप तभी सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं जब आप इस को वार-फूटिंग पर ट्रीट करें, सरकार को हमारे पुरुषार्थियों की सहायता के लिये अपने पास से सौ, दो सौ करोड़ रुपये देने के लिये तैयार हो जाना चाहिये और उस अतिरिक्त धन राशि के लिये आप देश से मांग करिये और शीघ्र से शीघ्र उन के मुआवजे की अदायगी का जो प्रश्न है, उस को हल करिये। मुझे पता नहीं है कि इस प्रकार के अन्तर्कालीन योजनायें कब अमल में आयेंगी और कैसे आयेंगी। इस के अलावा इस योजना में जो और छोटी छोटी बातों का ज़िक्र है, उनका मैं भी समर्थन करना चाहता हूं। मेरा विरोध इस सम्बन्ध में केवल इतना है कि इस योजना को बड़ा लम्बा किया जा रहा है और यह कोई निश्चय अभी तक नहीं हुआ हैं कि हमारे भाइयों को उन के मुआविजे का पैसा कब देना है। निश्चय तो मेरी समझ में शायद हो गया है, लेकिन कुछ देना नहीं

यह निश्चय हुआ है। इस दृष्टि से इस को लम्बा कर रहे हैं और इस योजना में भी आप इस प्रकार की रुकावटें ला रहे हैं जिस से बाद में आने वालों के लिये जिन के क्लेम्स अज्ञान वश, उन को पता न लगने के कारण या आफिस की गलती के कारण यहां रखे नहीं गये हैं, उनको आप इस में शामिल करने की सुविधा देने को तैयार नहीं हैं। इस से यह भी मालूम पड़ता है कि शायद पैसा मिलने वाला है, इसीलिये यह स्ट्रिक्टनेस बर्ती जा रही है लेकिन फिर डर होता है कि पैसा भी मिलने वाला नहीं है और सख्ती भी हो रही है। सरकार की इस नीति के कारण लोगों के हृदय में एक इर्रीटेशन पैदा हो रहा है। यहां संसद् में तो हमारे मंत्री महोदय पर वधाई की वर्षा होती है, लेकिन रेफ्यूजीज़ कालोनीज़ में जहां मैं घूमता हूं, वहां मैं उन से व्यापक असन्तोष ही देखता हूं। अन्त में मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि आप अब और ज्यादा इस प्रकार की अन्तर्कालीन योजनाओं द्वारा उनको और ज्यादा इर्रीटेट (परेशान) न करे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को दूसरी बैठक में सम्मिलित होना है। मेरा विचार है कि प्रस्तुत विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री ए० पी० जैन : मुझे अब कुछ और नहीं कहना है, मुझे जो कुछ कहना था, मैं कह चुका।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इस के पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, २४ फरवरी, १९५४ के दो बज तक के लिये स्थगित हो गई।